खण्ड-251, अंक-6
शुक्रवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1886
(21 अगस्त, 1964 ई0)

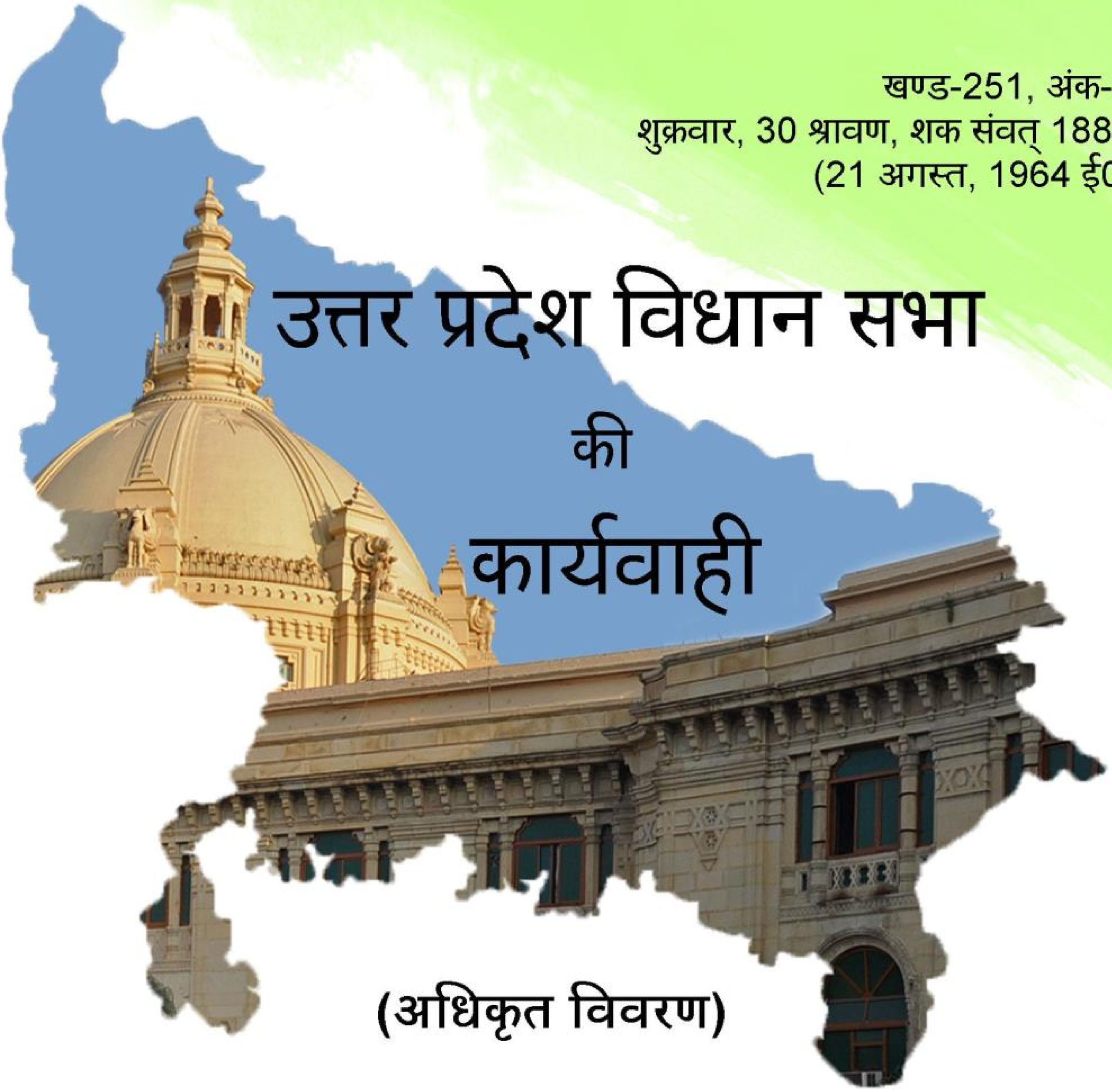

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८७–३९१
प्रश्नोत्तर	३९१–४०२
सदन में घटित घटना एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन पर वर्षाकालीन अधिवेशन का विरोधी दलों द्वारा बहिष्कार	४०२–४१३
श्री मुल्तानसिंह द्वारा १९ अगस्त, १९६४ को प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्य ..	४१३–४१४
फतेहपुर जिले की खाद्य स्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	४१४
देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी में एक नाव डूब जाने के संबंध में वक्तव्य ..	४१४–४१६
१९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	४१३–४५३
१९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	४५४
अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	४५४
अनुदान संख्या १४—पुलिस (स्वीकृत)	४५४
अनुदान संख्या १७—शिक्षा (स्वीकृत)	४५४–४५५
अनुदान संख्या १८—चिकित्सा (स्वीकृत)	४५५
अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	४५५
अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत)	४५५
अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	४५५–४५६
अनुदान संख्या २३—सहकारिता (स्वीकृत)	४५६
अनुदान संख्या २४—उद्योग (स्वीकृत)	४५६
अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	४५६
अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	४५६–४५७
अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	४५७
अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण संस्थाएं (स्वीकृत)	४५७
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	४५७
अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	४५८
अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत)	४५८
अनुदान संख्या ४४—वन (स्वीकृत)	४५८
अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	४५८
अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४५९
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४५९
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४५९-४६०
अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४६०
अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत) ..	४६०
अनुदान संख्या ५५--व्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	४६०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (स्वीकृत)	४६१-४६४
रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट एवं माल स्थायी समिति के लिये एक एक सदस्य के निर्वाचन का कार्य-क्रम	४६४
नत्थियां	४६५-४६६

विधान सभा पुस्तकालय

मध्यप्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सनी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्ब प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमालुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पिंडीराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैद्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मुलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियायत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदभक्तसिंह, श्री
शिवबनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री

हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर†

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मोटर कर्मचारी संघ, झांसी, की हड़ताल

**१—सर्वश्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर), गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) आदि—

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि झांसी में बड़े पैमाने पर मोटर कर्मचारी संघ, जो एक रजिस्टर्ड यूनियन है व जिसका सम्बन्ध पूरे बुन्देलखण्ड से है, मोटरों के मालिकों के अन्यायों, ज्यादतियों और गैरकानूनी कार्य जो उनसे जबरन कराये जाते हैं, को लेकर हड़ताल कर रखी है जिसके कारण यातायात ठप्प हो गये हैं और मुसाफिरों को भी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो कर्मचारी संघ की मांगें क्या-क्या हैं? और सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

झांसी में निजी परिवाहन में काम करने वाले तीन कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने के प्रश्न को लेकर मोटर कर्मचारी संघ, झांसी ने २८ जुलाई, १९६४ से हड़ताल की थी जो दोनों पक्षों में समझौता होने पर ३१ जुलाई, को समाप्त हो गयी। यातायात का काम अब सुचारु-रूप से चल रहा है।

**२—सर्वश्री शिवनाथसिंह, गंगाप्रसाद वर्मा आदि—

क्या श्रम मन्त्री बतलायेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि हड़ताल का प्रभाव पूरे बुन्देलखण्ड के कर्मचारियों में चल रहा है व मालिकों के रवैये के प्रति कर्मचारियों में घोर असन्तोष है व जनता में हड़ताल के कारण बेचैनी है? यदि यह सत्य है, तो सरकार ने उन मोटर मालिकों के विरुद्ध, जिनके कारण हड़ताल हुई, क्या कदम उठाया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—

स्थिति अब शान्तिपूर्ण है। दोनों पक्षों ने नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों के मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया है।

बुलन्दशहर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

**३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश बुलन्दशहर ने जिले की अत्यन्त जटिल खाद्य परिस्थिति को देखते हुये ११६ सस्ते गल्ले की और दुकानें खोलने के लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार से मांग की है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसके लिए, आज्ञा क्यों नहीं दी, जिससे वहां की जनता बहुत दुखित है?

---

†"प्रश्नोत्तर" उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

जी हां। सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जिलाधीश, बुलदशन्हर, को भेज दिये हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में लेखपालों की नियुक्तियां

*२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में पुराने लेखपालों के नाम वेटिंग लिस्ट में रहते हुये भी लेखपालों की कुछ नयी नियुक्तियां हुयी हैं? यदि हां, तो पुराने कितने लेखपाल हैं, जिन्हें नियमतः अभी स्थान देना बाकी है और नये लोगों को स्थान देने का कारण क्या है?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

अभी १०२ भूतपूर्व पटवारी वेटिंग लिस्ट में हैं जिन्हें स्थायी जगहें देना बाकी हैं।

जिलों में लेखपालों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने के लिये दो सूचियां हैं। एक सूची भूतपूर्व पटवारियों की है तथा दूसरी सूची लेखपाल-स्कूल-पास उम्मेदवारों की है। इन्हीं सूचियों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति बारी-बारी से होती है। एक बार भूतपूर्व पटवारी को, तो दूसरी बार लेखपाल-स्कूल-पास उम्मेदवार को, स्थान दिया जाता है।

डेरवा के कटाव पीड़ितों को सहायता

*३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया दिनांक ७ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम डेरवा के कटाव पीड़ितों को कितनी-कितनी सहायता दी गयी और किस-किस मद में तथा किन-किन व्यक्तियों को?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

ग्राम डेरवा के कटाव पीड़ितों को दी गयी सहायता का ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

*४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री जी कृपया उपर्युक्त सन्दर्भ के प्रश्न संख्या ६ के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इन आवेदन पत्रों पर कौन सी कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो इसका कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कालेज, रामपुर के वाइस प्रिंसिपल

*५—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कालेज, रामपुर, के वाइस-प्रिंसिपल पद के चुनाव के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को शिक्षा विभाग ने नीचे लिखी जरूरी योग्यतायें भेजी हैं :—

(१) ग्रैजुएट,

(२) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (Diploma or Certificate in Physical Education),

(३) भारत के किसी व्यायामशाला से भारतीय व्यायाम प्रणाली में प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र? यदि हां, तो इन योग्यताओं को रखने का आधार क्या है?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां।

योग्यतायें निर्धारित करने का आधार यह रहा है कि वाइस प्रिंसिपल का जो उत्तरदायित्व और कार्य-क्षेत्र है उसको वह योग्यतापूर्वक निभा सकें।

*६—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फिजिकल ट्रेनिंग कालेज में शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग में भारतीय व्यायाम पढ़ाया जाता है, या नहीं? यदि नहीं, तो वाइस-प्रिंसिपल के पद के लिए उपरोक्त नं० २ की योग्यता के साथ नं० ३ (भारतीय व्यायाम) की अनिवार्यता की क्या आवश्यकता एवं उपयोगिता है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। भारतीय व्यायाम पढ़ाया जाता है।

एल० टी० ग्रेड के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति

*७—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि एल० टी० ग्रेड के शारीरिक शिक्षा अध्यापक को S. S. E, S. grade में विभागीय पदोन्नति होती है या नहीं? यदि हां, तो क्या उन शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को भी अन्य जनरल एल० टी० अध्यापकों की तरह S. S. E. S. ग्रेड में विभागीय पदोन्नति के बाद विभाग द्वारा स्थायी किया जाता है? यदि नहीं, तो एक ही विभाग में यह विभिन्न व्यवहार क्यों है, और इस नीति का निराकरण कब होगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

रोहिनी ग्राम से लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*८—श्री झारखन्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि शासन को जनवरी, १९६४ से ३० मई, १९६४ तक ग्राम रोहिनी परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर, से लेखपाल के विरुद्ध रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार, हेडक्वार्टर पर न रहने तथा स्थानीय राजनीति में पड़ कर लोगों को अकारण नुकसान करने के संबंध में कुल कितने प्रार्थना-पत्र मिले हैं? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों द्वारा उन प्रार्थना-पत्रों की जांच करने पर आरोप निराधार सिद्ध हुए। लेखपाल का स्थानान्तरण हो गया है।

९--श्री झारखण्डेराय--

क्या यह सत्य है कि यही लेखपाल महोदय पहले पंचायत विभाग में कार्य करते थे और एक फोरजरी (forgery) के मामले में विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल (dismiss) कर दिया था? यदि हां, तो उन्हें पुनः सरकारी नौकरी देने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन --

इस प्रकार की जानकारी राजस्व विभाग को नहीं है। पंचायत राज विभाग के द्वारा यह सूचना एकत्रित की जा रही है। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

बरेली कमिश्नरी में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कलेक्ट्रेट का चुनाव

*१०--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १०४४ व अन्य शासकीय परिपत्रों के अन्तर्गत कलेक्टरियों के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद के लिये, जो डिवीजनल लिस्ट कमिश्नर के कार्यालय में बनाई जाती है, उसमें क्या यह प्रतिबन्ध है कि एक समय में केवल एक ही कमिश्नरी का कर्मचारी इस डिवीजनल लिस्ट पर रह सकता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां।

*११--श्री गयाप्रसाद--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली कमिश्नरी में सन् १९६३ में किये गये नामों के चुनाव में उस कमिश्नरी का दूसरा कर्मचारी क्यों लिया गया जब कि उक्त डिवीजनल लिस्ट पर पहले से ही उक्त कार्यालय के एक अन्य कर्मचारी का नाम मौजूद था व अब तक है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१९६३ में जब बरेली कमिश्नरी का एक कर्मचारी डिवीजनल लिस्ट पर लिया गया था, उस समय उक्त कार्यालय के किसी अन्य कर्मचारी का नाम डिवीजनल लिस्ट पर नहीं था।

बालिका विद्यालय, मऊनाथ भंजन में ठीक समय पर परीक्षा न होना

*१२--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राजकीय बालिका विद्यालय मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़, में कक्षा ८ की परीक्षा लेने के लिये आजमगढ़ से आने वाली परीक्षिका अपने निश्चित समय तथा तिथि पर क्यों नहीं आई जब कि १० अप्रैल, १९६४ तिथि डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स आजमगढ़ ने निश्चित कर दी थी?

श्री कैलाशप्रकाश--

राजकीय बालिका विद्यालय मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़, में कक्षा ८ की परीक्षा लेने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक ने १० अप्रैल, १९६४ की तिथि निश्चित नहीं की

थी, अतएव आजमगढ़ से जाने वाली परीक्षिका का उक्त तिथि पर निश्चित समय से पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कथित परीक्षा के लिये १२ अप्रैल, १९६४ की तिथि निश्चित की थी। उस तिथि को परीक्षिका निश्चित समय पर विद्यालय पहुंच गई थीं।

*१३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के लापरवाह इक्जामिनर को वहां के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स आजमगढ़ ने क्यों नियुक्त किया और इनकी लापरवाही के कारण जिन-जिन लड़कियों की परीक्षा नहीं हुई है उस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ताकि मऊनाथ भंजन की जनता को सन्तोष प्राप्त हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता। परीक्षिका की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी लड़की परीक्षा देने से वंचित नहीं रही।

*१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार डी० आई० ओ० एस० तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी कि जब जिले में और योग्य तथा कर्मठ परीक्षक मौजूद हैं तो उन्हें परीक्षक क्यों नहीं बनाया गया ? क्या सरकार समस्त परीक्षकों की सूची मय उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षा समिति द्वारा होती है, इसलिये नियुक्ति की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक पर नहीं होती। परीक्षकों की सूची गोपनीय रखी जाती है, अतएव उसे सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

फतेहपुर जिले में दीक्षा विद्यालयों के भवन

*१५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर और खजुहा, के बारे में क्या शासन ने ऐसा कोई निर्णय लिया था कि उपरोक्त दोनों राजकीय दीक्षा विद्यालयों के लिये अविलम्ब दीक्षा भवनों एवं छात्रावासों का निर्माण हो ? यदि हां, तो भवन एवं छात्रावासों के निर्माण का निर्णय कब लिया गया तथा अब तक उनके निर्मित न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि भविष्य में शिक्षार्थियों के लिये ये भवन कब तक सुलभ हो सकेंगे तथा कितनी-कितनी धनराशि की लागत के होंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[२१ अगस्त, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गये।]

*४–६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*७—८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिये गये ।]

*९—११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२–१३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६—१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कन्याओं के लिये अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा

*१९—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिकाओं में प्राइमरी कन्या शिक्षा पूर्ण रूप में अनिवार्य है और कितनों में आंशिक रूप में ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कन्याओं के लिये अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना, प्रदेश की ३ महापालिकाओं तथा ५ नगरपालिकाओं में पूर्ण रूप में तथा २ नगरपालिकाओं में आंशिक रूप में लागू है ।

*२०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बरेली नगरपालिका ने भी अपने क्षेत्र में कन्याओं के लिये प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य करने के लिये अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो कब और सरकार उसको अनिवार्य शिक्षा क्षेत्र घोषित करने के विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बरेली नगरपालिका की ऐसी कोई प्रार्थना शिक्षा अधिकारियों अथवा शासन को नहीं प्राप्त हुई ।

प्रश्न का अगला भाग नहीं उठता ।

हैदरगढ़ तहसील में लगान में छूट

*२१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में रबी की फसल में गत पाले से हुई क्षति की पूर्ति में लगान में छूट देने के नक्शे तैयार करने के कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

समस्त जिलाधीशों को नियमानुसार छूट देने के लिये दिये गये आदेशों के अतिरिक्त जिलाधीश बाराबंकी को इस सम्बन्ध में कोई विशेष आदेश नहीं दिये गये थे क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता न थी ।

*२२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में लगान वसूली स्थगित करने, रबी की फसल में छूट देने और टेस्ट वर्क चालू करने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

तहसील हैदरगढ़ में रबी १३७१ की फसल को शीत एवं पाले से हुई क्षति स्वरूप मालगुजारी में २,५३,५१२ रु० ९७ नये पैसे की छूट स्वीकृत की जा चुकी है । टेस्ट वर्क चालू करने की आवश्यकता नहीं है ।

सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में लाइब्रेरियन का वेतन-क्रम

*२३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Aided Institutions के Librarians के pay scale को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक बन कर तैयार हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*२४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ मई, सन् १९६४ की "नार्दन इंडिया पत्रिका" में उक्त विषय पर केन्द्रीय सरकार ने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार ने कितना अमल किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस विषय में केन्द्रीय सरकार से जो सुझाव शासन को प्राप्त हुये हैं, उन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

*२५—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[४ थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८–३०—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१—३३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४–३५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री नियामतुउल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)—

[हटा दिये गये ।]

*३६–३७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८–४०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सयाना-बुगरासी मार्ग को पक्का करना

*४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १ मई सन् १९६४ को जिला परिषद् बुलन्दशहर की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा जिला परिषद् बुलन्दशहर ने सरकार से पुरजोर सिफारिश की है कि सयाना—बुगरासी मार्ग को, जो कि एक अति अधिक आवश्यक मार्ग है और अति अधिक कृषि विकसित क्षेत्र से गुजरता है, शीघ्र से शीघ्र पक्का करवाया जाय और यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इसका पक्का होना संभव न हो तो चौथी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां, प्रश्न में वर्णित जिला परिषद् बुलन्दशहर के प्रस्ताव की प्रतिलिपि शासन को सदस्य महोदय के पत्र के साथ प्राप्त हुई है । चालू योजनाकाल में इस सड़क का निर्माण धनाभाव के कारण संभव नहीं है । चौथी आयोजना बनाते समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा ।

*४२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह सयाना-बुगरासी मार्ग के निर्माण के संबंध में इस मार्ग को सयाना से बुगरासी तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि उसको बुगरासी से आगे ग्राम बरहाना, ग्राम चन्दियाना, ग्राम मोहम्मदपुर बरवाला से निकाल कर दौलतपुर तक ले जाने की योजना पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत प्रस्ताव पर भी चौथी आयोजना बनाते समय ही विचार किया जा सकता है ।

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

४—श्री नाथूराम शिक्षक—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

५–८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

चकबन्दी

११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन भागों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो गया है और वहां पर जो रिकार्ड तैयार हुये हैं उसमें आगे कोई गड़बड़ी मुतनाजिया आदि की रिपोर्ट की न हो सके इसके लिये सरकार क्या उपाय अमल में लाने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

प्रदेश में २३,०३५ गांवों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण समाप्त हो गया है। इन गांवों के अन्तिम अभिलेख नियमानुसार जांचे जा चुके हैं और उनकी एक प्रति फर्द मशकूकी व महफूकी के साथ कलेक्टरी के मुहाफिजखाने में सुरक्षित रख दी गई है। इस संबंध में किसी और अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

१२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

१३–१५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

यमुना पर चिल्लाघाट का पुल

१६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियावों के नाव घाट पुल तोड़ने की तिथि १५ जून है ? यदि हां, तो १५ जून के बाद नाव घाट चिल्ला, जिला बांदा, में १ जुलाई, १९६४ ई० तक पुल को क्यों नहीं तोड़ा ? क्या इस दरमियान में कुछ ज्यादा पैसा उतराई में मिला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। चिल्ला घाट के ठेकेदार को १५ जून तक पुल तोड़ने के आदेश दिये गये परन्तु उसके विलम्ब करने पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा पुल तोड़ा गया। इस दरमियान में ठेकेदार ने सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही उतरायी ली।

१७—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि १ जुलाई, १९६४ को यमुना की बाढ़ के कारण पुल बह गया और उसके साथ साथ पीपे, स्लीपर व गाटर आदि पुल का सभी सामान बह गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

२ जुलाई, १९६४ को यमुना में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण पुल बह गया था, परन्तु वह थोड़ी दूर तक ही जा पाया था कि खींचकर किनारे पर लगा दिया गया। केवल एक गर्डर तथा एक रस्सा ही बह पाया।

१८—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि चिल्ला नाव घाट बांदा के पुल के बह जाने के कारण सरकारी पैसे की क्या हानि हुई और इसकी क्षति-पूर्ति कौन करेगा तथा गाटर व स्लीपर पीपे किस तादाद में बह गये, जो नहीं मिले और उनकी कीमत क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त गर्डर तथा रस्सा के बह जाने के कारण कुल ४२२ रुपये १० पैसे की हानि हुई और इस धनराशि को ठेकेदार से वसूल किया जा रहा है।

१९—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

जे० टी० सी० कक्षायें

२०—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने जुलाई, १९६४ से उत्तर प्रदेश की किन-किन माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में जे० टी० सी० कक्षायें खोलने के लिये आदेश कर दिये हैं ?

श्री सूबेदारसिंह क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या संबंधित संस्थाओं को इन आदेशों की सूचना दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दे दी जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

२२-२३—श्री नाथूराम शिक्षक—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये]।

अकबरपुर तहसील में लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

२४—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद, के पास दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ से १९ मार्च, १९६४ को श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम हुसैनपुर डाकखाना बेवाना, जिला फैजाबाद, के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें यह शिकायत की गई है कि लेखपाल अपने हल्के का इन्दराज गलत करता है, जिससे उस क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री इन्द्रजीत सिंह ने इन दोनों प्रार्थना-पत्रों में गांव वालों की नहीं बल्कि अपनी निजी शिकायत की थी कि उनके खेत नं० ४४०/३ की सिंचाई गढ़ा के थान पर कुयें से दर्ज की गई है। यह गलती ठीक कर दी गई और प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है।

२५—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या सरकार जांच कराकर उस हल्के के लेखपाल श्री राम सुख द्वारा किये गये गलत इन्दराजों को तथा उनके द्वारा किये गये अनुचित कार्यों को ठीक करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा-चिल्लाघाट सड़क पर वृक्ष

२६—श्री मतोलासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा से चिल्ला घाट तक जिला बांदा की पक्की सड़क के किनारे-किनारे के वृक्ष किसकी जेरे निगरानी हैं जिसके कारण सभी पेड़ों की डालें, शाखें, जनता काट-काटकर अपने इस्तेमाल में लाती है और सभी पेड़ मवई से लेकर पपरेदा लाभ अतरहट तक सिवाय धड़ के पत्ती तक नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पेड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग की निरगानी में हैं। मई व जून माह में सड़क के ६ मीलों में रेटिंग का कार्य विभाग द्वारा किया गया था, कोलतार को गरम करने के लिये वृक्षों की शाखायें काटी गई थी, जो कार्य के लिये आवश्यक थीं। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे के गांव वाले भी चोरी-छिपे, रात के समय या जब गैंग वाले आसपास नहीं होते, वृक्षों की शाखें काट लेते हैं। सड़क के किनारे काम करने वाले गैंगों को चेतावनी दे दी गई है कि वह चोरी से वृक्षों की शाखें काटने को रोकने के लिये उचित निगरानी करें।

बिन्दकी नगरपालिका में सड़कें

२७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले में बिन्दकी म्यूनिसिपल क्षेत्र स्थित सार्वजनिक निर्माण विभागीय सड़कों के किनारों पर इन्को मेंट करने वाले व्यक्तियों से क्या कुछ धनराशि वसूल की जाती है और क्या यह सत्य है कि उसकी वसूली म्यूनिसिपल बोर्ड बिन्दकी द्वारा होती है, यदि हां ? तो वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और इन्हीं वर्षों में बोर्ड ने कितनी धनराशि संग्रहीत की ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उठता ही नहीं।

२८–२९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

३०–३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विकास खंड अमौली व खजुहा में प्राइमरी पाठशालायें

३३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के विकास सेवा खंड अमौली के अन्तर्गत न्याय पंचायत क्षेत्र दपसोरा, चान्दपुर, अमौली व खंड खजुहा के सुल्तानगढ़ जाफरगंज से संबंधित ग्राम सभाओं के क्षेत्र व ग्राम व ग्राम के मजरों की इस कारण दूरी अधिक है कि यह क्षेत्र यमुना नोन, रिन्द नदी व इनसे मिलने वाले बड़े और छोटे अनेकों भयावह नाले बहने से ऊंचा-न चा व यातायात विहीन होने से बहुत पिछड़ा तथा शिक्षा विहीन एवं उपेक्षित है जिससे एक गांव के बच्चे दूसरे गांव शिक्षा के लिये नहीं जा पाते ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिये अतिरिक्त प्राइमरी पाठशालायें स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत क्षेत्रों/स्थानों की भौगोलिक स्थिति वैसी ही है जैसी कि प्रश्न में बताई गई है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इस वर्ष तक १८७ बालक/बालिकाओं की मिश्रित प्राइमरी पाठशालायें एवं ७७ बालिकाओं की प्राइमरी पाठशालायें स्वीकृत की गयी हैं। इन पाठशालाओं का स्थानवार वितरण जिला परिषद् क्षेत्र समितियों पर निर्भर है।

३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

सदन में घटित घटना एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन पर वर्षाकालीन अधिवेशन का विरोधी दलों द्वारा बहिष्कार

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की गत तीन दिनों की बैठकों की दुखद कार्यवाही किसी से छिपी नहीं है। संसदीय प्रथाओं का हनन, विरोध पक्ष अपनी बात को समुचित ढंग से न रख सके, इसमें रुकावट तथा नियमों की अवहेलना साधारण-सी बात हो गई है। ऐसा मालूम होता है कि बहुमत दल इस प्रकार के अनियमित कार्य करने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। इसे किसी प्रकार की रोकटोक नहीं और वह जो चाहे कर सकता है।

आपको मालूम है कि इस बात का श्री गणेश हुआ जब कि उपाध्यक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर नहीं प्रदान किया बजाय इस के कि इस अनियमितता को दूर किया जाता। २७ माननीय सदस्यों को सदन की सेवा से ३० दिन के लिये तथा १ को १५ दिन के लिये निलम्बित किया गया। बाद में कुछ बातचीत आप की मौजूदगी में हुई, जिस के फलस्वरूप १९ अगस्त की बैठक में मान्यवर ने विरोध पक्ष के ५८ उपस्थित सदस्यों को एक दिन के लिये सदन से बाहर जाने की आज्ञा प्रदान की।

अब नाना प्रकार की धमकियां विरोध पक्ष के सदस्यों को दी जा रही हैं। कांग्रेस दल समस्त सीमाओं को पार कर गया और प्रजातन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों का हनन करने वाले अब सारा दोष विरोध पक्ष के मत्थे पर मढ़ना चाहते हैं।

ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक जिसके द्वारा यह निश्चय किया जाना था कि अनिश्चित काल के लिये ऐसे अधिनियमों के जो अंग्रेजी भाषा में हैं संशोधन अंग्रेजी भाषा में होंगे, उसे जिस तौर पर यह कहा जाता है कि पारित हुआ है कोई मिसाल संसार के संसदीय इतिहास में नहीं मिलेगी। जब अनेकानेक माननीय सदस्य निष्कासित किये जा रहे थे और सदन में शोर मच रहा था और यह सभी को स्वीकार है कि कुछ सुनाई नहीं देता था तब उपाध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि यह विधेयक पारित हो गया तथा इस से बढ़कर मजाक कभी संसदीय इतिहास में हुआ है? मगर आज इस पर बहुमत की मोहर है और जिनका कर्तव्य है कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करें वे भी धींगाधींगी, अनियमितता तथा हुल्लड़बाजी के समर्थक हैं।

सन् १९५० की २६ जनवरी को भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ और १५ वर्ष की मुद्दत इस कार्य के लिये रखी गई थी कि उस अवधि के बाद समस्त कार्य हिन्दी में होंगे। उत्तर प्रदेश में उसी वर्ष यह अधिनियम बना कि पुराने अधिनियमों में संशोधन हिन्दी में होंगे, जबकि अंग्रेजी शासन काल में सन् १९२० से पहले का एक भी ऐसा अधिनियम नहीं कि जो उस समय प्रचलित राज्य भाषा उर्दू, बंगला, मराठी, तामिल, तेलगू इत्यादि में उपलब्ध न हो, यहां की इंडियन ला रिपोर्ट्स अदालत की नजीरें भी इन भाषाओं में सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती थीं। मगर दुख है कि संविधान में १५ साल की शर्त होते हुये भी हिन्दी का प्रयोग दिनों दिन कम होता गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आज यह नौबत आयी कि उस धारा को अनिश्चितकाल के लिये हटाया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विधान सभा को विचार करने का समुचित मौका न मिले, यह कितने अन्धेर की बात है ?

भाषा किसी राष्ट्र का जीवन है और उस पर इतना जबर्दस्त कुठाराघात ! कांग्रेस की सरकार यह चाहती है कि खामोशी से सहन किया जाय; जो सम्भव नहीं।

अतः मैंने और मेरे दल ने यह निश्चय किया है तथा विधान सभा के समस्त विरोधी दल जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी तथा स्वतन्त्र पार्टी और निर्दलीय सदस्यों ने यह निश्चित किया है कि वर्षाकालीन अधिवेशन की बैठकों में भाग न लिया जाय और इस बात के लिये निरन्तर प्रयत्न करें कि इस विधेयक को वापस लेने के लिये सरकार को बाध्य किया जाय।

हस्ताक्षर सर्वश्री शारदाभक्त सिंह, होरीलाल यादव, जेड० ए० अहमद, नेकराम शर्मा, गयाप्रसाद तथा झारखंडे राय।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, पहले क्वेश्चन हो जायं।

(व्यवधान और शोर)

श्री अध्यक्ष--

यह बयान आप हमें दे दें।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

यह प्रस्ताव सभी दलों के नेताओं की ओर से आया है, इसमें संयुक्त सोशलिस्ट दल की सहमति है और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यह महसूस करते हैं कि इधर २, ३ दिनों के विचारोपरान्त भी सरकारी पक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिये अब हमारे सामने और कोई चारा नहीं रह गया सिवाय इसके कि हम यहां की कार्यवाहियों को त्याग कर क्षेत्र में जायं, प्रदेश में जायं और सारी जनता को बतायें कि किस तरह से अधिनायकशाही सरकार की ओर से चल रही है: इसलिये तमाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य इस वक्तव्य से इत्तफाक करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि इस अधिवेशन का हम बाईकाट करें।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आप मुझसे सहमत होंगे इस विषय पर कि अब सदन में दमघोटू वातावरण पैदा हो गया है और जब कि प्रदेश खाद्य संकट से गुजर रहा है, जनता शान्तिपूर्ण तरीकों से प्रदर्शन, सभाओं, हड़ताल के जरिये अपनी भावनायें प्रकट कर रही है उस समय हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हम यहां रहते और जनता की भावनाओं को यहां प्रदर्शित करते, लेकिन आज उससे हम वंचित हो रहे हैं इसका हमें स्वयं दुख है। मान्यवर, जो वक्तव्य अभी हरीशकुमार जी ने पढ़ा है जिस पर हम सब के दस्तखत हैं मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उसका समर्थन करता हूं। आज हालत यह हो गयी है और आप भी, मेरा खयाल है, सहमत होंगे कि साधारण प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की स्थिति भी सदन में नहीं रह गयी है। हिन्दी विधेयक के साथ जो अत्याचार हुआ है वह एक दुखद कहानी है और यह पहली बार नहीं, इसके पहले भी दो बार कारपोरेशन बिल हश अप किया गया और ५, ५ बिल इसी सदन में कुछ ही मिनटों में पास किये गये। तो यह तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इतना विवादग्रस्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डे राय]

विधेयक जिस पर करोड़ों आदमियों की भावनायें केन्द्रित हैं, कुछ लोग विपक्ष में हो सकते हैं, जिस पर शासन दल की ओर से भी बोलना चाहते थे, उनको भी मौका नहीं मिला यह कितनी दयनीय हालत है ? इसलिये मैं समझता हूं कि प्रजातंत्रीय पद्धति का आज यहां पूरी तरह से हनन् हो गया है और दमघोटू वातावरण में हम यहां बैठना बिलकुल बेकार समझते हैं। मैं तथा कम्युनिस्ट पार्टी अपने को उस वक्तव्य से संबद्ध करते हुए घोषित करते हैं कि हम इस पूरे सेशन का वायकाट करें ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार और खासतौर से इनर कैबिनेट का जो बरताव अपोजीशन के साथ रहा वह बहुत ही लज्जाजनक रहा। श्रीमन्, प्रतिशोध की भावना से सदन में जो कार्यवाही की गयी है वह हमारे लिये असहनीय है। आप जानते हैं कि मैंने कहा कि आप इस स्थिति को बचायें, सदन को स्थगित कीजिये, जिससे शान्ति स्थापित कर सकें, लेकिन एक मंत्री महोदय ने हमारी यह बात नहीं चलने दी और वह पहले से ही तय किये बैठे थे। मैंने प्रस्ताव किया तो सरकार की ओर से उसको अस्वीकार कर दिया गया कि सदन स्थगित न हो। यही नहीं, दुख की बात यह है कि माननीया सुचेता कृपालानी जो लखनऊ में मौजूद थीं और सदन में इस तरह से जब कुठाराघात अपोजीशन के मेम्बर पर हो रहा था वह सदन में नहीं आयीं। दो दिन तक यह वातावरण यहां चलता रहा और वह अपने कमरे में ही बैठी रहीं, और आज भी वह सदन में नहीं आयीं। इससे साफ स्पष्ट है कि मुख्य मंत्राणी और उनके प्रिय साथी जो हैं वह सब इस बात के लिये तैयार हैं कि अपोजीशन के सदस्यों, नेताओं को इंगित किया जाय और अगर मौका लगे तो उनकी मेम्बरशिप खत्म कर दी जाय। आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई। जब यह नीयत है माननीय सदस्यों की कि विरोधी दलों को न बैठने दिया जाय और उनकी प्रतिशोध की नीयत की भावना है तो ऐसी स्थिति में हमने निश्चय किया है कि हम लोग सदन त्याग करें क्योंकि आज विरोधी दलों की आपको जरूरत नहीं है। श्रीमन्, आप और मुख्य मंत्री सदन चलायें और सारे के सारे विधेयक आप एक मिनट में ही पास कर लें। उस दिन भी एक विधेयक पास कर लिया। इससे पहले भी ४–५ विधेयक आये। एक हमारा प्रिविलेज के कन्टेम्पट का मामला हाउस में आया। उसमें भी एक प्रस्ताव संशोधन कराया विरोधी दलों के न करने पर। हमारे वकील साहब ने भी यह कहा कि अगर कोई कमजोरी है तो यह एमेंडमेंट है। इसलिये अगर सरकार यह चाहती है कि अपोजीशन को मिटा देंगे तो मिट जायेंगे। सरकार कहती है कि अपोजिशन न्यूसेन्स वैल्यू है तो आप सदन में बैठें, सरकार को चलायें और जितने भी जुल्म हो सकते हैं, कीजिये। मैंने यह भी सुना है कि.....

(इस समय विशिष्ट दीर्घा से कूद कर एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से सदन में आ गया और यह कह कर कि मेरी बात सुनिए, मैं आत्म-हत्या कर रहा हूं, भूमि पर गिर गया। तत्काल ही मार्शल उस व्यक्ति को उठा कर सदन के बाहर ले गये।)

श्रीमन्, क्या हालत है हमारे रिपोर्टरों की जिनको खाना भी नहीं मिलता है। यह सरकार की खाद्य नीति है।

श्री अध्यक्ष—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, इन्होंने जान-बूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। मुख्य मंत्री ने एक कांन्फ्रेन्स बुलायी पर उन्होंने किसी विरोधी दल के नेता को नहीं बुलाया। श्रीमन्, यह भी गलत काम था। मैं डिप्टी स्पीकर और माननीय मंत्रियों से मिला और इन लोगों से निवेदन किया कि सदन स्थगितकर दिया जाय जिससे हम लोग बैठकर कोई रास्ता निकाल लें इस वातावरण को, जो इस समय गर्मागर्मी की बातें हो गयी, ठीक करने का, पर प्रतिशोध की भावना इतनी बढ़ी हुयी थी कि जब मैंने स्थगित करने का प्रस्ताव रखा तो माननीय बनारसीदास ने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमने यह निश्चय किया है कि आप और कांग्रेसी लोग ही यहां बैठें और जो चाहें आप पास कर लें। हम लोग सदन से जाते हैं और जब तक वर्षाकालीन अधिवेशन रहेगा और जब तक बनारसीदास जी जैसे मंत्री रहेंगे, जिनकी विण्डिक्टिवनेस की भावना है, हम लोग नहीं रहेंगे।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी निश्चय विरोधी दल की ओर से हुआ है गंभीर परिस्थिति को देखते हुए वह निर्णय करना पड़ा है। लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है और हम चाहते थे कि विरोधी दल का कर्त्तव्य समझते हुए, जनता के प्रतिनिधि के नाते उसकी आवाज सदन में पहुंचाते, लेकिन जैसा कि इन चार दिन की घटनाओं से विदित है ऐसा करना असंभव प्रतीत होता है। भाषा विधेयक के संबंध में प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे देश में भावनायें हैं विशेष कर उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ की भावनायें हैं उनको सदन में व्यक्त करना आवश्यक था लेकिन जिस प्रकार से वह विधेयक लाया गया है मैं समझता हूं कि वह सरकार के लिये कोई गौरव की बात नहीं है। हम लोग इस बात को अनुभव करते थे कि भाषा विधेयक सरकार द्वारा नहीं लाना चाहिये था, उसे वापस करना चाहिये था, लेकिन जिस हुल्लड़बाजी से काम हुआ है, उसे हम समझते हैं।

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, जैसा कि हमको आभास होता है, बगैर आपकी कृपा के विरोधी पक्ष के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते और न हम अपने कर्त्तव्यों का पालन ही कर सकते हैं जिनकी कि जनता को हमसे अपेक्षा है। इसलिये जब हम लोग कर्त्तव्यों का पालन करना चाहते हैं तो सरकार बहुमत के आधार पर नियमों को गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर हमारे मुंह को बन्द करना चाहती है, इससे हमको कष्ट हुआ है। हमारा मुंह बन्द करने के लिये सरकार की तरफ से इस भाषा विधेयक के संबंध में भावनाओं को व्यक्त करने के लिये रोड़ा अटकाया जाता है। बहुत से हमारे सदस्यों को इंगित किया गया और बहुतों को बाहर किया गया। तो इन सारी परिस्थितियों में हम लोगों को लोकतंत्र के आधार पर कार्य करना असंभव-सा हो रहा है और एक प्रकार से ऐसा आभास होता है कि विरोधी दल चाहे काम करे या न करे, सरकारी दल अपने बहुमत के आधार पर सदन का कार्य चलाना चाहता है। भाषा विधेयक पर हम से सारे प्रदेश की जनता अपेक्षा करती थी कि हम उस पर अपना मत रखते, उसकी भावनाओं को व्यक्त करते, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया और हुल्लड़ में, जिसमें किसी की बात सुनाई नहीं देती थी, उसे पास करा लिया। अब सरकार सारा दोष ऐसी नाजायज बात करके विरोधी दल के सर मढ़ना चाहती है तो हम कहना चाहते हैं कि हम हुल्लड़ में विश्वास नहीं करते, करना भी नहीं चाहते, लेकिन सरकार मजबूर करना चाहती है हम अपनी बात न कह सकें, काम न कर सकें। विरोधी दल का काम करना असंभव हो रहा है अपने कर्त्तव्य का पालन वह नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां बैठने का मूल्य नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इस सरकार के अप्रजातांत्रिक रवैये से हम लोग सदन की कार्यवाही में यहां उपस्थित रहना उचित नहीं समझते। सरकार बहुमत के आधार पर ऐसा व्यवहार करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

चाहती है ओ उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग इस वर्षाकालीन अधिवेशन में भाग लेने में अपने को असमर्थ पाते हैं। मैं विरोधी दल की ओर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है, यह पहला अवसर है जब कि पूरे विरोधी दल ने अनुभव किया है कि सरकार विरोधी दल के साथ न्याय नहीं करना चाहती। इसलिये पूरे विरोधी दल को इच्छा न रहते हुए भी यह निर्णय लेना पड़ा है कि हम इस वर्षाकालीन अधिवेशन में भाग न लें। इसलिये मैं अपने सारे दल की ओर से निवेदन करता हुआ बाहर जाना चाहता हूं कि इन अव्यवस्थाओं में आपके वरद हस्त के बिना जब तक हमारे सारे अधिकार सुरक्षित न हों और सरकार के विंडिक्टिवनैस के रवैया में परिवर्तन न हो, लोकतंत्र में विरोधी दलों का भी स्थान है और उसे भी पूरा अवसर देना चाहिये, इसका अनुभव सरकार को न हो जाय, तब तक हमारे लिये यहां बैठना असम्भव है। हिन्दी भाषा विधेयक, जो गड़बड़ी में पास किया है, उसको वापस लें और तुरन्त खत्म करें ताकि जनता में शान्ति व्यवस्था आ सके।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे साथी, जैसा कि सदन के अंदर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है, उसके हिसाब किताब से, समझते हैं कि संसदीय संकट उत्पन्न हो गया है। जब सदन में संसदीय संकट उत्पन्न हो जाय तो मैं समझता हूं कि इसके संबंध में यह विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है कि आखिर यह क्यों हुआ। जब कारण हम देखते हैं तो विरोधी दलों का अपनी जगह पर कटु सत्य है कि जो भी कारण पैदा किया गया वह दरसल ट्रेजरी बैंच की तरफ से हुआ और उसके निराकरण के लिये विरोधी दल की तरफ से जायज बात रखने पर भी हुड़दंग समझते हैं। जो भी कहा गया वह इतना ठीक नहीं था कि वह शासक दल के उपयुक्त होता इतना भी ठीक नहीं था कि वह सोशोलिस्टि पैटर्न आफ सोसाइटी की हामी सरकार की ओर से होता, अगर वह गलती अनुभव करते थे, तो क्या यह सरकार का फर्ज नहीं था कि वह ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान करती जिससे यह संकट समाप्त हो जाता।

श्रीमन्, १७ और १८ तारीख का दिन हमारे लिये अच्छा नहीं था। जब कि खाद्य समस्या के ऊपर और अन्य समस्याओं के ऊपर हमारा सदन विचार कर रहा था तो ऐसा विधेयक अचानक आ गया जो कि कांग्रेस पार्टी के बीच में भी नहीं रखा गया तो मैं समझता हूं कि विरोधी दलों की ओर से वैधानिक आपत्ति उठाना न्यायसंगत था। जैसा कि स्टेटमेंट में अभी पढ़ा गया है, उसका मेरी पार्टी के सदस्य अक्षरशः समर्थन करते हैं और जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है, हम उस समय तक इस वर्षाकालीन अधिवेशन में भाग नहीं लेना चाहते हैं जब तक कि यह भाषा विधेयक को वापस नहीं लेते हैं और इस बात का सबूत नहीं देते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की भावना का आदर करती है। जिस तरह से यह विधेयक हुड़दंग में पास किया गया है उसको सरकार वापस ले और एक नई भावना का उदय करे जिससे विरोधी दलों की भावना का आदर हो सके जिससे निकट भविष्य में ऐसी चीज पैदा हो जाय जिससे यह संसदीय संकट दूर हो और जो बातें हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप में रखी हैं मैं उन सबका आदर करता हूं और हम अपने दल की ओर से घोषित करते हैं कि हम इस वर्षाकालीन अधिवेशन भर सदन में भाग नहीं लेंगे।

*चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

सरकारी बेंचों की हठधर्मी और सदारत की कुर्सी की लगजिश ने जरा-सी बात को अफसाना कर दिया। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि १७ अगस्त को २८ सदस्य निलम्बित हुये और उसके बाद १९ को पूरा अपोजीशन ही साफ कर दिया गया। यह कोई मामूली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात नहीं है। इसकी मिसाल इस देश में और बाहर कहीं भी नहीं मिलती है। यह एक ऐसा बदनुमा धब्बा इस कुर्सिये सदारत पर है और इस सरकार के माथे पर है जिसका मिटाना कोई आसान बात नहीं है। मान्यवर, लखपतराम शर्मा के प्वाइंट आफ आर्डर पेश करने पर और उग्रसेन और माननीय बनारसीदास के बीच में सख्त गुफ्तगू हो जाने की वजह से जो यह फिजा पैदा हो गई है उसका ठीक होना कोई मुश्किल काम नहीं था लेकिन ऐसी आबोहवा आज हो गयी जिसको कुर्सिये सदारत भी सम्हाल नहीं सकी है। इंसान एक अशरफुलमखलूकात है, क्योंकि खुदा अल्लाह, निरंकार ने उसको अक्ल दी है। अगर किसी इंसान के पैर में कांटा गड़ता है वह क्या करता है? एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर खामोशी से बैठ जाता है, पानी मिल जाता है तो पानी से धोता है नहीं थूक से उसे साफ करता है और देखता है कि कांटा कहां गड़ा है। सुई मिल जाये तो सुई की नोक से वरना एक मजबूत कांटा तोड़कर उस कांटे को अपने जिस्म से बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई जानवर हो, कोई गदहा हो, और उसकी दुम के नीचे कांटेदार झाड़ी रखी गई हो तो वह दुलत्ती मारेगा, तड़पेगा, बेतहाशा सीपों सीपों करता हुआ दौड़ेगा। नतीजा क्या होगा.....

श्री अध्यक्ष--

आपके भानु प्रतापसिंह घोषणा कर चुके थे, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी आप बोलें।

चौधरी अब्दुल हसीब खां--

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग सब बातें कहें तो कुछ नहीं लेकिन अगर हसीब सर भी झुकाये तो बगावत है। १० तारीख को विरोधी पक्ष की ओर से कोशिश हुई लेकिन उसके बाद भी जो आजका वातावरण है वह जम्हूरियत के शायाने शान नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जिस तरह से एक हुकूमत को चलाने के लिये एक पार्टी की जरूरत होती है उसी तरह से उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिये उसकी गलतियों को बताने के लिये विरोध की जरूरत पड़ती है। मान्यवर, शहंशाहियत में विरोधियों को बागी कहा जाता था और मैं समझता हूं कि बागी और विरोधी उस जमाने में अहम माने रखता था। विरोधियों को वह सजा दी जाती थी जो बहुत सख्त सजा होती थी। उनको हाथी के पैरों के नीचे दबाया जाता था, तोप के दहाने पर उनको रखा जाता था, लेकिन जम्हूरियत के राज्य में इस बात की जरूरत हुई कि विरोधियों को मौका दिया जाय और विरोध की जरूरत महसूस हुई। यह समझा गया कि बगैर विरोधीदल के सही रास्ते पर हकूमत नहीं चल सकती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये निकाले हुये माननीय सदस्य लाखों, करोड़ों आदिमयों के रिप्रिजन्टेटिव हैं। वह गवर्नर साहब की खिदमत में हाजिर हुये और वहां पर जनतन्त्र की दुहाई दी, लेकिन गवर्नर साहब ने जो कुछ ध्यान दिया, आपने या सरकार ने जो कुछ ध्यान दिया वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं आपके सामने ३०० साल पुरानी एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। अकबर बादशाह इस मुल्क में बादशाह हो गये हैं। अपने दौरे के सिलसिले में वह एक बारे बंगाल गये। वहां पर शिकार खेलते हुये शिकार की गोली से एक लकड़हारा मारा गया। वह इत्तिला बादशाह तक नहीं हो पाई.....

श्री अध्यक्ष--

इसको यहां पर सब जानते हैं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां--

मैं यह इसलिये बतला रहा हूं कि गवर्नर साहब के पास सब मेम्बर साहबान गये, लेकिन उन्होंने क्या किया।

श्री अध्यक्ष--

इन सब बातों के बाद आप यहां की कार्यवाही में भाग न लें तो फिर इसके कहने से क्या फायदा होगा ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां--

आप मुझे मौका दें । यह कहानी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये फिर आपको मौका मिल सकता है ।

(व्यवधान)

(इस के उपरान्त विरोधी दलों के सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खेद है कि ३, ४ दिन से अस्वस्थ रहने के कारण मैं यहां सदन में न आ सकी । इस दौरान में इस सदन में ऐसी-ऐसी बातें हुई हैं, जिससे मुझे काफी परेशानी पैदा हो गई । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आज से नहीं, कई साल से कभी कभी ऐसी कार्यवाही हो रही है जिससे बाहर से लोगों के मन में यह शक होने लगा है कि प्रजातंत्र के ढांचे में इस प्रान्त का काम चलेगा या नहीं । मैं इस बात को मानती हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश में थोड़े दिनों से ही आई है, मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूरे देश में और इस प्रदेश से आने के पहले भी कई साल से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ढांचा चल रहा था । उस समय लोगों को कैसा आचरण करना चाहिये ये चीजें लोग सीख रहे थे और जान रहे थे । मुझे याद है इसी सदन में जब मैं पहली बार सन् १९४६ में आई थी और उस समय जिस तरीके से काम होता था वह एक ऊंची मर्यादा रखता था । लोग अपोजीशन में थे, सख्त विरोध करते थे, मगर कानूनी तरीके से विरोध करते थे । मुझे इतना ही कहना है कि भारतवर्ष में पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हम लोगों ने कायम की है और यह यहां कायम रहेगी ।

हम लोग किसी के वाकस्वातंत्र्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । इस हाउस में जिस को जितना कहने का अधिकार है वह जरूर उतना कहे और उसमें अगर कहीं किसी के मन में यह खयाल होता है कि आपने उसे या किसी और को मौका नहीं दिया तो वह खयाल गलत है । आप स्पीकर की हैसियत से हर सदस्य के वाक स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं । उस दिन जो जो बातें हुईं उनको पूरी तरह जानने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया, मगर जब भाषा विधेयक पहले अनुज्ञा के लिये रखा गया उस समय भी लोगों ने काफी शोरगुल का वातावरण यहां पैदा किया । जब वह कंसीडरेशन के लिये रखा गया तो यह सवाल उठाया गया कि यह एडवाइजरी कमेटी के सामने नहीं गया इसलिये यहां नहीं आ सकता । तब आपने रूलिंग दी कि वह यहां आ सकता है और उसके बाद सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया कि जो जितना चाहे उस पर बोले । किसी के बोलने में कोई बाधा नहीं होगी । यह बिल बहुत छोटा सा था और उसका मकसद यही था कि पहले अंग्रेजी में जो कानून पास हुए हैं उन कानूनों में अगर तरमीम करने की आवश्यकता हो, तो अंग्रेजी में ही तरमीम हो सके । जाहिर बात है कि अंग्रेजी के कानून में अंग्रेजी में ही तरमीम हो सकती है । अगर हम इस तरह का बिल इस समय न पास पास करें तो जनवरी २६, १९६५ के बाद किसी भी अंग्रेजी के बिल में अंग्रेजी में तरमीम नहीं ला सकेंगे जब तक कि सारे कानूनों का तजुर्मा हिन्दी में न हो जाय । इस कम समय में यह होना मुश्किल है ।

यह प्रान्त हिन्दी भाषा भाषी है और यहां हिन्दी की तरक्की दिनों दिन हो रही है और इस सरकार का कतई मंशा नहीं है कि किसी तरह से भी हम पीछे के दरवाजे से अंग्रेजी को यहां ले आयें। मैं चाहती हूं कि हमारी सारी कार्यवाही हिन्दी में हो और अगर केन्द्रीय सरकार के होम डिपार्टमेंट से, ला डिपार्टमेंट से और हमारे एडवोकेट जनरल से, कांस्टीट्यूशनलिस्ट्स की तरफ से हमको यह सलाह न मिलती कि अगर हम यह बिल नहीं पास करते तो जनवरी के बाद अंग्रेजी के कानूनों में तरमीम लाने में अड़चनें पड़ेगी तो हम इस तरह का बिल न पास करते। जब हमारा तर्जुये हो जायगा सारे कानूनों का, तब हमको एक बिल इस तरह का पास करना पड़ेगा कि हिन्दी के तर्जुये को अथाराइज्ड वर्जन माना जाय और अंग्रेजी के कानून को उस का ट्रान्सलेशन माना जायगा। यह तर्जुमा इस समय होना संभव नहीं है। हमने इसके लिये एक कमेटी अप्वाइंट की है और मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी यह काम हो जाय। हम इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। इस समय जो नये बिल आ रहे हैं उनको हम हिन्दी में पास करते हैं। उसमें ट्रांसलेशन का काम काफी करना है, लेकिन अभी लोग आदी नहीं हुए हैं ओरिजिनल ड्राफ्ट हिन्दी में करने के।

मैंने इस बिल के आने के पहले उग्रसेन जी से, उनकी पार्टी के लोगों से और जन संघ के श्रीपाल जी से तथा दूसरे लोगों से बात मैंने इस बिल के आने के पहले उग्रसेन जी से, चीत की और उनको समझाया कि इस बिल के लाने से कतई यह मंशा हमारा नहीं है कि हम अंग्रेजी का दरवाज खोल दें। हम तो अंग्रेजी का दरवाजा बंद कर रहे हैं। केवल मात्र इस काम के लिये कि अंग्रेजी के बिलों में अंग्रेजी में ही अमेंडमेंट लाये जा सकें, यह बिल लाया जा रहा है। उन्होंने मेरी बात समझी नहीं, अथवा समझनी नहीं चाहीं तो उन से मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग विरोध में हैं, विरोध करिये। वह कांस्टीट्यूशनल है, जरूर होना चाहिये। खैर, इस समय मुझे डर लगता है कि अपोजीशन की तरफ से कुछ लोग चाहते थे कि यह बिल पास न हो और यह अड़ंगा उठाया कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह नहीं आया है। उस कमेटी का यही काम है कि हमारे पास सीमित समय है, उसमें कितना टाइम किस किस में दे सकते हैं, यह बिजनेस है। क्योंकि ऐसा सेंटीमेंट था इसीलिए असीम समय रखा गया, आपने रूलिंग भी दी कि समय की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद भी जो हल्ला-गुल्ला हुआ तो कुछ कार्यवाही करनी पड़ी और मुझे दुःख है और अगर यह न कर सकते होते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं विरोधी दल के सब माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हूं कि हम लोगों का किसी की मंशा नहीं है कि आपके प्रति उन सम्मान दिखाएं, आपका हक ले लें, उसमें हस्तक्षेप करें। हम चाहते हैं कि आप बाइज्जत बैठ कर यहां काम करें, लेकिन जो हाउस का प्रोसीड्यूर है, तरीका है, वह भी मानना चाहिये। अगर हम मेम्बरान यह सोचें कि यहां काम चलाने के सारे नियमों का उल्लंघन करें तो हाउस का काम चल नहीं सकता है।

सदन में हमने आपको अध्यक्ष बनाया, हमने आपको इनवेस्ट किया है शक्ति से, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर चेयरमैन न रहे, कानून न रहे तो इस सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। हमने यह नियंत्रण स्वतः लगाया है। आज केवल हमारा ही नहीं, बल्कि हमारा और अपोजीशन दोनों का कानून में हाथ है, सब लोग मिलकर फैसला करते हैं। कानून के प्रति वफादारी की जिम्मेदारी सरकार ही नहीं है, अपोजीशन भी है और अगर सब मिल कर काम करें तो इस सदन की कार्यवाही कानन से होगी। जो चाहें अपने मत व्यक्त करें। मुझे बड़ा खेद है कि हमारे मुल्तान सिंह जी ने कुछ भाषा का प्रयोग किया, उसके बारे में आप शायद कुछ कहेंगे। मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। मैं जब दिल्ली से आयी और पार्टी मीटिंग में गयी तो जितनी बहनें मेम्बरान हैं वह दुखी, नाराज और अपमानित अपने को समझती हैं, ऐसा मैंने देखा। भारतवर्ष में तो अभी कुछ साल पहले स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए उतरी हैं और भी इसलिए उतर पायीं कि हमारे बड़े भारी नेता महात्मा गांधी जिनका मारल स्टैन्डर्ड इतना ऊंचा था उनका साया हमारे ऊपर था जिसके कारण हम बाहर निकल कर काम करने में समर्थ हुईं। हमारे मर्द कभी उसको बरदाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उनके आशीर्वाद और देख-रेख में, उनके रक्षण के नीचे हम लोग आयीं और पब्लिक जीवन में भाग लिया, जेल गयीं, लाठी और गोलियां हमने खायीं और हर किस्म के कष्ट अंग्रेज के इसलिए बरदाश्त किये कि हम भारतमाता को स्वाधीन देखना चाहती थीं, भारत में औरत और मर्द का समान अधिकार देखना चाहती थीं। आज भी थोड़ी ही स्त्रियां बाहर आयी हैं, ज्यादा तर स्त्रियां घर में बैठीं हुई हैं। वह सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए बाहर आयी हैं। अगर इस समय उन लोगों के प्रति इस प्रकार के असम्मानसूचक शब्द इस्तेमाल कोई करे तो उसका नतीजा यह होगा कि हम पीछे जायंगी और जो हमने प्रगति की है, जो सार्वजनिक जीवन में हम फख्र करती हैं, इंटरनेशनल गैदरिंग्स में बाहर जाती हैं और मरदों के मुकाबले में बराबरी और सम्मान का भाग लेती हैं वह सब समाप्त हो जायगा। आज दूसरे मुल्कों की स्त्रियां कहती हैं कि भारत थोड़े दिन हुए स्वाधीन हुआ है, वहभले ही सामाजिक तरीके से पिछड़ा हुआ हो, लेकिन वहां की औरतों को जो अधिकार प्राप्त हैं वह आज बहुत से प्रगतिशील मुल्कों की औरतों को भी प्राप्त नहीं हैं। यह सम्मान अर्जन करना इसलिए संभव हुआ कि हमारे भाई, पिता और बच्चों ने हमें इज्जत दी और हम लोगों को बाहर आने का मौका दिया। अगर उस रास्ते की प्रगति को हम पीछे मोड़ना चाहते हैं तो क्या यही तरीका है कि हमको पब्लिक में बेइज्जत किया जाय? मुझे उसका बड़ा खेद है और मुझे नहीं मालूम मुल्तानसिंह जी उस का क्या जबाव देंगे। उन्होंने उन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके भारत की नारियों का अपमान किया है। मैं कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मगर यह बड़े शर्म की बात है, इससे ज्यादा मैं और कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती और मैं अपनी बहनों को यह यकीन दिलाती हूं कि जो हम लोगों का अपमान करता है वह अपना अपमान करता है। वह अप-शब्द हमको नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पवित्र सेवा भाव से बैठे हैं, जनता की सेवा के लिये बैठे हैं, वह गाली हमको नहीं लगती। हम लोग गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं, यह बड़ा गलत है, एक शिक्षित जमात को ऐसा नहीं चाहिये। यहां तो एक एक व्यक्ति लाख लाख और डेढ़ डेढ़ लाख व्यक्तियों का नुमाइन्दा है, उसके इलाके में उसकी इज्जत है, उसका एक सम्मान है, उन लोगों का आदर और सम्मान लेकर हम लोग यहां आते हैं और जब हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो उससे अपने प्रान्त का असम्मान होता है। अगर हम लोग गलत व्यवहार करते हैं तो हम लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते। जो अपोजीशन के कुछ लोग बैठे हैं उनसे और जो चले गये हैं उनसे, मैं यह अपील करना चाहती हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि आपके अधिकारों को किसी ने छिन्न-भिन्न किया है, यह गलत है। आपके अधिकारों को छिन्न-भिन्न करने किसी की मंशा नहीं है। आपके सम्पूर्ण अधिकार इस हाउस में सुरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके दिल में भी यही इच्छा रहती है कि किसी का अधि-कार छिन्न न हो और मैं तो आपसे यह भी कहूंगी कि आप उनके अधिकारों की रक्षा करें और अगर हमारी तरफ से भी कोई गलती हो तो आप हमें रोकें, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। सब के अधिकारों को सुरक्षित रखने का हमारा कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं और सभी विरोधी पक्ष के भाइयों से यह अपील करती हूं कि वे इस सदन का काम सुचारुरूप से चलने में अपना हाथ बटायें। हम सब लोगों को मिल कर काम करना है और उत्तर प्रदेश का सम्मान रखना है। कल की घटना को मैंने दिल्ली में अखबारों में पढ़ा। जब मैं वहां मीटिंग में गयी तो सबसे पहले वहां पर लोगों ने मुझसे यही पूछा कि क्या मैं कुरुक्षेत्र से आ रही हूं? यह एक कटाक्ष सा किया गया। हमारे प्रान्त के ही लोग कह रहे थे, क्योंकि वे शर्मिन्दा हैं। इसलिये मैं चाहती हूं कि इस सदन में ऐसे ढंग से कार्यवाही हो जिससे हमारा सर ऊंचा रहे और हम पब्लिक के सामने एक नमूना पेश कर सकें। अगर गुस्सा भी आये तो हमको अपनी जबान पर काबू रखना चाहिये। जो कायदे कानून हैं उनका हमको पालन करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और मैं

क्या कह सकती हूं। मैं चाहती हूं कि यहां की कार्यवाही अच्छी तरह से चले। मुझे मालूम हुआ कि यहां पर किसी ने जूता उठा कर भी मेज को थपथपाया। ख्रुश्चेव साहब ने जूता जरूर उठाया था, मगर दुनिया ने उसके बारे में क्या कहा? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, मगर ख्रुश्चेव साहब ने जो अच्छे काम किये हैं उनको आप अपनाइये। इस गुस्से को समाप्त कर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दीजिये। मैं आप सब को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हर एक का हक इस आदरणीय सदन में हर तरह से सुरक्षित रहेगा।

(श्री अध्यक्ष खड़े हुए)

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हो गया हूं। पहले मुझे कह लेने दीजिये।

मुझे इस बात का हार्दिक दुख है कि हम विरोधी दल के परामर्श से वंचित हो रहे हैं। हम इस बात को अनुभव करते हैं कि जो माननीय सदस्य—चाहे वे विरोध पक्ष के ही क्यों न हों—चुन कर आये हैं वे जनता की आवाज लेकर आये हैं और उनको अधिकार है कि उस आवाज को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। मेरा ऐसा भी विश्वास है और मैं प्रत्येक विरोध पक्ष के सदस्य से निवेदन करूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी में भी ऐसे सदस्य हैं, और जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वह, वह हैं जिन्होंने अपने यौवनकाल से भारत की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। इसमें वे लोग हैं जो विरोध पक्ष के भागने की इच्छा रखते हों, यह बात गलत है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इसमें वे नहीं हैं जो विरोध से या संघर्ष से भागते हों या संघर्ष द्वारा अपने विचारों को परिमार्जित और परिष्कृत करने से घबराते हों। ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें वे लोग हैं जिन्होंने हजारों संघर्षों में भाग लिया है और एक विदेशी का मुकाबला किया है और आज वे अपने घर के भाइयों की बात सुनने में घबराते हों, यह कैसे हो सकता है? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर वे विचार करें।

विचार करने की बात है कि हम २७ तारीख को बैठे। उस दिन हमारे प्रातःस्मरणीय नेता प्रधान मंत्री के निधन पर हमने शोक प्रकट किया। उस समय भी विरोधी दल के एक सदस्य ने कुछ व्यवधान उपस्थित किया मगर सौभाग्य से उन्हें उस समय समझ आ गई और वह खामोश हो गये। २८ तारीख को मैं यहां उपस्थित था। यहां कोई काम नहीं हुआ और इस कारण से नहीं हुआ कि मैंने और कांग्रेस दल ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने, केवल विरोधी दल के विचारों का आदर करते हुए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, सदन की बैठक को स्थगित कर दिया और कोई काम नहीं किया। फिर, उनकी इच्छानुसार दूसरे दिन हमने अविश्वास के प्रस्ताव को लिया और ,जब कि साधारणतया ऐसे प्रस्ताव पर २ या ३ दिन बहस होती है मैंने ४ दिन उसके लिये दिये। एक तरह से सोचिये तो मैंने गलती की। मुझे चाहिये था कि, सदन के नेता से परामर्श करता लेकिन नहीं किया। केवल विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने ४ दिन के लिये अपनी सहमति दे दी।

उसके बाद यह भाषा विधेयक आया। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि कार्य-मंत्रणा समिति में हमने उनको समय देना उचित नहीं समझा। यह १७ तारीख की कार्यवाही है। माननीय बनारसीदास ने कहा कि आज हमने एक दिन के लिये रखा है लेकिन सदन चाहे तो २ दिन विचार कर सकता है। तदुपरान्त माननीय नवल किशोर जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जहां तक समय की बात है, आप चाहें तो इस पर २ दिन बहस कीजिये, ३ दिन बहस कीजिये। यह हाउस के ऊपर है। जब मैंने अपनी व्यवस्था दी, तो मैंने कहा कि बगैर कार्य-मंत्रणा समिति के आपको अधिकार है कि तीनों वाचनों के लिये हम १५ या १० या २ दिन

[श्री अध्यक्ष]

इस पर बहस के लिये रखें। उसके बाद मैंने कहा कि उस बारे में कोई नियंत्रण इस समय नहीं है। अनियंत्रित रूप से यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है, अनरिस्ट्रिक्टेड आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। इतनी बातें कह दी गईं। उस पर आक्षेप आज तक यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति में नहीं भेजा गया। कार्य-मंत्रणा समिति का कृत्य यह है कि वह समय को निर्धारित करके समय काट ले। बगैर कार्य-मंत्रणा समिति में जाये हुए सदन को अधिकार है कि बिला किसी समय के नियंत्रण के जितना समय चाहे उस पर ले सकते हैं। तो कौन-सी गलती हुई, मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात यह कही जाती है कि सदन के सामने एडवोकेट जनरल की राय नहीं रखी गई। यहां एक बार नहीं, कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और निश्चय हो चुका है कि इस सदन के सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह एडवोकेट जनरल को स्वयं सुने। मैंने सदन को बतलाया कि उनकी यह लिखित सम्मति है, और उस पर यह कहना कि एडवोकेट जनरल का बयान नहीं कराया जाता यह हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना हो रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा मत है कि सरकार और विशेष रूप से हमारे मंत्री, संसदीय विभाग, प्रयत्न करें कि हम अपने विरोधी दल के सदस्यों को इस सदन की कार्य-वाही में भाग लेने के लिये विवश अगर नहीं कर सकते तो कम से कम राजी करने का प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी शर्तें रखी गई, जैसे कि भाषा विधेयक वापस हो, उस सम्बन्ध में कहां तक नियम इस बात की इजाजत देता है, संदिग्ध बात है। जहां तक मैं समझा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चाहें भी तो कानून की दृष्टि से नहीं हो सकता। जिस बात को, जिस अवसर को, आपने स्वयं अपने व्यवहार से खोया हो, उस बात के लिये आज जिद करना मुझे कोई तर्क-संगत नहीं मालूम होता। मुझे खेद है कि आज भी और पहले भी यह संकेत किया गया कि इस पीठ से जो व्यवस्थायें हुईं वे विरोधी दल के अधिकारों के संरक्षण में नहीं हुईं। नियम १२५ के अन्तर्गत अवैधानिक आपत्ति कि इस सदन को क्षमता है या नहीं किसी कानून के पास करने की, उस समय यह संवैधानिक प्रश्न उठाया जा सकता है जबकि विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी जाय। उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया गया। उसके बाद, जिस दिन विचार के लिये प्रस्ताव आया, तो केवल विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने यह कहा कि चूंकि यह एक ऐसा प्रश्न है कि जो इस विधान की रूट में जाता है, मौलिक प्रश्न है, इस वजह से आप इस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उन्होंने विचार प्रकट किये। हमारे सभी संसदों में और विधान सभाओं में यह निश्चित मत हो गया है कि जहां किसी प्रश्न पर संदेह हो और कानूनी वैधानिक प्रश्न हो वहां पर अध्यक्ष जज की हैसियत से निर्णय नहीं दे सकता और उसके लिए आवश्यक यह है कि यह यथाशक्ति विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्यों के ऊपर छोड़ दे कि वह निर्णय लें कि यह कानून बनना चाहिये या नहीं बनना चाहिये। लेकिन यह अधिकार अध्यक्ष ने कभी नहीं लिया कि जज बन कर वह निर्णय करे।

एक बात बहुत कही गई है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने श्री लखपतराम शर्मा को व्यवस्था के प्रश्न पर सुनना स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वह क्या परिस्थिति थी। लेकिन जो मैंने कार्यवाही पढ़ी उस कार्यवाही में सूरत यह थी कि मेरा एक विषय पर निर्णय हो चुका था, माननीय मुख्य मंत्री को मैंने बुला लिया था कि वह अपना प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार हो प्रस्तुत करें। इस बीच में माननीय लखपतराम शर्मा खड़े हुए। जब कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं था इस सदन के समक्ष तो कैसे कोई व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता था? यह कानून और विधान है। अगर उनको कोई वैधानिक प्रश्न उठाना था तो वह उसी समय उठा सकते थे जब कि माननीय मुख्य मंत्री अपना प्रस्ताव रख देते। एक विषय के समाप्त होने और दूसरे विषय के प्रारम्भ होने के बीच में जो समय होता है उसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता और मैं समझता हूं कि कानून की दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय बिलकुल ठीक थे। अगर मान

लिया जाय कि कानून की दृष्टि से वह सही नहीं थे तो भी स्पष्ट नियम है कि अगर प्वाइंट आफ आर्डर व्यवधान के लिए उठाया जाता है और पीठासीन महोदय का यह मत हो कि व्यवधान के लिए यह प्रश्न उठाया जा रहा है न कि कार्यवाही के लिए तो उनको अधिकार है कि वह कहें कि हम अभी नहीं सुनेंगे। तो प्रश्नकर्त्ता का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बैठ जाय और फिर अपना प्रश्न किसी समय रखे। मैं समझता हूं कि प्रत्येक पीठासीन सदस्य उसको सुनने के लिये तैयार रहेगा। तो नियम बने हुये हैं। हो सकता कि हम किसी समय नियमों को शिथिलता से कार्यान्वित करें, किसी समय कड़ाई से करें, वह तो जैसा अवसर होता है, वैसा होता है।

तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा अब भी आग्रह है विरोधी दल के सदस्यों से कि हमें इस बात में खुशी होगी, हम इस बात को सौभाग्य समझेंगे अपने प्रदेश का और उन लोकतांत्रिक प्रणालियों का जिनको समृद्ध करने के लिये यह सदन बैठा है और जिनको समृद्ध करना उनका भी कर्त्तव्य है कि वह आयें और हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम उनको यथाशक्ति राजी करें कि वह इसमें सम्मिलित हों और मैं आशा करता हूं कि सरकार के जो कार्यकर्त्ता हैं वह इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। इसका तो हमें खेद है ही कि आज हम उनकी सेवाओं से वंचित हैं।

अब मुझे दुख है कि आज भी प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मुल्तानसिंह द्वारा १९ अगस्त, १९६४ का प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्य

श्री अध्यक्ष—

अब जिसका संकेत माननीय मुख्य मंत्री ने किया है वह बड़ी ही दुखद घटना है। दुख इस बात का है कि वह महानुभाव यहां नहीं हैं लेकिन जो उनके वाक्य हैं, वह मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। (व्यवधान) सदस्य का नाम है मुल्तान सिंह, एस० एस० पी० के सदस्य हैं। कहते हैं—

"देखिये यह आपकी (अर्थात् उपाध्यक्ष महोदय जो यहां बैठे थे, उनकी) और इस सरकार की नादिरशाही, हिटलरशाही, कंसशाही और रावणशाही चलने वाली नहीं है। आज नादिरशाही में जो लोग कुर्सी पर बैठे हुये हैं वे अपनी बेशर्मी से बैठे हुये हैं, यहां भी और दिल्ली में भी। ये बेशर्म रंडियां आज कुर्सी पर बैठी हुयी हैं (शेम शेम की आवाजें)। ये सब नाकाबिल हैं। देश में भुखमरी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।"

पहलान जो बेशर्मी शब्द है वह मैं समझता हूं असंसदीय है लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये उसको हम नजरअन्दाज भी कर दें तो यह शब्द "यहां पर बेशर्मी से बैठे हुये हैं। यहां भी और दिल्ली में। ये बेशर्म रंडियां आज कुर्सी पर बैठी हुयी हैं।" इनके बारे में मैंने इस खयाल से शायद माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ कहना हो, उनको कुछ स्पष्टीकरण देना हो, मैंने उनसे फोन पर बातचीत की कि ऐसे शब्द अत्यन्त अशोभनीय है, विशेष कर इस कारण से कि जब हमने एक महिला को इस सदन का नेता बनाया है, जब हमारे यहां इतनी महिला सदस्या हैं, उनके सामने इस तरह के शब्द कहना असभ्यता है। वह इस सम्बन्ध में लिख कर भेज दें। उन्होंने लिखा, मान्यवर, आपने फोन के द्वारा कल के शब्दों के बारे में मुझसे कहा है। मैंने व्यक्तिगत प्रहार किया है, ऐसा नहीं है मैंने जो कुछ कहा है सरकार को कहा है। यह उन्होंने लिख कर भेजा है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो शब्द यहां लिखे हुये हैं, उनसे इंकार नहीं किया है। मैंने जब यह देखा कि आज प्रातःकाल फिर बुलाया और बुलाकर पूछा कि इस सम्बन्ध में उनको जो कुछ कहना है लिख करदें उन्होंने यह कहा कि मेरे पास अभी भाषण की प्रतिलिपि नहीं आयी है, इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन उनकी बातचीत से मैंने यह अन्दाज लगाया कि वे इंकार नहीं करते हैं कि उन्होंने शब्द "रंडियां" इस्तेमाल किया है। मैंने उनसे कहा कि आप कौंसिल हाउस आकर मित्तल जी (सचिव, विधान सभा) से मिल लीजिये और अपने भाषण की प्रतिलिपि लेकर लिखित दे दीजिये। मित्तल जी, (सचिव विधान सभा), से मालूम हुआ कि वह उनसे

[श्री अध्यक्ष]

नहीं मिले हैं। अतः मैं इसको सोमवार तक के लिये स्थगित करता हूं और उसकी एक प्रतिलिपि उनके पास भेज दूंगा। अगर सोमवार तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तो मैं इसको इस आदरणीय सदन के सामने विचारार्थ और उचित कार्यवाही हेतु रखूंगा।

फतेहपुर जिले की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब श्री रामकिशोर वर्मा जी की एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत आयी है। उसको मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी को भेज दिया है। सचिव इस को पढ़ कर सुना देंगे।

दूसरी बात एक और कहना है। चूंकि विरोधी दल इस समय यहां नहीं है अतः माननीया मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि कांग्रेस वालों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है कि वे बैठ कर कार्यवाही में भाग लें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि परसों जब मैं यहां से उठ कर चला गया तो महापालिका विधेयक पर विचार हो रहा था, उस समय कोरम नहीं रहा। यह गलत बात है।

सचिव विधान सभा—

"अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं।

फतेहपुर जिले के शहरी व ग्रामीण अंचलों में जन-साधारण के कष्ट निवारणार्थ शासकीय आदेशानुसार स्थापित की गयी राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानें जिनसे जिले की जनता को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करने की व्यवस्था की गयी है, दूकानें प्रारम्भ से अब तक रिटेलर्स को सरकारी गोदाम से खाद्यान्न ले जाने में जो मार्ग व्यय तथा चुंगी देनी पड़ती है तथा जिसके देने का उत्तरदायित्व खाद्य विभाग पर होता है, अब तक रिटेलर्स के अथक प्रयासों के पश्चात् भी नहीं मिल सका है। जिसके परिणामस्वरूप उन रिटेलर्स के समक्ष जो अपनी थोड़ी-सी पूंजी लगाकर अपना कार्य करते थे, विषम परिस्थिति पैदा हो गई है और वे दूकान छोड़ देने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा उनमें सरकार और जिला अधिकारियों की इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण घोर असन्तोष एवं कटुता की भावना व्याप्त होती जा रही है और वह इस प्रयास में हैं कि वह किसी क्षण एक साथ गल्ला उठाना बन्द कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो जिले के उन जन-साधारण में जो केवल राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों पर आश्रित हैं, एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी तथा उसका तत्कालीन प्रबन्ध करना शासन के लिये कठिन हो जायगा और आश्रित जनता भूख से कराह उठेगी।

इसलिये आपके द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर प्रदेशीय सरकार के खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर समस्या की तत्कालीन व्यवस्था की ओर निवेदन करता हूं।"

देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी में एक नाव डूब जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मद नं० ७।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

११ अगस्त, १९६४ को प्रातः काल लगभग साढ़े आठ बजे एक नाव छोटी गंडक नदी म छटियांव तथा माधवपुर के बीच डूब गई। इस नाव में २७ व्यक्ति माधवपुर तट से बैठे थे, जिनमें २ शिशु तथा ११ विद्यार्थी भी थे। कुछ यात्री अपने साथ धान की गठरियां

रोपने हेतु लिये जा रहे थे। जब नाव बीच धारा में पहुंची तो नाविक से लुग्गी ढीली पड़ गई और नदी में फंस गई। हवा तेज चलने के कारण नदी का पानी कुछ अशान्त था, परन्तु कोई बाढ़ नहीं थी। लुग्गी फंस जाने के कारण नाव अपने आप बहने लगी और एक आयरन एंगिल (Iron Angle) जो नदी की धार में बल्लियों को डुबाने हेतु लगाया गया था, उस से टकरा गयी। नाव में जो बच्चे थे उन्होंने आयरन एंगिल को पकड़ने का प्रयत्न किया जिस से वह भी टूट गया और नाव पर आ गया। नाव उलट गयी और इस में ७ आदमी डूब गये।

२—नाविक श्री कान्त अहीर है तथा माधवपुर का रहने वाला है। वह कुछ दिनों से नाव चलाने का काम कर रहा है। इस दुर्घटना के पश्चात् एक मुकदमा धारा ३०४-ए भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया तथा श्रीकान्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

३—लगभग साढ़े ग्यारह बजे दिन के श्री गोवर्धन राम, हेड कांस्टेबिल और एक सिपाही जो उस क्षेत्र म गश्त पर था सूचना मिलने के उपरान्त वहां पहुंचे और प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर नदी में मृतक व्यक्तियों की खोज की। हाकिम परगना १२ तारीख को वहां पहुंचे तथा पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश भी १३ तारीख को दुर्घटना स्थल को देखने गय। इस दुर्घटना का सम्बन्ध ग्राम सरौरा से सस्ते गल्ले की दूकान हटाये जाने से नहीं था। वास्तव में ग्राम सरौरा, ग्राम रामपुर अवस्थी की सस्ते गल्ले की दुकान पर लगा हुआ है और वहां क निवासियों को इस कार्य के लिये बैकुण्ठपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

४—इस घाट पर कोई बड़ी नाव या जाल इस कारण नहीं था कि यह घाट छोटा है और यहां छोटी नावें ही यातायात के लिये पर्याप्त हैं।

५—डूबने वाले व्यक्तियों में से पारसनाथ (आयु १८ महीना) का मृतक शरीर दुर्घटना के लगभग ढाई घंटे पश्चात् मिल गया था। साधो तथा जग्गू, दो अन्य व्यक्तियों के मृतक शरीर भी १८ तारीख तक मिलने की सूचना है, परन्तु इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है। अन्य डूबने वाले व्यक्तियों के मृतक शरीर अभी (१८-८-६४) तक नहीं मिले हैं। खोज करने वाली पार्टियां भेजी गयीं, परन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाव खेने वाला था उसका लाइसेंस फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत हो गया था या नहीं हुआ था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसकी सूचना तो नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग डूब गये थे उनमें जिनकी लाशें नहीं मिलीं, उनकी लाशों को बरामद करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये खोज करने वाली पार्टी भेजी गयी है और वे इसके लिये बराबर प्रयत्नशील हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह नाव टूटी हुयी है और उसी हालत में थोड़े दिनों से चल रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसकी तो सूचना नहीं है कि नाव टूटी हुई है, हां, उसमें आदमी ज्यादा बैठे हुये थे ।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस नाव पर एक बहुत बड़ा व्यापारी करीब ५० हजार रुपया लेकर बैठा हुआ था और उसके रुपये लूटने की गरज से ही वहां के लोगों ने नाव डुबाई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी एक स्पेशल आदेश दे करके ऐसी जगहों की तमाम नावों की जांच करायेंगे ताकि जो स्वस्थ और अच्छी नावें हों वे ही चलने पावें ?

श्री बंशीधर पांडेय--

नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत ही वे नावें चलती हैं और नियमानुसार उनकी जांच साल-ब-साल होती रहती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो व्यापारी था उसके पास ज्यादा पैसा होने की सूचना नाव खेने वाले मल्लाह को पहले ही से थी, और कहा जाता है कि वह कुछ केसेज में पहले भी इनवाल्व रहा है और जिसमें उसको सजा भी हो चुकी है, और उसने जानबूझ कर ही यह ऐक्सीडेन्ट किया, इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

उसको तो पकड़ कर उसके खिलाफ ३०४-ए का मुकदमा दायर हो गया है और अब उस पर मुकदमा चलेगा । अभी जांच हो रही है और जांच होने के बाद अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उस पर और भी कार्यवाही की जा सकती है ।

१९६४-६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रथम अनुपूरक अनुदान जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है २२,३६,८५,००० रु० का है और यह बात सही है कि इतना बड़ा अनुपूरक अनुदान इस से पहले कभी नहीं आया है । बल्कि कई अनुपूरक अनुदान जो पिछले ४ सालों में आये हैं उनके जोड़ की धनराशि २१ करोड़ से कभी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आज प्रदेश के सामने जो विशेष परिस्थिति थी उसके कारण ही इतनी बड़ी धनराशि का यह प्रथम अनुपूरक अनुदान हमें लाना पड़ा । इन अनुपूरक अनुदानों की करीब-करीब सारी धनराशि नयी सेवाओं या नये आइटम्स के लिये मांगी गयी हैं । अनुपूरक अनुदान कई कारणों से सदन के सामने आते हैं ....

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस बजट के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं उसकी कापियां हमारे सामने हैं नहीं, फिर कैसे सुना जाय और मालूम किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

उसकी कापी आपके घर पर होगी, शायद आप उसे भूल आये। जिस दिन प्रथम अनुपूरक अनुदान पेश हुये थे वह बांट दी गई थीं।

श्री जयराम वर्मा—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें कई परिस्थितियों में सदन के सामने लायी जाती हैं। एक तो यह कि अगर मूल बजट में किसी ग्रान्ट के अन्दर किसी विशिष्ट सेवा के लिये स्वीकृत धनराशि अपर्याप्त होती है साल भर के लिये या ऐसी सेवाओं और ऐसे आइटम्स के लिये रुपये की आवश्यकता हो जिनके बारे में मूल बजट तैयार करते वक्त न सोचा जा सका हो और जिनका लाना बहुत जरूरी हो और अगले बजट तक जिनके लिये प्रतीक्षा करना हानिकर होता है या ऐसी स्थिति हो कि किसी ग्रांट के किसी सब-हेड में धन उपलब्ध हो लेकिन उसके उस सब-हेड में खर्च होने की संभावना न हो और दूसरे में उस खर्च की आवश्यकता हो या मूल योजना हो, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया हो जिसके कारण सदन के सामने उसको लाना जरूरी हो। ऐसी स्थितियों में अनुपूरक अनुदानों को सदन के सामने स्वीकृति के लिये लाना जरूरी होता है। इसमें करीब-करीब सब धनराशियां जो मांगी गई हैं वह नई सेवाओं या नये आइटम्स के लिये मांगी गई हैं और एक विशेष परिस्थिति में ऐसा हुआ है। यह जो अनुपूरक अनुदान २२,३६,८५,००० रुपये के सदन के सामने प्रस्तुत किये गये हैं, इनका ब्रेकअप इस प्रकार है।

नान प्लान में रेवेन्यू एकाउन्ट के अन्तर्गत १,४८,८३,४०० रुपये की मांग और प्लान में २,२१,६०,१०० रुपये की है और कैपिटल एकाउन्ट जो रेवेन्यू एकाउन्ट के बाहर होता है उसमें नान-प्लान में १२,२०,३२,३०० रुपये की और प्लान में ८३,०२,१०० रुपये की मांग है। इसी तरह से लोन्स एन्ड एडवान्सेज के डिसबर्समेंट में नान-प्लान में मांग है ११,२६,००० रुपये की और प्लान में है ५,५१,८१,१०० रुपये की। इस तरह से नान-प्लान में कुल मांग है १३,८०,४१,७०० रुपये की और प्लान में हैं ८,५६,४३,३०० रुपये की। यह जो नान-प्लान में १३ करोड़ ८० लाख की मांगें हैं इस में से दस करोड़ रुपया इसलिये रखा गया है कि आज प्रदेश में जो गल्ले की कमी है उसकी पूर्ति के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदकर फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा जनता को बांटा जायगा। २ करोड़ रुपया इसके लिये है कि यह जो आशंका है कि रबी की बुवाई के वक्त अगर किसानों के पास बीज की कमी हो जाय तो इस से प्रबन्ध करके दिया जाय। इस तरह से यह १२ करोड़ के आइटम्स ऐसे हैं कि जिनके बगैर किसी तरह से भी काम नहीं चल सकता था और यह व्यवस्था करनी पड़ी।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये।)

१,४८,८३,४०० रुपये की जो रेवेन्यू एकाउन्ट की मांग है उसमें से ५३,६०,००० रुपया हस्तिनापुर, रुद्रपुर और चुनार में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों के ट्रांजिट कैम्पों की व्यवस्था के लिये है और ३५,५३,००० रुपये बरेली से बेतिया तक सड़क बनाने के लिये है।

२९ लाख ६७ हजार रुपया सार्वजनिक विभाग की सड़कों के मेंटेनेन्स के लिये है। ३ लाख ७५ हजार रुपया विधान सभा की रीरूफिंग के लिये रखा गया है। इस तरह से यह करीब ९० लाख रुपया हो जाता है जो थोड़ा-सा बच जाता है वह छोटी-छोटी मांगों के लिये रखा गया है। इसमें से करीब ९० लाख रुपया जिसकी ट्रांजिट कैम्प की स्थापना के लिये और बरेली से बेतिया तक की सड़क के लिये मांग की गयी है। वह करीब सभी रुपया केन्द्रीय सरकार से मिल जायगा। अब करीब ५९ लाख रुपया ऐसा बच जाता है जिसकी इस प्रदेशीय सरकार को अपने पास से व्यवस्था करना है और जिसके लिये अभी कोई और इनकम की व्यवस्था नहीं है। ओरिजिनल बजट में रेवेन्यू एकाउन्ट में ११ लाख ५९ हजार रुपये का डेफ़िसिट था। आज की स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि जो खर्चा रखा जायगा उसमें कमी होगी या ज्यादती होगी, या इनकम में कमी होगी या ज्यादती होगी। इसलिये उसको उसी रूप में मानकर हमारा डेफिसिट ५९ लाख रुपया और बढ़ जायगा।

[श्री जयराम वर्मा]

इसके अलावा मैंने बताया नान-प्लान में ११ लाख २६ हजार रुपया लोन्स और ऐडवान्सेज के डिसबर्समेंट के लिये रखा गया। इसमें १० लाख रुपया ऐसा है जो पिछले साल समाप्त होते हुये किसानों को तकावी देने के लिये कंटिजेन्सी फंड से लिया गया था लेकिन उसको वापस नहीं किया जा सका। और १ लाख २६ हजार रुपया ऐसा है जो फिरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को बांध बनाने के लिये कंटिजेन्सी फंड से ले कर दिया गया था। उसकी भी पूर्ति साल में नहीं की जा सकी। तो इन दोनों रकमों की पूर्ति इस से की जा रही है। खर्च पहले हो चुका है कोई नया खर्चा नहीं हो रहा है।

मैंने यह भी बताया कि प्लान पर ८ करोड़ ५६ लाख के करीब व्यवस्था की गयी है उसमें से करीब १ करोड़ रुपया ऐसा है जो केन्द्रीय सरकार से योजनाओं के लिये मिल गया है। वह कोई खर्च सचमुच है नहीं बल्कि बुक एकाउन्ट का एजेस्टमेंट है। तो उसको निकाल देने के बाद ७ करोड़ ५६ लाख रुपया ऐसा बचता है जो कि सचमुच प्लान में खर्च होगा। इस में से ५ करोड़ २६ लाख ९४ हजार रुपया ऐसा है जो पूर्वी जिलों में खेती की योजनाओं को तेज करने के लिये, कुछ स्पेशल योजनाओं के लिये, चार जिलों में पाइलट प्रोजेक्ट के लिये, छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं के क्रैश प्रोग्राम के लिये खर्च होगा। बाकी जो मांग की गयी है उसमें से ७० लाख रुपया फ़ेमली प्लानिंग के लिये, ५० लाख रुपया सड़कों के और सुधार के लिये है। ३२ लाख ३० हजार रुपया फरटीलाइजर कारपोरेशन जो गोरखपुर में बन रहा है उसकी जमीन के एक्वीजीशन के लिये है। ७८ लाख ८३ हजार रुपया यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो रुपया कन्टिन्जेसी फंड से ले कर के दिया गया है, उसकी पूर्ति के लिये रखा गया है। २० लाख रुपया ऐसा है जो विस्थापित सुनारों के ऋण के लिये है और ६ लाख रुपया उनके लड़कों को वजीफा देने के लिये है। १५,८२,००० ऐसा है जो यू० पी० कोआपरेटिव मिल्स लि०, इटावा में खुल रही है उसमें, हिस्सा लेने के लिये है। और १५.३३ लाख रुपये सस्ती पुस्तकें छपा कर गरीब छात्रों में बांटने के लिये है। इस प्रकार ५ करोड़ २६ लाख ९४ हजार रुपया पूर्वी जिलों में नयी और विशेष योजनाओं के लिये है और २,८८,१८,००० रुपया उन स्कीमों के लिये है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। दोनों को मिलाकर ८,१५ लाख के करीब हो जाता है और बाकी जो ८,५६ लाख में से बचता है वह छोटी-छोटी अन्य योजनाओं के लिये रखा है। लगता है कि यह इतना बड़ा अनुपूरक अनुदान है। इसके लिये रुपये की व्यवस्था कैसे हो सकेगी और प्रदेश के ऊपर कोई बड़ी दिक्कत न हो जाय। ऐसी हालत में २२ करोड़ ३६ लाख ८५ हजार रुपये की अनुपूरक मांग रखी गयी है। जितनी सेवाओं की जितनी मांग की गयी है वह २३,२२ लाख रुपये होती है लेकिन ८५ लाख की सेविंग की गुंजाइश है। उसको निकालने के बाद २२ करोड़, ३६ लाख ८५ हजार की डिमांड की गयी है। मैंने जहां तक नान प्लान आइटम्स का सवाल है वह बतला दिया कि कैसे-कैसे वह है। उसमें से १० करोड़ रुपये जो खाद्यान्न को खरीद कर फेयर प्राइस शाप्स द्वारा बांटने के लिये है और २ करोड़ रुपया बीज के लिये है, वह पूरा रुपया साल भर में वसूल हो जायगा कंज्युमस से और किसानों से। इसलिये इस रकम की अल्पकालिक व्यवस्था ही करनी है। बाकी जो रेवेन्यू का खर्च है इस में सिर्फ ५९ लाख रुपया ऐसा है जिसका भार प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और जो ट्रांजिट कैम्प वगैरह पर है या पारसाल में खर्च हुआ है वह इस साल में कोई भार या नया खर्च नहीं है। जो प्लान का खर्च है १ करोड़ रुपये का वह ऐसा है जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार से हो चुकी है क्योंकि वही रुपया पिछले साल की योजनाओं के चलाने के लिये कंटीन्जेन्सी फंड से लिया गया है और उसकी पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से उसकी व्यवस्था हो चुकी है। जो बाकी रुपया है उसका खयाल ऐसा है कि जो १९६४-६५ को वार्षिक प्लान में कुछ वृद्धि हो गयी है। उसके अन्दर सारा प्रबन्ध हो जायगा। बजट के वक्त जो हमने प्लान में १२० करोड़ रुपया रखा था उस वक्त इस आधार पर किया गया था कि केन्द्रीय सरकार से ७८.३० लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद ४ पूर्वी जिलों में पाइलेट योजना को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने ४ करोड़ रुपया और देना मंजूर कर लिया है और १ करोड़ ३० लाख रुपया प्रदेश भर में खेती की योजनाओं को तेज करने के लिये मंजूर कर लिया है। केन्द्रीय सरकार से कैश प्रोग्राम चलाने के लिये

छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ४ करोड़ रुपये की और मांग की गयी है। इस तरह से जो बढ़ा हुआ एनुअल प्लान है उसके अन्दर पूरी व्यवस्था हो जायगी और कोई नया बोझ प्रदेश पर पड़ने वाला नहीं है, और न कोई आर्थिक कठिनाई पैदा होने वाली है। अनुपूरक अनुदानों की बहुत बड़ी धनराशि को देख कर ऐसा मालूम होता है कि बहुत बड़ा बोझा जनता पर आ जायगा लेकिन वैसी बात नहीं है। अक्सर इस तरह की आलोचना की जाती है कि अनुपूरक अनुदानों को लाने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों नहीं बजट बनाते वक्त ऐसी बातें देख ली जाती हैं। जब किसी देश की इकोनामी (अर्थ व्यवस्था) इतनी तेजी से विकास कर रही हो उसमें सारी बातों को बजट बनाते वक्त ही देख लेना सम्भव नहीं होता है। प्लान के एक आइटम में रुपया खर्च नहीं हो पा रहा है और वह किसी दूसरे आइटम में खर्च हो सकता है तो क्योंकि प्लान को पूरा करना है, ऐसा आवश्यक हो जाता है कि सदन की स्वीकृति ले कर वैसा किया जाय। यह बड़ी आदर्श अवस्था होगी कि अनुपूरक अनुदान न लाने पड़े लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं होता है और इस तरह के अनुपूरक अनुदान ला कर सदन के सामने उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है जिस से प्लान को चलाने में कोई बाधा न हो। जो जरूरी काम साल के बीच में आ जाता है उनके लिये अगले बजट तक इन्तजार किया जाय ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। सदन की स्वीकृति ले कर उन कामों को शुरू करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन कामों को टाला नहीं जा सकता है। जैसे आज खाद्य की स्थिति है उसके लिये व्यवस्था करना जरूरी है। इसलिये मेरी सदन से प्रार्थना है कि इसी दृष्टि से अनुपूरक अनुदानों पर विचार करके सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारा सप्लीमेंटरी बजट है आज से ४० वर्ष पहले का साल भर का बजट जिस पर पहले पहले मैंने बहस सन् १९२४ में की थी वह इसका आधा था। तो हमको देखना यह है कि जो इस सप्लीमेंटरी बजट में अनुदानें पेश की जाती हैं वे कहां तक जरूरी व उपयोगी हैं।

मैं केवल दो मदों पर विचार करूंगा और उन पर अपनी राय पेश करूंगा। सार्वजनिक विभाग के लिये २ करोड़ रुपया मांगा गया है और इसका प्रोग्राम पहले से बन गया होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी गढ़वाल गये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि ५ मील की सड़क धूमाकोट से नैनीडांड़ा तक श्रमदान से बनाई सड़क जो यातायात के काबिल है उसे पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाई जायगी और नैनीडांड़ा से खगरासी तक नई सड़क बनाई जायगी, क्या इस मांग में यह दोनों सड़कें हैं या नहीं? यह भी उनका आदेश था कि सिरोसी से दो मील बैजरों तक मोटर सड़क फौरन बनाई जायगी। वह इसमें शामिल है या नहीं? दूसरी बात यह है कि कुमायूं की सड़कों की बाबत जो विवाद कुमायूं डिविजन की कमेटी में पिछले जून में नैनीताल में हुआ था उसमें निश्चय किया गया था कि दुगड्डा से रतनडांडा होती हुई दुर्गादेवी तक जो सड़क है, उसको पी० डब्लू० डी० अपने हाथ में ले, यह तय किया था। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये अनुदान मांगा गया है या नहीं? और कब उस सड़क को पी० डब्लू० डी० अपने हाथ में लेगा?

दूसरी बात यह है कि एक सड़क सतपुरी से रीठाखाल होकर पोखड़ा तक बनना थी जिसका सर्वे हो चुका है। क्या उसके लिये रुपया रखा गया है या नहीं? लैंसडाउन से डेरियाखाल होकर रिखनीखाल तक एक सड़क दो साल से बन रही है लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। क्या उसके लिये भी अनुदान रखा गया है या नहीं?

अब दस करोड़ रुपया खाद्य पदार्थों के लिये रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसकी हर सदस्य ताईद करेगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे गढ़वाल में जो फूड एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है उसने अपने सुझाव खाद्यमंत्री जी के पास १४ अगस्त को भेजे हैं। एक सुझाव उस कमेटी ने भेजा है कि धौलधार में एक अनाज का स्टोर खोला जाय। लेकिन

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

सवाल यह है कि उस स्टोर तक अनाज कैसे पहुंचाया जाय ? एक जंगलात विभाग की सड़क है उसके द्वारा दौलधार स्टोर तक, रतनाढाब तक अनाज पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वन विभाग ने इस सड़क को बरसात में बन्द कर दिया है। गो जाड़ों में यह सड़क चलती है और इस साल मई के महीने तक चलती रही। पहली जून से विभाग ने इसको बन्द कर दिया। मैंने इस बात के लिये माननीय मुख्य मंत्री और फारेस्ट मिनिस्टर से भी प्रार्थना की थी कि मेरे क्षेत्र की जनता की यह प्रार्थना है कि यह सड़क जो जाड़ों में खुली रह सकती है वह बरसात में खुली रखी जाय ताकि ट्रक व बसों द्वारा मेरे क्षेत्र में अनाज पहुंचाया जाय। इसकी मांग हमने जंगलात विभाग से की। उन्होंने कहा कि हमें १० हजार रुपया दो तो हम उस सड़क को बरसात में खुला रख सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि अगर जंगलात विभाग १० हजार रुपया इस काम के लिये नहीं खर्च कर सकता है तो जैसे गढ़वाल और अल्मोड़ा के अन्दर रामनगर और कोटद्वारे की मंडियों के भाव से अनाज देने के लिये सरकार सब्सिडी देती है उसी तरह से खाद्य विभाग की जो १० करोड़ की मांग है उसमें से १० हजार रुपया जंगलात विभाग को देकर उससे कहें कि तुम उस सड़क को खुला रखो। गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी उसके लिये सिफारिश की है। फूड एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रस्ताव किया है, मैं उसकी मीटिंग में १४ अगस्त को था। धौलधार में ग्रेन डिपो खुल रहा है और वहां ग्रेन कोटद्वार से केवल इसी सड़क से पहुंच सकता है। इस इलाके के सब-डिपोज में अनाज इसी सड़क द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इसलिये इस बुगड्डा-रतनाढाब रोड का बरसात में भी खुला रखना बहुत जरूरी है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस सड़क को खुला रखने के लिये शीघ्र प्रबन्ध किया जाय।

२५ हजार रुपया लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के लिये रखा गया है। एक अनायास खर्चा है जिसकी जिम्मेवारी हम सब लोगों पर है। क्योंकि हमने एक सिफारिश यहां की जिसकी वजह से हमें मुकदमेबाजी करनी पड़ी। किन्तु मैं यह कहूंगा कि यह रुपया उन्हीं सदस्यों से लिया जाना चाहिये जिन्होंने इस प्रस्ताव को पास करने का मत दिया। मैं इससे बच जाता हूं क्योंकि मैं तो प्रस्ताव के खिलाफ था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या २५ हजार रुपया सारे केस के लिये काफी होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें २ लाख रुपया खर्च होने वाला है। कितने की और मांग होगी ? कितना रुपया इसमें वकीलों पर खर्च होगा और कितना रुपया जो हमारी एक पार्लियामेंटरी पंडितों की पार्टी वकीलों के मशविरे के लिये दिल्ली गयी थी उस पर कितना खर्च होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

आम तौर से असेम्बली की ग्रान्ट्स पर यहां बहस नहीं है क्योंकि उसका जवाब तो स्पीकर को देना पड़ेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

खैर, इन शब्दों के साथ जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ४० वर्ष पहले के पूरे बजट की यह दुगुना मांग है फिर भी चूंकि सरकार इतने सारे काम जनहित के लिये कर रही है और इसलिये जो यह सप्लीमेन्टरी बजट पेश है इसका समर्थन होना चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इन मांगों में १० करोड़ रुपया सिर्फ फूड के लिये २२ करोड़ में से रखा है। इस से यह साफ जाहिर है कि सरकार तहेदिल से जनता की आवश्यकताओं को मीट करने के लिये तैयार है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

(श्री फूलसिंह का नाम पुकारे जाने पर) अधिष्ठाता महोदय, आप सिर्फ एक पार्टी के लोगों को ही बोलने के लिये क्यों बुला रहे हैं जब आपको मालूम है कि २ सदस्य विरोधी दलों के भी यहां बैठे हुये हैं?

श्री अधिष्ठाता--

आपको समय दिया जायगा। फूलसिंह जी, आप भाषण कीजिये।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, जो दृष्टिकोण माननीय मंत्री जी ने इस सप्लीमेंटरी बजट को पेश करने के लिये रखा उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। यह जो २२ करोड़ रुपये का बजट है और इसकी जो डिटेल्स हैं उसके मुताल्लिक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ मौलिक बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि गवर्नमेंट इन बातों पर सोच ले और मुमकिन हो तो अगले बजट के वक्त इससे फायदा उठाये। मेरी सभी बातों से अन्न के उत्पादन पर असर पड़ने वाला है।

सब से पहले मैं पी० डब्लू० डी० को लेता हूं। जो पुल प्रदेश में ८ लाख की लागत के बने हैं उन पुलों से जब खाद की भरी हुई गाड़ी पास होती है तो पूरा टैक्स लिया जाता है और खाली पास होती है तो कुछ कम लिया जाता है। यह इसलिये कि गांव एक तरफ नदी के हैं और खेत दूसरी तरफ हैं। इस वजह से पुल पर जानाआना लाजिमी हो जाता है। अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी पर खाद रख कर खेत तक ले जाता है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और खाली ले आता है तो उस पर टैक्स कम पड़ता है। यह चीज बिलकुल उत्पादन के विरुद्ध है। इनकी योजना है और उनके लिये एक स्पेशल रेट है। एक रुपया माहवार खाली गाड़ी के लिये और ३ रुपया माहवार लदी हुई गाड़ी का देना पड़ता है। ४ रुपया माहवार टैक्स यानी ४८ रुपया साल का टैक्स किसी गांव वाले को महज इस गुनाह पर कि वह खाद अपने खेत तक ले जाता है इस वजह से देना पड़ता है। इस पर सरकार सोचे।

इसके अलावा एक और बात है। यह बात सही है कि सब चीजों को सरकार पहले से सोचकर चलती है कि सप्लीमेन्टरी बजट लाना क्यों आवश्यक है। कुछ चीजें बहुत मोटी हैं। १० करोड़ रुपया मांगा गया है सिविल सप्लाई के लिये और २ करोड़ रुपया सीड के लिये। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको जान लेना चाहिये था २६ जनवरी को, जब कि शीत लहर यहां आई थी। मैं जनता हूं कि बजट ६, ७ महीने पहले से बनता है, लेकिन २६ जनवरी से मार्च तक काफी समय था और सरकार को सोच लेना चाहिये था कि यहां पर फसल खराब हो गई है तब बीज का प्रबन्ध कर सकते थे। अब बीज कहां से लायेंगे? तभी यह प्रबन्ध होना चाहिये था। सप्लाई विभाग के लिये १० करोड़ रुपये की जो मांग है उसके लिये भी यही बात है तभी यह सब प्रबन्ध होना जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दफ्तर में बैठी लिखती रहती है। उसको पता नहीं है कि शीत लहर कब आई और कब चली गई वह अपनी जगह पर बैठे हुये लिखते चले गये। तो यह भी एक सोचने की बात है।

एक बात मुझे सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में यह कहनी है कि इसमें १३ करोड़ रुपये से ज्यादा नान-प्लान्ड बजट का है और ८ १/२ करोड़ रुपया प्लान्ड बजट का है। और प्रदेशों में प्लांड बजट ज्यादा होता है और नान प्लान्ड कम होता है। इससे २, ३ नफे होते हैं। नान प्लांड बजट कम होता है और प्लान्ड बजट में ज्यादा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडीचर में ७५ परसेन्ट सेन्टर से मिलेगा और रेकरिंग का ५० परसेन्ट मिलेगा। इसलिये जो स्कीम नान प्लान्ड बजट में हैं उनको प्लान्ड बजट में लाना चाहिये। बलवन्तराय कमेटी का मैं भी मेम्बर था। एक बार हम लोग बंगाल गये। उस समय वहां पर ब्लाक में १० वी० एल० डब्ल्यू० थे। बंगाल गवर्नमेंट ने कोई वी० एल० डब्लू० नहीं भर्ती किया था। जो एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के कामदार थे उनको उसमें रख दिया था और इस तरह से करके वह रुपया बचा लिया था। हमारे सालाना बजट को देखा जाय। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। नान-प्लान्ड बजट में रकम बहुत ज्यादा है और प्लान्ड बजट में बहुत कम रकम है। प्लान बजट की रकम है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

१२० करोड़ १९६२–६३ में और नान-प्लान की रकम है २४९ करोड़। तो इस तरह से नान-प्लाण्ड बजट बढ़ता जा रहा है। इसे हमको रोकना चाहिये।

दूसरे स्टेट्स के सारे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, कृषि के हैं। उसमें आंध्र में नान-प्लाण्ड बजट में २ करोड़ खर्च होता है, प्लान में १ करोड़ खर्च होता है। मद्रास में नान-प्लाण्ड में १ करोड़ ९३ और प्लाण्ड में ३ करोड़ खर्च होता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में प्लाण्ड में १ करोड़ ९८ लाख और प्लाण्ड में ३ करोड़ ६५ लाख खर्च होता है। हमारे यहां नान प्लाण्ड में है ३ करोड़ ७० लाख और प्लाण्ड में है १ करोड़ ४० लाख, इसमें परिवर्तन होना चाहिये और वैसा करने से हमारा बहुत-सा बोझ हलका हो जायगा और जो बार-बार टैक्स लगाना पड़ता है उससे हम बच जायेंगे।

इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर में हमको डाइरेक्शन पर १२ लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, सुपरिंटेंडेंट पर २६ लाख और सबार्डिनेट स्टाफ पर १ लाख करना पड़ता है। यह १९६२–६३ के एक्चुअल आंकड़े हैं। जिनको सुपरिविजन करना है उन पर कुल १ लाख खर्च होता है। इसमें भी हमें सुधार करना चाहिये। और खेती की तरफ सरकार को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। आप हैरान होंगे अगर यू० पी० के बजट का दूसरे प्रदेश के बजटों से मुकाबला किया जाय। हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बहुत ज्यादा है। इसी तरह से एजूकेशन या पब्लिक हेल्थ को आप ले लीजिये। दूसरे सूबे आप से आगे बढ़े हुए हैं। उन में डेवलपमेंट स्कीम्स पर ज्यादा रुपया खर्च होता है। आपके यहां टैक्स कलेक्शन में ही काफी खर्च पड़ जाता है। जो रुपया आपको जनता पर खर्च करना है उसे इकट्ठा करने वालों को देने से क्या फायदा? डेवलपमेंट ऐक्टिविटीज में उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत नीचा है। मेरे पास एक चार्ट है—पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर आन सोशल ऐंड डेवलपमेंटल सर्विसेज इन यू० पी० ऐंड अदर स्टेट्स, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा खर्च १०·४२ रुपया होता है और बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट पर आप खर्चा देखें। तो फर्स्ट स्टैन्ड करता है जम्मू एंड काश्मीर २७.३० खर्चा है और केरल में २३.७५ है। हमारा सब से कम है। केवल एक सूबा बिहार है जहां डेवलपमेंट पर कम खर्चा होता है वरना सभी सूबों में ज्यादा होता है। डेवलपमेंट पर और नान-डेवलपमेंट पर कम होता है। बजट के ये आंकड़े साबित करते हैं कि हमें अपने को इन दिशाओं में ले जाने की काफी गुंजायश है। यह पालिसी गलत है कि सारा रुपया स्टाफ पर ही खर्च हो जाय। इसलिए डेवलपमेंट पर भी खर्चा होना चाहिये और जिनके लिए काम करना है उन पर भी ध्यान देना चाहिये। ऐग्रिकल्चर में ३ आना पर हैंड खर्चा आप करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन को हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो दो-तीन तरह से अगर हम सारे बजट को माडिफाई करें तो फायदा हो सकता है। मैं जानता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट में बहुत ज्यादा गुंजायश नहीं है और हो सकता है कि फाइनल बजट में भी बहुत ज्यादा कामयाबी न रहे, लेकिन अगर यह दिशा आपके सामने रही तो देश को लाभ हो सकता है।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि स्टाफ में प्लान्ड बजट में कितना प्रोवाइड करते हैं, यह आप देखें थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश में २१ लाख रुपया प्रोवाइड किया गया—२० लाख नान-प्लाण्ड में और प्लान्ड में १ लाख। और उत्तर प्रदेश में २६ लाख हम स्टाफ पर खर्च करते हैं ऐग्रीकल्चर में। तो हम स्टाफ को बढ़ाने में लगे हुये हैं और जो असली चीज है वह हमारे सामने नहीं है। इसलिए हम इस ओर ध्यान दें और अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो यह रुपया उन हितों पर खर्च हो जहां से यह दौलत पैदा होती है, तो देश का फायदा हो सकेगा वरना जिस तरह से बजट चलता है वह चलता रहेगा और जो आपत्ति आयी है वह हर साल आती रहेगी।

तो बजट में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समझता हूं कि इसको मंजूर करना चाहिये, लेकिन मेरा खयाल है कि जब सालाना बजट बनायें तो इन चीजों की तरफ जिनकी ओर मैंने इशारा किया है, ज्यादा ध्यान रखा जाय।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

*श्री रामकिशोर वर्मा—

उपाध्यक्ष जी, अभी जो आपके सामने यह १९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश हुआ है उसकेसंबंध में कुछ विचार व्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, यह सभी जानते हैं और जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें अनुपूरक बजट पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बहुत-सी ऐसी मदें हैं जिनको अनुपूरक अनुदानों में पेश करने की अवश्यकता थी और बहुत-सी ऐसी बातें भी हैं जो सालाना बजट के अवसर पर पेश की जा सकती थीं, लेकिन मैं विचारों की कमी कहूं या उस समय सोचने की स्थिति में न हो सकने का कारण कहूं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सरकार की मिसाल आज उस सेठ की तरह से है जिनके पेट में दर्द हो गया। वह अस्पताल में पहुंचे तो डाक्टर ने उन्हें मशविरा दिया कि आपके पेशाब का टेस्ट करना है, उसे आपको देना है। वह घर लौट गये और रात में एक शीशी में पेशाब करके रख लिया और फिर अस्पताल में पहुंचे। वह अस्पताल में जाकर रख दिया। अस्पताल में सफाई होनी थी। एक मेहतरानी आयी और उसने सफाई करते हुए दुर्भाग्य से वह शीशी फोड़ डाली। उसने सोचा कि यह किसी मरीज का होगा तो उसने एक खाली शीशी में अपना पेशाब लाकर रख दिया। वास्तविकता यह थी कि वह मेहतरानी गर्भवती थी। जब डाक्टर साहब आये और उन्होंने पेशाब को टेस्ट किया तो मालूम हुआ कि मरीज के पेट में गर्भ है। सेठ जी फिर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने डाक्टर साहब से रिपोर्ट मांगी। डाक्टर साहब ने अपने दिल को दबाकर सेठ जी को बता दिया कि कुछ ऐसा रोग है कि कुछ कह नहीं सकते और यह बता दिया कि पेट में गर्भ है। सेठ जी बेचारे घर आकर चारपाई पर पड़ कर करवटें बदलने लगे। जब उनकी सेठानी ने पूंछा तो उन्होंने सारी बात कह दी और फिर सेठ जी इतने असमन्जस में पड़ गये कि उनका देहान्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी नीति को सुनिश्चित नहीं कर पाती है और वह परिवर्तन करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ़ा करती है। मुझे डर है कि कहीं सेठ जी की तरह ही इस सरकार का हाल न हो जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि बजट जब पेश हो उस समय सारी बातों पर आपको विचार कर लेना चाहिये। जब तक आपके मिनिस्टर और अधिकारी ईमानदारी और अनुशासन की भावना से काम नहीं करेंगे, आपकी कोई योजना सफल नहीं हो सकती।

एक सतर्कता आयोग बना, यह अच्छी बात है। मगर उसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? आप श्रीमन्, उसके उद्देश्य और कारणों को देखें। उसमें यह कहा गया है कि जब किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ शिकायत हो तो वह शिकायत उस आयोग को भेजी जाय और वह उस पर कार्यवाही करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो पता चलेगा कि यह इतने व्यापक रूप से फैला हुआ है कि यह रोकना बड़ा कठिन हो गया है। आज तहसील और थाने में जाइये तो कोई भी बिना दो रुपये लिये काम नहीं करेगा। इसलिये जो संबंधित विभाग के मंत्रिगण हैं उनका यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे ऐसे उपाय ढूंढ़े जिससे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके।

श्रीमन्, हमारी प्लान्स का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश की उन्नति हो। उस पर बड़ा रुपया खर्च किया जा रहा है। मगर बहुत-सा रुपया फिजूल खर्ची में जा रहा है। आज गांव में विकास खंडों की जो हालत है वह आपको मालूम ही है। एक-एक विकास खंड में बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० से लेकर तमाम कर्मचारी रखे गये हैं। पहले एक पंचायत पर एक पंचायत इन्सपेक्टर होता था जो हर काम को वहां के देखता था। आज इतने कर्मचारी रखने पर भी उतना काम नहीं हो रहा है। इन पर तमाम खर्चा फिजूल में हो रहा है। न कोई उपज ही बढ़ी है, न और किसी प्रकार की उन्नति ही हुई है। आज इतनी लम्बी फौज के होते हुये भी निर्माण का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों में मैंने एक बी० डी० ओ० के आचरणहीन होने की शिकायत मंत्री जी से की थी। आज कल तो आचरणहीनता ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

विकास खंडों में रह गयी है। हमारे विकास खंडों में जितनी राज-कर्मचारियों की फौज है वह कृषकों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में लगे दें। कृषकों की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ बरबाद न हो, इसके लिए सरकार प्रयत्न करें।

पुलिस का रवैया आज भी वही है। एक सतर्कता आयोग इसके लिये बन गया, लेकिन हम केवल इससे यह भी आशा करें कि सतर्कता आयोग सब भ्रष्टाचार को दूर कर देगा तो यह हमारी भूल होगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। आज जब जनता के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो पहले उसे फौरन जेल में भेज देते हैं, उसकी कोई विवेचना नहीं करते हैं कि वह कुसूरवार है या नहीं। विधायक लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो कहा जाता है कि मुकदमे से तय होगा, लेकिन पुलिस के विरुद्ध जब जन-प्रतिनिधि शिकायत करते हैं, जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता जो सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश को ऊंचा उठाने में प्रयत्नशील हैं, वह पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत देते हैं तो यह जवाब दिया जाता है कि इसकी विवेचना होगी तब कार्यवाही होगी। न तो दरोगा सस्पेंड होता है कोई और न पुलिस का कांस्टेबिल और उसके फलस्वरूप उनको खुलकर रिश्वत लेने के मौके मिलते रहते हैं। फतेहपुर जिले के अन्दर एक एस० ओ० के विरुद्ध मैंने खुद जांच की थी, लालपुर न्याय पंचायत और जाफरगंज न्याय पंचायत क्षेत्र के गांवों में, तो मान्यवर, मालूम हुआ कि अपने थोड़े से कार्यकाल में उसने २७ हजार रुपये बेजा तरीके से पैदा किया। कम्प्लेंट भी की गई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो एक सार्वजनिक कार्यकर्ता जब किसी आदमी के विरुद्ध बिलकुल खुले आरोप लगाता है तो उसकी जांच न करना, यह कहां तक न्यायसंगत है? जनतंत्र में आस्था रख कर जब हम लोग एक-एक, दो-दो लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारी बात को न मानना, क्या यही जनतंत्र है, और अगर यही जनतंत्र है तो यह जनतंत्र टिकने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जब इस तरह का कोई आरोप लगाया जाय तो उसकी खुली जांच होनी चाहिये और भ्रष्टाचार करने वाले का जितनी भी सख्ती से हो सके दमन करना चाहिये।

मान्यवर, आप यह जानते हैं कि हमारा देश कृषि पर आधारित है और विशेष कर हमारा प्रदेश तो बिलकुल कृषि पर निर्भर करता है। अगर अन्न पैदा नहीं होता तो आप देश में चाहे जितनी सड़कें बना दें, चाहे जितने पंचायत-घर बना दें, चाहे जितने सतर्कता आयोग बना दें, स्कूल, अस्पताल बना दें, लेकिन इन सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रदेश की हालत सुधरने वाली नहीं है। खेती की ओर कितनी उपेक्षा है, यह आप देखें। अभी थोड़े दिन पहले तक विकास खंडों से कुछ सब्सिडी दी जाती थी। वह सब्सिडी सोसाइटियों को १/२ और कृषकों को व्यक्तिगत रूप से १/३ दी जाती थी। और फिर वह भी कुछ दिनों से बन्द कर दी गई है। अब कुछ विशेष कार्यों के लिए ही थोड़ी सब्सिडी दी जाती है। मैं नहीं जानता कि यह कार्य कहां तक उचित है? यह विकास खंड जो कायम हैं उनका एक मात्र उद्देश्य कृषकों के आर्थिक ढांचे को दुरुस्त करना है, लेकिन इस तरह से एक सब्सिडी देकर और फिर कुछ दिन बाद उसको बन्द कर देना, यह क्या कृषि उत्पादन को बढ़ोत्तरी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में बाधक नहीं है? पहले तो इस तरह की सहायता का एक लुभाव देना और फिर जब किसान उस ओर अग्रसर हो तो उसको स्थगित कर देना, यह कहां का न्याय है। आज हमारे प्रदेश में गल्ले का उत्पादन कम हुआ और खाद्य समस्या गम्भीर हो गई। अगर उसके कारणों को देखें कि कौन से कारण उसके लिये जिम्मेदार हैं जिससे हमारे प्रदेश की स्थिति गम्भीर हुई तो कई कारण उसके लिए हैं। होना तो यह चाहिये था कि हमारा कृषि विभाग चीफ मिनिस्टर के आधिपत्य में होता। या वर्तमान जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, मैं समझता हूं कि कृषकों से उनको विशेष सहानुभूति है और कृषकों के प्रति उनके दिल में एक बड़ी आस्था है। लेकिन उत्पादन न बढ़ने का एकमात्र कारण यह है कि कृषि मंत्री जी को कृषि का कार्य दे दिया गया है कि वे उसको देखें और कृषकों से उम्मीद की गयी है कि वे अच्छी पैदावार करें। लेकिन

उसके सहायक जितने भी कार्य हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वे विभाग कृषि मंत्री को नहीं दिये गये हैं, फिर प्रदेश का उत्पादन किस प्रकार बढ़ेगा ? आज कृषि को सहायता देने वाली बिजली का विभाग दूसरे मंत्री के पास है, सहकारिता दूसरे के पास है, रेवेन्यू तीसरे मंत्री जी के पास है और सिंचाई श्री गिरधारी लाल जी के पास है, जो बेकार हैं, जिनके इस सदन में दर्शन भी नहीं होते। जो यह जानते भी नहीं हैं कि सिंचाई हमारे प्रदेश का एक मुख्य कार्य है, सिंचाई के बिना अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता। ट्यूबवेल्स के लिये केवल कुछ जिलों को चुन लिया गया है और कुछ जिलों को देखिये तो बजट में बिलकुल हैं ही नहीं। और ज्यादा चिल्लाने मात्र से ही किसी जिले को ज्यादा सिंचाई के साधन दिये जा सकते हैं तो और लोगों को भी उससे प्रोत्साहन हो सकता है।

दूसरे जिलों के मुकाबले में फतहपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इलाहाबाद को तो पिछड़ा हुआ जिला मान लिया गया है लेकिन फतेहपुर को नहीं माना गया है। वहां पर विशेषतः किसान हैं और कोई दूसरा धंधा उनके पास नहीं है, कोई उद्योग नहीं हैं, कोई कारखाने नहीं हैं। उस को अच्छा क्षेत्र बताया जाता है। बजट में भी उस के लिये कोई रुपया नहीं रखा गया है। मेरा सुझाव है कि कृषि उत्पादन तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उससे संबंधित विभाग कृषि मंत्री को न दे दिये जायं, लेकिन अगर इस चीज की उपेक्षा की गयी तो उत्पादन किसी हालत में भी नहीं बढ़ सकता। आज प्रदेश के खाद्यान्न संकट की गंभीरता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार ने किसी जिले में कम दूकानें खोली हैं और किसी क्षेत्र में ज्यादा। शहरी और देहाती क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत फर्क रखा है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेगी साहब खाद्यान्न विभाग को संभालने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। उन्होंने शहरी और देहाती क्षेत्र का फर्क किया है। देहाती क्षेत्र में प्रत्येक न्याय पंचायत जिसकी आबादी १० हजार हो, सरकार ने १० बोरी अन्न देने की व्यवस्था की है जबकि शहरों में प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड से अन्न मिलता है। चाहे गरीब हो या अमीर उस को ८ किलो गेहूं दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वे तो खुले बाजार में से भी खरीद सकते हैं। अभी एक नया फरमान निकला है कि ५ प्रतिशत ऐसे लोगों को, जिनके पास कृषि नहीं है गांवों में अन्न की व्यवस्था की जायगी, प्रति व्यक्ति ८ किलोग्राम दिया जायगा। लेकिन जितना गल्ला दिया जाना चाहिये वह भी नहीं दिया जाता। आज ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत खराब है, उस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। कुछ राशनकार्ड बनाये जा रहे हैं, हो सकता है कुछ राहत मिले।

रिटेलर्स को खाद्यान्न गोदाम से ५०–५० मील से अन्न लाना पड़ता है। उन को एक या दो पैसा प्रति किलोग्राम मुनाफा दिया जाता है। उसमें जो मुनाफा दिया जाता है, वह बहुत ही कम है। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या एक या दो नया पैसा प्रति किलोग्राम मुनाफा देकर आप उन दुकानदारों से ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने की अपेक्षा कर सकते हैं ? क्या वह ईमानदारी का परिचय दे सकते हैं ? हम यदि दुकानदारों को उचित मुनाफा नहीं देते हैं तो वह ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकेंगे। मैंने आज नियम ५२ के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को एक सूचना दी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। जो गेहूं हमारे जिले में दिया गया है और गोदाम से जो रिटेलर्स उसे लाते हैं, उस पर जो मार्ग व्यय होता है उसका भुगतान विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। दूकानदारों ने वाउचर्स दे दिये हैं कि इतना खर्च हुआ है, लेकिन सालभर हो गया किन्तु अभी तक उस का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में वह ईमानदारी से कार्य करें, यह सम्भव नहीं है। सम्भव तो तब होगा, जब उस की लागत जो वह अपना पैसा लगाता है, जो श्रम करता है उसका एक उचित हिसाब से रिटर्न मिले। तभी उनसे ईमानदारी की अपेक्षा की जा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन को सलाह देते हैं कि वह बेईमानी करें, लेकिन हमें ऐसी स्थिति को भी बनाना पड़ेगा जिसके कारण उनको बेईमानी करने के लिये मजबूर न होना पड़े।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

हमारे पूर्वी जिलों में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी वजह से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। आफिसर्स द्वारा जो खाद्यान्न रिटेलर्स को दिया जाता है वह जायज नाजायज तरीके से दिया जाता है। वह यह नहीं सोचते कि किस क्षेत्र में जरूरत है और किस क्षेत्र में कितना गल्ला भेजा जाये। वह केवल लालचवश कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों को गल्ला दे देते हैं, जिनके द्वारा उस क्षेत्र में गल्ले की कोई उपयोगिता नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से हमारे यहां खाद्य समस्या और भयावह होती जा रही है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी आप के द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी के खाद्य समस्या के बारे में जो सुझाव दिये उस के अनुसार यदि कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति सुधर सकती है।

परिवहन विभाग की बड़ी चर्चा है, यद्यपि उसका कार्य सन्तोषप्रद है और जो थोड़े समय में इसने जो कार्य किया है वह सराहनीय ही कहा जा सकता है, लेकिन आज उसकी हालत भी भयंकर होती जा रही है। कानपुर रीजन में आप जरा गौर से देखें कि कानपुर रीजन में कोई ऐसी बस नहीं है जो दुरुस्त हो, जिसका ढांचा दुरुस्त हो, जो रास्ते में कदम कदम पर बिगड़ती न हो। हमारे जो प्रैक्टिकल इंजीनियर्स हैं वह अच्छे पुर्जे बचाकर मुनाफे पर बेच देते हैं और दूसरे साधारण पुर्जे उपकरण आदि लेकर उसमें लगा देते हैं। इसलिये वहां की बसें निहायत निकम्मी होती जा रही हैं। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी, जो इस समय सदन में शायद उपस्थित नहीं हैं, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे फतेहपुर जिले में बिन्दकी में एक बस स्टेशन स्थापित होने जा रहा है, लेकिन उस बस स्टेशन के निर्माण में जो सामान लगा है वह इतना खराब था कि अभी जब कि उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था उसमें जगह-जगह दरारें पड़ गयीं। जब उस क्षेत्र में श्री अनिरुद्ध सिंह पाण्डे जी गये तो वहां की जनता ने उनसे इस बारे में शिकायतें कीं। उन्होंने उस को देखा और सारी बात का अवलोकन किया और वहां के लोगों को विश्वास दिलाया कि इसका उद्घाटन तब तक नहीं होगा जबतक कि उस को ठीक नहीं करा दिया जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि काम तो बढ़ता चला जा रहा है और आप उस पर अंधाधुंध पैसा मांगते चले जा रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं, उस को नहीं देखा जाता है। लोगों की कड़ी कमाई के पैसे के बारे में यह नहीं देखा जाता है कि उस का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। जनता का पैसा इंजीनियर्स की जेब में या ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उस बस स्टेशन की जांच करा दी जाये और जब तक उस की जांच न हो जाये, उसका इस्तेमाल न किया जाये, क्योंकि इससे जन-धन की हानि होती है।

मान्यवर, आज जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वह भी बहुत निकम्मा होता चला जा रहा है। नये-नये कार्य तो हम हाथ में लेते चले जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने कार्य हैं, उन की ओर नहीं देखते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि आज जो हमारे सार्वजनिक विभाग की सड़कें हैं उनमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे साधारण व्यक्तियों का चलना तथा सवारियों व साइकिलों का चलना मुश्किल सा हो गया है। एक सड़क हमारे यहां इटावा से फतेहपुर को जाती है, उसमें घाटमपुर और जहानाबाद के बीच में १२ मील का एक टुकड़ा है जिसकी आप जांच करा लें तो उससे पता चल जायगा कि देहात की कच्ची सड़कें उससे कहीं अच्छी हैं, हमारे देहात के रास्ते उससे कहीं अच्छे हैं। अगर इस तरह से नयी सड़कों पर पैसा लगाया जाय और उसमें खराब मेटिरियल का इस्तेमाल किया जाय और पुरानी सड़कों की मरम्मत तक न हो सके तो इस तरह से हम केवल पैसे को बर्बाद करने में ही सहायता देते हैं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क बनी है जहानाबाद--अमौली वाया-शहबाजपुर, जिसमें बहुत ही खराब मेटिरियल्स इस्तेमाल किये गये हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने गत ५ अगस्त को एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा कि इसकी जांच करायी जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी उस की जांच शुरू नहीं की गयी है। उस सड़क को ठीक से कुरेदा तक नहीं गया है, उसका कारण यह है कि जिस वक्त

प्लान तैयार हुआ उस समय अच्छे इंजीनियर लोग वहां नियुक्त नहीं किये गये और इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे जिले के इंजीनियर, ठेकेदार, ओवसियर्स और मेट, सब मिल कर पैसा खा रहे हैं और सड़क पर जहां अच्छी किस्म के मेटिरियल्स डालने चाहिये वहां खराब किस्म के डाले गये हैं, खराब किस्म के कंकड़ डाल दिये गये हैं जिससे सड़क ६ महीने तक भी चलने के काबिल नहीं रही और सारे कंकड़ इधर-उधर हो गये। हमारे यहां एक इटरा पुल बना जिसमें भी खराब मेटिरियल्स लगाये गये, जिससे आज वह इस्तेमाल के काबिल नहीं रह गया है। अगर सड़कों पर निम्नकोटि के कंकड़ डाले जायेंगे तो इससे जनता का पैसा बर्बाद व जाया ही होगा और वह सड़क जनता के लिये भी अच्छी व उपयोगी साबित नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि इस सड़क के सम्बन्ध में जांच कराई जाय और जो लोग भी दोषी पाये जायं, उनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

एक बात और है। यह बात सही है कि अगर राज कर्मचारियों को उचित श्रम के लिये उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वे सही काम नहीं कर सकते। ऐसे कुछ राज कर्मचारियों के वेतन व महंगाई-भत्ते में आपने कुछ वृद्धि की है, लेकिन जहां तक स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है जो म्युनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरियाज व नोटिफाइड एरियाज कमेटी व जिला परिषदों में काम करते हैं उनके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है। सभी जानते हैं कि जिला परिषदों व इन दूसरी स्वायत्त संस्थाओं में बहुतों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ जिला परिषदें ऐसी अवश्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई-भत्ते में कुछ वृद्धि की है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहां के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई-भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रादिजन नहीं है। जैसे मैं अर्ज करूं कि फतेहपुर जिला परिषद् की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई-भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा सके। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि तमाम स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रान्तीयकरण किया जाय। जब तक उनका प्रान्तीयकरण नहीं होगा तब तक इतने अल्प वेतन पर उनसे ईमानदारी के साथ काम करने की अपेक्षा करना, मैं समझता हूं, भयावह है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाय और जो हमारे स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारी हैं, प्रान्तीय लेविल पर दूसरे विभागों की तरह से उन कर्मचारियों की पे में उचित मात्रा में वृद्धि की जाय ताकि वे ईमानदारीपूर्वक अपना काम कर सकें। मैं संक्षेप में ही अपनी थोड़ी-सी बात और कह कर अपने विचार को समाप्त करूंगा। अभी १२ अप्रैल को इसी वर्ष कृषि मंत्री, माननीय चरण सिंह जी हमारे क्षेत्र के एक गांव में गये थे और मैंने उनको उस क्षेत्र का दिग्दर्शन कराया था, वह जमुना के किनारे का क्षेत्र है और एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैंने उनका ध्यान दिलाया था कि वहां के १५–२० गांव ऐसे हैं कि जिसके पास कई नदियां हैं और इतना पिछड़ा हुआ है कि केवल २ अध्यापक ही वहां के सर्विस में हैं और कोई वहां पढ़ा-लिखा नहीं है। वहां पानी इतना नीचा है कि कुएं बहुत मुश्किल से बन सकते हैं और सिंचाई के लिये उनका उपयोग करना बहुत कठिन है। मैंने २–३ बातें खास तौर से मंत्री जी से कही थीं और उन्होंने वहां की सार्वजनिक सभा में आश्वासन भी दिया था कि कुओं के लिये इंतजाम किया जायगा। वहां पर जितना रुपया प्रदेश के अन्य भागों में कुओं के लिये दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं होता, वहां वह दुगुना दिया जाय तभी कुओं का लगना सम्भव हो सकता है। वहां पर अगर बड़े गहरे कुयें बनाये जायं और उनमें छोटी मशीनें लगाई जायं तभी उनसे वहां सिंचाई का काम सम्भव हो सकता है। मैंने पत्रों के द्वारा मांग की और आश्वासन जो दिया गया उसका भी हवाला दिया लेकिन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि जो आश्वासन सार्वजनिक सभाओं में मंत्रियों द्वारा दिये जांय उनकी पूर्ति होनी चाहिये। और अगर उन की पूर्ति नहीं होती है तो जनसाधारण की जो ऐसे आश्वासनों के प्रति आस्था है वह खत्म हो जायगी और लोग समझेंगे आश्वासन के बाद भी कोई कदम नहीं उठाये जाते।

इसी तरह से भूमि सुधार की योजना २–३ विकास खंडों में लागू हुई। जहां उसकी उपयोगिता अधिक थी वहां तो वह लागू नहीं की गई और जहां नहीं थी वहां उस को लागू

[श्री रामकिशोर वर्मा]

किया गया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हयुप्रा आदि विकास खंड में योजना लागू करने को कहा था लेकिन आज तक वह किसी भी विकास खंड में लागू नहीं की गई।

सब बातों का सार यह है कि हमारे राज्य कर्मचारी अनुशासित हों, ईमानदार हों और प्रदेश की और देश की तरक्की ही इस पर निर्भर है कि कृषि के क्षेत्र में तरक्की हो। यदि किसानों को उचित सहायता नहीं की जायगी तो देश की और कृषि की उन्नति नहीं हो सकती। इन विचारों के साथ में इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा एक निवेदन यह है कि अनुपूरक बजट पर वह बहस नहीं होती है जो मूल बजट के समय होती है, इसलिये इसमें जो आइटम्स हैं माननीय सदस्य उन्हीं तक अपने को कनफाइन करें। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता बाकी जो कायदा है वह मैंने बता दिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे, इस अनुपूरक बजट पर, जो माननीय वित्त उपमंत्री जी ने पेश किया है २२,३६,८५,००० रुपए का, बोलने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जिस समय मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तो मैं मंत्री जी से यह भी आशा करता हूं कि जिन वित्तीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता है उनका ध्यान वह बजट पेश करते समय अवश्य रखेंगे। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बजट के बाद अनुपूरक बजट आते हैं और उसका मतलब केवल यह होता है कि अगर सरकार महसूस करती है कि कुछ ऐसी नई समस्या पैदा हो गई है, कुछ ऐसी नई मदें सरकार के सामने आ गई हैं जिनको अनुपूरक बजट के द्वारा लाना आवश्यक है, अगर ऐसी बात हो तो कौन ऐसा होगा कि ऐसे अनुपूरक बजट का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन जब बजट उन सिद्धान्तों और उसूलों पर कुठाराघात करता हो तो मैं मंत्री जी से साग्रह सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि उनका ध्यान उस तरफ भी अवश्य जाना चाहिये और मैंने कई बार मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि जो बजट बनाया जाता है या बजटिंग विभाग है वह पूर्णरूपेण अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। अगर होता तो २२ करोड़ रु० का अनुपूरक बजट न आता जो मुख्य बजट के Planned Items का चौथाई से भी ऊपर जाता है, और मंत्री जी इसकी स्वीकृति के लिये न आते। यह अदूरदर्शिता का बजट है। मंत्री जी उन डिपार्टमेंटल हैड्स की तरफ़ जागरूक नहीं हैं। इस सप्लीमेन्टरी में कहा गया है कि कुछ ऐसी नयी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिनके लिये यह लाना पड़ा है। क्या मंत्री जी ने या वित्त विभाग ने यह देखा कि आज १९६४ की आडिट रिपोर्ट जो है उसमें १९६२-६३ के आडिट आब्जेक्शन्स हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि जो बजट बनाया जाय उसका युटिलाइजेशन होना चाहिये। आज हालत यह है कि बजट बनाने के बाद उसका यूटीलाइजेशन तक नहीं होता और उस पर आडिट एतराज होते हैं जो केवल पत्रों पर लिखे रह जाते हैं और उनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी का ध्यान १९६४ की आडिट रिपोर्ट के कुछ आइटम्स की तरफ़ ले जाना चाहता हूं। मंत्री जी पायेंगे कि आडिटर जनरल की इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स पर कहां तक ध्यान दिया गया है। मैं इन शब्दों को पढ़ना चाहता हूं जो आडिटर जनरल ने कहे हैं :

On page 129 he observed, "The number of outstanding Inspection Reports has been increasing in spite of regular reports to Heads of Departments and Government. In their report of Audit, 1962 the Public Accounts Committee observed that—

....In spite of the fact that the attention of the Government has been drawn repeatedly to delay in the disposal of inspection reports, the situa-

tion has not improved. It is obvious that inspection reports will not serve any purpose unless action is taken immediately to stop the irregularities. Delay is likely to result in financial loss since with the passage of time recoveries become very difficult."

इंसपेक्शन रिपोर्ट्स पर हेड्स आफ़ डिपार्टमेंट्स कोई ध्यान नहीं देते। इसी तरह से नान-युटिलाइजेशन की फ़िगर्स देखें जो आडिट रिपोर्ट के चेप्टर १० में दी गयी हैं। २७,३९१ आबजेक्शन्स थे जिनमें करीब ९.२८ करोड़ रुपये की धनराशि अन्तर्निहित थी और उसका कोई डिसपोजल अभी तक नहीं किया गया और आबजेक्शन्स १९५७–५८ से लेकर १९६२–६३ तक के हैं। १९५७–५८ तक १ करोड़ रु० के आडिट आबजेक्शन्स हैं। १९५८–५९ से १९६१–६२ तक १.९८ करोड़ के एतराजात हैं और १९६२–६३ में ६.३० करोड़ के एतराजात हैं। यह सब मिलाकर ९.२८ करोड़ के आडिट आबजेक्शन्स होते हैं लेकिन आज तक इस बारे में कोई चिन्ता नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि आज इतना ही नहीं एक-एक डिपार्टमेन्ट को बताना चाहता हूं कि किस तरह से पैसा खर्च किया गया है जिसका नतीजा यह हुआ कि जो नक्शा तजवीज किया गया था बजट में वह पूरा नहीं हो सका।

१९६४ की आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ १२६ पर दिया है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में ५.८५ करोड़ रुपया अनस्पेन्ट है, कोआपरेटिव में १९५७–५८ में १.७८, एजूकेशन में १९५६–५७ में ४.५५ अनस्पेन्ट रह गया, इन्डस्ट्रीज में १९५५–५६ में ०.८३ करोड़ अनस्पेन्ट एमाउन्ट है और मेडिकल में १९५०–५१ में ०.३१ करोड़ रुपया युटिलाइज नहीं किया गया। इस का कारण दिया है जिस पर भी गौर किया जाय :

"(i) Non-utilization of the grant within the stipulated time, due mainly to—

(*a*) sanction of grant without adequate survey of its need or when the grantee was not yet in a position to utilise the amount,

(*b*) sanction of the grant towards the close of the year, and

(*c*) delay in execution of the schemes, and refund of non-utilised amount by the grantee, and

(ii) delay on the part of the departmental officers in inspection of the completed schemes."

तो अगर आप देखें कि आपके विभाग जब बजट बनाते हैं वे लोग कोई क्लियर पिक्चर नहीं रखते हैं। इसका नतीजा यह है कि आज इतनी मंहगी सिर पर चढ़ी आ रही है। प्रोडक्शन कैसे होगा जब कि रुपया अनस्पेन्ट पड़ा रहता है। जो पहला पैसा है वह युटीलाइज नहीं हो पाता है और आज कहा जाता है कि और अनुदान दीजिए। ठीक है, अगर आप मांगते हैं तो सदन उसको स्वीकार करेगा लेकिन जिस बात के लिए आप मांगते हैं उस रुपये का आप सही तरीके से इस्तेमाल तो करें। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे सेक्रेटरीज इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम इस आडिट रिपोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे तो इस पर जो लाखों रुपया खर्च होता है बेकार हो जायगा। अगर हम ब्योरेक्रेसी के ऊपर निर्भर रहे तो जो हमारा गोल है सोशलिस्टिक सोसाइटी का उसमें कामयाब न हो सकेंगे।

श्रीमन्, खाद्यान्न के बारे में कहा गया है कि हम १० करोड़ रुपया खर्च करेंगे गल्ला खरीदने के लिए, जिससे फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा हम चीजों के दाम नीचे ला सकें। कहा गया है कि २ करोड़ रुपया हमको बीज के लिए चाहिए। रबी की फसल के लिए हम अनाज खरीदना चाहते हैं। मैं बहुत अदब के साथ अपनी सरकार के मंत्रि-परिषद् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि हम ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाये? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस का कारण है हमारी गवर्नमेन्ट की मशीनरी। अक्सर

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

सफेद झूठ बोल कर हमारे मिनिस्टरों को हाथ की कठपुतली बनाये रखते हैं जिसके कारण हमारी खाद्य की स्थिति ऐसी रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको नवम्बर के महीने में पता लग गया कि आपके पास खाद्यान्नों की स्थिति ठीक नहीं है और अप्रैल व मई में जब खेतों में फसल तैयार हुई उस समय आपने अपने स्टोर क्यों खाली किये, क्यों नहीं बफर स्टाक बनाया? उस समय आपने फ्लोरमिलों को क्यों चार-चार शिफ्टों में चलाया? इसलिये नहीं कि नेगी जी के दिल में यह विश्वास नहीं था कि फूड सिचुएशन उनके काबू में है, मैं उनकी ईमानदारी पर जरा शुबहा नहीं करना चाहता लेकिन खाद्य मंत्री पृष्ठभूमि को देखें, बल्कि इसलिये कि सेक्रेटेरियट के अफसरों ने आपके मुंह पर तमाचा मारा कि सरकार वे चलाते हैं, आप नहीं चलाते। उन्होंने सारे स्टाक को खत्म कर दिया। आटा मिलों ने ४ शिफ्ट रोज चला कर ४० हजार रुपया प्रति दिन कमाया और एक दम आपको अन्धकार में रखा गया जिससे सारी हुकूमत बदनाम हुई। परिणामस्वरूप कांग्रेस हुकूमत को आज विरोधी दल के कोप का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भुखमरी का आलम है और दूसरी तरफ साल में ३०० वैगन जौ (खाद्यान्न) को डायर मेकिन को शराब बनाने के लिये दिये जाते हैं। यही आपकी खाद्य नीति है? इसी खाद्य नीति को अपना कर आप समाजवाद लाना चाहते हैं? अगर आप स्टेट ट्रेडिंग नहीं अपनायेंगे तो यह व्यवसायी आपको धोखा देंगे और कीमतों को अपनी मुट्ठी में रखेंगे। सरकारी अफसर उनके साथ सांठगांठ किये हुये हैं, ये आपकी मदद नहीं करेंगे। मैं चेतावनी दिये देता हूं कि अगर यह सरकार नहीं रही तो जनतंत्र नहीं रहेगा और फिर हम व आप इन कुर्सियों पर नहीं रहेंगे। इन अफसरों से आप होशियार हो जाइये जो मशीनरी को हाथ में लेकर तानाशाही की तरफ आप को ले जा रहे हैं, और जनतंत्र के मौलिक सिद्धान्तों को आपके अन्दर से भुलावा देना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं बहुत ही खुश हुआ कि गोरखपुर जिले में फर्टिलाइजर कारपोरेशन की नींव डाली जा रही है। वहां लोग खुश थे कि १६ हजार मजदूर इस कारखाने में काम करेंगे। पूर्वी जिलों में एक बड़ा उद्योग-धंधा इस तरह से लगेगा। १६ हजार मजदूरों को, टेक्निकल व नान-टेक्निकल लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन वहां की हालत यह है कि ७५ परसेंट जिले का सीमेंट कारपोरेशन को दिया गया डेवलपमेंट प्लान के लिये, वह ब्लैक में जा रहा है। दीवारों की हालत है कि ठोकर लगा दीजिये तो गिर जायंगी। इमारत को तो जाकर देखिये तो आंख में आंसू आ जायेंगे। मेरे कहने से समझा यह जाता है कि दास्तान कहा जा रहा है। कहा जाता है कि होने दीजिये, उसमें आपको काहे की परेशानी है? मैं कहना चाहता हूं कि आज हमसे गरीब बच्चों की रोटी लेकर टैक्स लिया जा रहा है और जब हम उसका इस्तेमाल इस तरह से होते देखते हैं तो हमें दुख होता है और हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारी सरकार इसको देखेगी, रोक लगायेगी और उसकी जांच करेगी।

श्रीमन्, फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन में ४०० से ज्यादा पोस्ट्स पर भर्ती की गई और स्वयं मन्त्री जी का बयान है कि २०० से ज्यादा पोस्ट्स बाहर के लोगों को दी गईं और बाकी प्रदेश के लोगों में बांटी गई। मैं नहीं जानता कि कौन लोग हैं जिनको इन पोस्ट्स पर रखा गया है। जितने लोग की पोस्ट्स पर रखे जा रहे हैं वे ज्यादातर आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसर्स के लड़कों या रिश्तेदार सिफारिशी को ही रखा जा रहा है। बिना किसी क्वालीफिकेशन्स के ही उनको बड़ी-बड़ी पोस्ट्स पर रखा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्वयं इसकी जांच करें तो असलियत का पता चल जायगा। केन्द्रीय सरकार फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन के लोगों से बहुत खुश हुई और मुझे बताया गया कि वहां के जनरल मैनेजर का ट्रांसफर हो गया था उसको टेलीफोन द्वारा रोक दिया गया। जब कि उनके प्रति डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक-सब कमेटी भ्रष्टाचार की जांच के लिये बनाई और रिजोल्यूशन पास किया। लेकिन मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। इस तरह से आफिसरों को छूट देकर कब तक आप इस गद्दी पर रह सकेंगे। जो आफिसर भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांच

के लिये एक सतर्कता कमीशन की नियुक्ति कीजिये। किन्तु आपने अभी तक कोड आफ कंडक्ट भी नहीं बनाया है और न रूल्स ही बनाये हैं। एक तरफ तो आपने सतर्कता आयोग बना रखा है और दूसरी तरफ वह सीनियर आफिसर के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है। यह हालत है जिसके लिये लाखों रुपये का अनुदान मांगा जा रहा है। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाया जा रहा है लेकिन इससे इसका उन्मूलन नहीं हो सकता है। इसका अन्त होगा जब आप सख्त हाथों से कंट्रोल करेंगे। इन अफसरों के जरिये नहीं बल्कि जब आप स्वयं करेंगे तभी इसका अन्त होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे समय में पैसे की बर्बादी न करें जो केवल तमाशा बन कर रह जाय और कोई प्रोडक्टिव यूटिलिटी न दे सके।

श्रीमन्, बॉर्डर रोड्स बन रहे हैं। आपने सुना होगा कि अभी हाल में देहरादून में चीनी बम पाये गये, मैं कोई प्रचार के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन वास्तविकता कह रहा हूं। आपको पता है कि गोरखपुर की क्या स्टेटेजी है, बहराइच की क्या है और देवरिया की क्या है? आपको पता है कि हमारा माल तिब्बत जा रहा है। आप समय से पहले चेतिये, सड़कों का निर्माण कीजिये, रुपये लगाइये और अपना डिफेंस पोटेंशल मजबूत कीजिये। हमारे प्राइम मिनिस्टर बार-बार कह चुके हैं कि चीन का थ्रेट है। तो आप यह मत समझें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप शायद यह समझते हैं कि हमारे और चीन के बीच में एक बफर स्टेट है। लेकिन यह गलत है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विद्यार्थी जानते हैं कि बफर स्टेट्स किस समय किसके साथ जाती हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिये मैं सरकार और उसके मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच या चमोली, टेहरी गढ़वाल वगैरह जो पहाड़ी जिले हैं उनकी जिआग्रोफिकल इम्पार्टेन्स है और इसलिये उनके सामरिक महत्व को देखते हुए आप कोई सुनियोजित योजना बनावें और सही तरीके से कोई कदम ऐसा उठायें जिससे हम किसी भी इंबैलेंसग्रलिटी का मुकाबिला कर सकें। अगर इन चीजों पर तवज्जह दी गयी तो हमारे देश में प्रगति मजबूती के साथ आ सकती है।

स्वास्थ्य मन्त्री जी आ गये हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कभी डिस्पेंसरीज और अस्पतालों के लिये कहा गया कि वहां दवायें नहीं हैं तो कहा जाता है कि क्या किया जाय? फंड्स नहीं हैं। लेकिन १९६२–६३ की आडिट रिपोर्ट जो सन् १९६४ में छपी है, के मेडिकल प्रांट को देखने से पता चलता है कि करोड़ों रुपया नान-यूटिलाइज्ड रह गया। जो दवायें खरीदी गयीं उनमें से बहुत-सी इस्तेमाल नहीं हुई और वह बेकार चली गयीं। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वह दवायें खरीदी गयी होतीं तो गरीबों को उससे लाभ होता। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि समय बहुत थोड़ा है, बोलने वाले बहुत हैं, इसलिये सब सदस्य १०, १० मिनट लें।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत सप्लीमेंटरी बजट का मैं समर्थन करता हूं। जो सप्लीमेंटरी बजट हों उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कों की निहायत जरूरत है, जहां बिना यातायात के लोगों को बड़ी यातनायें झेलनी पड़ती हैं। मेरे क्षेत्र में करीब १२ साल पहले सरकार ने यह एलान किया कि श्रमदान द्वारा मोटर सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिये। पी० डब्लू० डी० की २९ मील लम्बी सड़क को जनता के श्रमदान द्वारा २२ फीट चौड़ी बना डाली, वह समझते थे कि इसको मोटरेबिल बना दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जायगा। इसी प्रकार पौड़ी-देवप्रयाग जो २० मील है उस में १३ मील लम्बी सड़क श्रमदान द्वारा बनाई और मोटरेबिल बनाने की कोशिश की, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि तब से अब तक सरकार ने कभी भी इस बात की कोई परवाह नहीं की। जो श्रमदान लोगों ने किया है उस को बचाने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिये। कितने दुःख की बात है कि लोगों ने जो अपना श्रमदान द्वारा काम किया है अगर सरकार उसको सम्हालने की कोशिश नहीं करती जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। पी० डब्लू० डी० की कितनी सड़कें बरसात में हजम हो जाया करती हैं जिन सड़कों का एक भी निशान नहीं मिला करता। तो वे कच्ची सड़कें जिनका जनता ने निर्माण किया है वह कैसे बचाई जा सकती है, जब तक यह सरकार उन सड़कों को बचाने के लिये अपने हाथ में न ले, मैं बड़े अदब से पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बात पर अवश्य जोर दिया जाना चाहिये कि जनता ने जो काम अपने दुख और तकलीफ को दूर करने के लिये किया है, सरकार का कर्त्तव्य है कि सबसे पहले उन कामों को वह अपने हाथ में ले और सरकारी खजाने से रुपया इन सड़कों के मेन्टेनेन्स पर खर्च किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मोटर की सड़कों पर पुलों की जरूरत है। पुल की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। पौड़ी गढ़वाल में बांगघाट पर नायर नदी के ऊपर मोटर सड़क पर पुल की जरूरत है। पुल न होने की वजह से जो वहां पर यातायात चलता है वह केवल २ महीने तक चलता है और १० महीने तक लोग मोटर सड़क के फायदे से महरूम किये जाते हैं। मुझे इसका सख्त अफसोस है। मैंने कई बार सरकार को लिखा है कि इन मोटर रोड्स पर पुल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

दूसरी बात मैं खाद्यान्न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्री मेरे जिले गढ़वाल के ही निवासी हैं परन्तु अभी तक उन्होंने उनकी मुसीबतों की तरफ ध्यान नहीं दिया है जो वहां पर गांवों में बसते हैं। जो गल्ला सरकार की तरफ से दिया जाता है वह सड़कों तक ही मोटर ले जाती है। जब सड़क से वह खाद्यान्न खच्चरों के द्वारा ३०, ४० मील दूर ले जाना पड़ता है। एक खच्चर की केपेसिटी बोझ ढोने की ज्यादा से ज्यादा २ मन होती है। उसके ट्रांजिट चार्जेज ३०, ४०, ५० रुपया फी खच्चर के हिसाब से पड़ते हैं। इस प्रकार से आटा, चावल और खाद्यान्न के ले जाने के एक मन पर २०, २५ रुपया ट्रांजिट चार्जेज आज लोगों को देने पड़ते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस भाव से उनको आज अनाज प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को यह देखना चाहिये कि सारे प्रदेश में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। क्या यहां पर जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ है उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों की दयनीय दशा का हल निकाले कि किस तरह से उनको राहत पहुंचाई जा सकती है? मैं बतलाना चाहता हूं कि गुजिश्ता जमाने में कांग्रेस सरकार के जमाने में जब अनाज की कमी हुई थी तो सरकार ने यह किया था कि ईशु गोदाम से जहां पर लोग खच्चरों पर खाद्यान्न ले जाते थे तो ट्रान्जिट चार्जेज में गवर्नमेंट सबसिडी दिया करती थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भाव में ऋषिकेश में लोगों को अनाज मिलता था उसी भाव पर सारे कुमायूं के लिये सामान मिला करता था। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से यह व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। गवर्नमेन्ट के ईशु गोदाम से हर ब्लाक के स्थान तक जितना खर्चा, ट्रांजिट खर्चा हो वह गवर्नमेन्ट खजाने से दिया जाना चाहिये ताकि उसी भाव पर जनता को खाने-पीने का सामान मिल सके। इसके अलावा मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को बहुत मुसीबत है। उनके पास अनाज नहीं है। वे २०, २५ मील से जाकर अनाज प्राप्त करते हैं और वह भी उन को ५ सेर मिलता है। इससे उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है। दो दिन तो उन को रास्ते में ही निकल जाते हैं। अगर उनको वहां से ३ सेर अनाज मिला तो आप समझ सकते हैं कि वह अपने बच्चों के लिये क्या ले जा सकते हैं? जिन लोगों के पास

पैसा नहीं है अथवा जिनके पैरेंट फौज में मारे गये हैं ऐसे लोगों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। उत्तराखंड और कुमायूं के प्रदेश उत्तर प्रदेश के ही एक अंग हैं और वहां के निवासियों को यह आशा करनी चाहिये कि सरकार उनके भी खाने पीने की व्यवस्था करेगी। वहां दो रुपये सेर दाल मिलती है इसलिये कि ३०, ४० रुपया उनको खच्चर का भाड़ा देना पड़ता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ट्रांजिट चार्ज को सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम कि है पहाड़ की समस्यायें निराली हैं। जो प्लान इस मैदानी इलाके के लिये बनते हैं कारगर साबित होते हैं वे हम लोगों के यहां असफल सिद्ध होते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन आपके यहां व्यवस्था ला सकते हैं वे हमारे यहां सफल नहीं होते। अभी सरकार की ओर से एक जी० ओ० गया था कि जिन किसानों की आमदनी २०० रुपये से कम है उन के लिये ही राशन की व्यवस्था की जायगी। अगर इस तरह के यूनिफार्म रेगुलेशंस आप सारे प्रदेश में लागू करेंगे तो जो डेफिसिट एरियाज हैं जहां लोगों को अनाज की ज्यादा जरूरत है वहां बड़ी अव्यवस्था फैल जायगी। इसलिये भी आपको पहाड़ी इलाकों के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। एक बार उत्तर प्रदेश में कुएं खोदने के लिये हर जिले को रुपया एलाट किया गया बजट में। कुमायूं और गढ़वाल के जिलों को भी वह रुपया मिला। आप जान सकते हैं कि वहां कैसे कुएं बनाये जा सकते हैं। अगर सरकार को मालूम होता तो वहां के लिये वह रुपया दिया ही न जाता, लकिन सरकारी अधिकारी जो वहां इंचार्ज थे उनसे हमने कहा कि इस रुपये से नल आदि लगा कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था वे करवा दें तो उनका उत्तर था कि यह रुपया कुए बनाने के लिये है, उसी पर खर्च होगा। इसीलिये मैं चाहता हूं कि अपनी बात आप के सामने रखूं और आप मेरे खड़े होने पर नाराज होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी से नाराज नहीं होता।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं उस दिन भी अपनी बात कहना चाहता था और उसके लिये मैंने आपकी नाराजी सही। मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गये होंगे कि पहाड़ और मैदान की समस्यायें भिन्न-भिन्न हैं और इसलिये लाजमी है कि हर बात पर, हर सवाल पर पहाड़ी, प्रतिनिधियों की बात अवश्य सुनी जाय। मोटर की सड़कों के लिये जो रुपया सप्लीमेंटरी में रखा गया है उसके संबंध मे निवेदन है कि जो सड़कें श्रमदान में वहां की जनता ने अपना खूनपसीना एक कर के बनायी हैं, अपनी खेती और बाल-बच्चों को छोड़कर बनायी हैं उनको सरकार सबसे पहले मेन्टेनेन्स के लिये अपने अधिकार में ले। क्या अनन्त काल तक जनता उन सड़कों को ठीक रख सकती है? इस प्रकार की आशा करना नाजायज है और बुद्धि से काम लेने की यह बात नहीं है। अगर समझदारी से काम लिया जाय तो कोई आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पहाड़ के किसानों को जिन्दा रखना चाहिये और सरकार को इस ट्रांजिट के बोझ को अपने ऊपर लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ है उसको जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि इसमें आधी रकम केवल गल्ला खरीदने के लिये है और यह १० करोड़ रुपये की रकम गल्ले के वितरण हो जाने पर वसूल हो जायगी। इसके अतिरिक्त गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, और देवरिया में सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, उद्योग, सड़कों आदि पर विशेष योजनाओं द्वारा खर्च करने की व्यवस्था भी की गयी है। जो धन इसमें संचित निधि से खर्चा

[श्री मुरलीधर कुरील]

होना है वह फिर वापस हो जायगा। तो यह बजट केवल हिसाब को पूरा करने के लिये ही लाया गया है।

कुछ बातें मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं। एक मद इसमें है कोषागार निदेशालय की स्थापना के लिये। इस सम्बन्ध में एक डाइरेक्टर नियुक्त किया जायगा, उसका एक आफिस होगा और वह ट्रेजरी के संबंध में नियंत्रण करेगा। यह एक अच्छी बात हुई है। अभी एक ट्रेजरी का नियंत्रण न होने के कारण बहुत सी गड़बड़ियां हुआ करती थीं। कानपुर में पिछले दिनों ३, ४ साल पहले कृषि विभाग के सीड स्टोर से बीज की खाद की कई तरह की तकावियां बांटी गयीं और बुरी तरह से उन का वितरण किया गया। जिन्होंने नहीं लिया उन से भी हस्ताक्षर करवा लिये गये और अनेक हस्ताक्षर जाली करवा लिये गये। उसके बाद जब उन्होंने ट्रेजरी में तकावी जमा की, तो उनको इस तरह से खातों में चढ़ाया गया कि वह सारी गड़बड़ आज भी चल रही है। जिसने तकावी वापस कर दी उस के नाम आज भी वह काकी है और जिसने जमा नहीं की, उसके नाम से जमा कर दी गयी है। तो इसके लिये आप किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त करें कि जो इसकी जांच करे। ४, ५ लाख रुपया इस गड़बड़ में पड़ा हुआ है। जो कर्मचारी उस समय थे उन में से बहुत से इधर उधर स्थानांतरित हो गये हैं और कुछ रिटायर हो गये हैं। इस वजह से वहां का हिसाब और भी नहीं मिल पा रहा और किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। दूसरी यह रकम जो कर्मचारियों की तनख्वाहें रखी गयी हैं इनमें सतर्कता आयोग के जो बहुत से कर्मचारी हैं वह पुलिस विभाग से संबंधित हैं, तो क्या ये तनख्वाहें पुलिस विभाग में से न दे करके यह रकम किसी और खर्चे में से दी जायगी, यह किस तरह से खर्च की जायगी, इसकी साफ-साफ जानकारी होनी चाहिए। पुलिस विभाग के कानपुर और लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के पुनर्गठन में कुछ रकम रखी गयी है। यह कार्य भी सराहनीय है, क्योंकि जितनी महानगरियां हैं इनमें जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ वहां पर आवागमन का कंट्रोल नहीं होता। तो यह जो ट्रकें शहर के सकरे भागों में जाती हैं और आये दिन इस तरह की गड़बड़ियां और ऐक्सीडेंट होते हैं जिससे लोगों की जानें जाती हैं यह चीज बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है। मैं मांग करना चाहता हूं कि इन महानगरियों में जो ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां बनी हुई हैं जो शहर के अन्दर माल लादती हैं और सकरी से सकरी गलियों में उनके गोदाम बने हैं, तो जब माल लादती हैं तो आवागमन रुक जाता है और ऐक्सीडेंट्स की संभावनाएं होती हैं। पिछले दिनों कानपुर में बिरहाना रोड पर एक ट्रांस्पोर्ट कम्पनी थी, उसमें गैस के सिलिंडर्स लदते समय सिलिन्डर फटे और उससे बहुत बड़ा तहलका मचा और लोग बेहोश हुए। अगर इस तरह की ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां शहर के बाहर कर दी जायं और इन ट्रकों को छोटी गलियों में आने जाने की मनाही कर दी जाय तो उससे बहुत सुरक्षा हो सकती है और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकेगा।

एक बात मुझे और कहनी है। शिक्षा के ऊपर काफी अनुदान रखा गया है और इसमें कई कार्य किये जा रहे हैं। कई वर्ष हुए कानपुर के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन सरकार ने इस मसले पर अब तक विचार नहीं किया। कानपुर में इस समय जो शिक्षा संस्थाएं और डिग्री कालेज हैं उनके अलावा प्रशिक्षण की दो ऊंची किस्म की संस्थायें खुल गयी हैं। उनको देखते हुए और विद्यार्थियों की तादाद को देखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र होनी बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आगे जब सालाना बजट सरकार लायेगी उस समय तक इस पर अवश्य विचार करेगी और विश्वविद्यालय खोलने की बात अवश्य निश्चित कर दी जायगी।

हरिजन कल्याण विभाग का जो अनुदान रखा गया है वह बहुत ही थोड़ा है और वह हिसाब की खानापुरी के लिए है। मंत्री जी ने स्वयं पिछले सालाना बजट के पेश होते समय शिकायतों के उत्तर में कहा था कि जो अनुदान हरिजन विभाग की तरफ से चाहे कुएं या खेती संबंधित हो या अन्य कार्यों के लिए हो, वह ब्लाकों में सही तरीके से वितरण नहीं हो पाता और

वह तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है या किसी मद की रकम किसी मद में चली जाती है और शीघ्र काम नहीं हो पाता। उन गड़बड़ियों को रोकने लिये यह मांग की गयी थी कि जैसा कि पहले जिलों में एक छोटी सी कमेटी बनायी गयी थी जो इसका वितरण करती थी, वही फिर बना दी जाय। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि इस सुझाव पर विचार किया जायेगा लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को एक कमेटी शीघ्र ही बिठाना चाहिये जो यह देखे कि विकास खंडों के अन्दर कितना रुपया जिलों के अन्दर पड़ा हुआ है और खर्च नहीं हो पाया है। अगर उसके वितरण में सुधार न किया गया और यह कमेटी न बनायी गयी तो इस रुपये से जनता को लाभ न हो पायेगा और यह रुपया सब पड़ा रह जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने के लिये मुझे समय दिया। मैं अपनी इस बृहत् काया का भी आभारी हूं कि इसने कई बार उठने बैठने के बाद आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर ही लिया। इसलिये मैं आपको और अपनी काया को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में अपनी कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बजट पिछले सालों के मुकाबले कुछ बड़ा नजर आता है। इस लम्बे चौड़े अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी कुछ दलीलें दीं। श्रीमन्, पब्लिक फाइनेंसिंग का यह उत्कृष्ट नमूना है कि जब भी आदमी पब्लिक फाइनेंसिंग करने बैठता है तो वह पहले अखराजात को सोचता है। जब उसमें कमी पड़ती है तो उसके लिये अनुपूरक बजट भी आता है। इसमें दो राय नहीं हैं। प्रदेश में तरक्की के बहुत से काम हो रहे हैं। उन पर जब खर्चा बढ़ेगा तो अनुमानित बजट भी बढ़ ही जायेगा यह मानी हुई बात है। लेकिन फिर कुछ चन्द बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली बात है कि मैं अनुदान संख्या १७ जो शिक्षा के सिलसिले में है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। खासतौर से मैं आपका ध्यान माननीय कुरील के भाषण की आखिरी लाइन पर भी दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कानपुर में जल्दी ही नयी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। विचार बड़ा उत्तम है, और भी यूनिवर्सिटीज खुलें। चूंकि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोर्ट का ग्रेजुएट कान्स्टीटुएन्सी से मेम्बर हूं, उसके एक्स्पीरिअन्स पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि नयी यूनिवर्सिटी खुलने में क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। यह पहले आशा थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी पूर्वी जिलों के लोगों का बड़ा कल्याण करेगी। लेकिन इधर यह देखा गया कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा विचित्र सा है। हम जितनी उससे बेहतरी की उम्मीद करते थे उतनी नहीं हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह विशेष तौर से गोरखपुर विश्वविद्यालय पर ध्यान दे। गुप्ता जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने स्टेट लेविल पर यूनिवर्सिटी इनक्वायरी कमीशन बैठाया था और उसने तमाम यूनिवर्सिटीज के फाइनेंसेज के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन मैं देख यह रहा हूं कि हमारी सरकार जो कांग्रेस की ही है शायद यह भूल गई कि उससे भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कुछ आशय था। उस रिपोर्ट से मालूम होगा कि वहां खर्च करने में कितनी अनियमिततायें हो रही हैं। वह रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि उसकी सब बातों को कहने में घंटों लग जावेंगे। वह रिपोर्ट यहां रखनी चाहिये जिससे सामान्य सदस्यों को भी स्थिति मालूम हो जाय। दो-तीन बातें मिसाल के लिये मैं रखना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि गोरखपुर में आदमियों की शक्ल देखकर बिना जरूरत एप्वायंटमेंट्स कर लिये गये हैं, संस्कृत विभाग में एम० ए० प्रीवियस में कुल दो विद्यार्थी हैं और १३ अध्यापक हैं, जिनमें २ रीडर के स्थान हैं जबकि और विभागों में जहां विद्यार्थियों की संख्या कहीं अधिक है केवल १ ही रीडर का स्थान है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी आज ५

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

लाख के घाटे में चल रही है। वहां बहुत सी जगह ऐसी हैं जो आपके विभाग से स्वीकृत नहीं हैं मगर उन पर लोग काम कर रहे हैं और वेतन पा रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकाउन्ट्स और असिस्टेन्ट रजिस्टार एडमिनिस्ट्रेशन की जगह आपके यहां से स्वीकृत नहीं है लेकिन उन पर लोग काम कर रहे हैं और सैलेरी ड्रा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय उन्नति करे। इसी प्रकार गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्टेट अफसर की पोस्ट है। जहां तक मुझे जानकारी है, यह आपके विभाग द्वारा सैंक्शन्ड नहीं है। जब हम टैक्स-पेयर का पैसा किसी को देते हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम यह देखें कि उसका ठीक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

आज करीब १९, २० योजनायें हमारी सरकार की कृषि के क्षेत्र में चल रही हैं। मगर उनके बावजूद भी हमारी खेती की प्रोड्यूस घटती जा रही है। ऐसा हो सकता है कि शायद वक्त से पहले हम कृषकों को अनावश्यक साधन दे देते हैं। यदि हम केवल तीन बातों को ध्यान में रखें तो इससे किसान का बहुत लाभ हो सकता है और पैदावार बढ़ सकती है। हमें चाहिये कि हम उसे सब्सीडाइज्ड पानी, सब्सीडाइज्ड खाद और सब्सीडाइज्ड बीज दें। हम लम्बी-लम्बी नहरें तो निकालते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारे प्रदेश में अधिक संख्या छोटे किसानों की है। मिसाल के तौर पर ५ एकड़ पर एक कुआं बजाय रुपया नकद देने के सब्सीडाइज्ड तरीके से P. W. D. की टेम्पोरेरी डिवीजन खोल कर उसी के द्वारा बनाया जाय फिर तीन वर्षों तक मुफ्त पानी किसान पाये और तब बाद में धीरे-धीरे १२, १३ साल में उसकी रकम लगान के साथ अदा कर दे, इससे हम किसान को ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। और भूमि लेना, मुआवजा देना इत्यादि परेशानियों से अपने आपको बचा लेंगे। इस प्रकार पानी की सुविधा हो जाय तो किसान की आधी समस्या हल हो जाये, अगर खाद की सुविधा हो जाय तो एक-तिहाई समस्या हल हो जाय। बीज का प्रबन्ध होने से तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। इसलिये, पानी, बीज और खाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा अनावश्यक सिंचाई इत्यादि के नाम पर होते हुए अपव्यय को रोका जा सकता है।

अब मैं गन्ने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गन्ना ही कैश क्राप है और बदकिस्मती से वहां मिलें पहले बनीं और गन्ने की खेती बाद में शुरू हुई। इससे फैक्ट्री एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वांटेबिल है। कहीं तो फैक्ट्री के ३ मील पर ही उसका जोन खत्म हो जाता है और कहीं १८ मील तक जाता है। अगर जोन ठीक कर दिये जावें तो मिल से दूरी समान हो जायेगी और किसान का गन्ना २४ घंटे में मिल में पहुंच जावे। इससे ५ परसैन्ट रिकवरी बढ़ जायेगी। इससे सरकार को एक खासी रकम एक्साइज के रूप में मिल सकेगी। इसलिये सरकार को मिलों के रीजिनिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष कई मिलों में गन्ना खड़ा रह जाने की सम्भावना है जैसे सिसवा बाजार की चीनी मिल। सरकार सजग हो मैं चेतावनी देना चाहता हूं।

एक और मामूली बात है, जन-स्वास्थ्य की। सौभाग्य से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। देहात में डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं होते। अगर किसी तरह से उनका वहां के लिये ट्रांसफर कर भी दिया जाता है तो अज्ञात कारणों से वह कैंसिल हो जाता है, जिसे विभाग और माननीय मंत्री बेहतर जानें। डाक्टर न पहुंचने से जनता को कोई लाभ नहीं होता और जो स्टाफ और दवाओं का स्टाक वहां दिया जाता है वह रैकरिंग खर्चा बेकार जाता है और टैक्स पेयर का पैसा पानी में जाता है। इसलिये आप उन अस्पतालों को बन्द कर दें तो अच्छा हो। सिसवा बाजार का जनाना अस्पताल इसका भुक्त भोगी है और ज्वलन्त उदाहरण है। करोड़ों रुपये की दवायें और ग्रान्ट बेकार हो जाती है और सरकार देहात के अस्पतालों पर उपयुक्त मात्रा में दवायें नहीं दे पाती है। दवाओं के नाम पर मरीजों को रंगा पानी किसी तरह देकर डाक्टर अपनी जान छुड़ाते हैं। देहात के अस्पतालों को या तो वेसी रकम दवा के लिये दिया जाय जिससे सही सेवा हो सके या बे मतलब खानापूरी के लिये अस्पताल रखे जायें। आप वहां

जो दवाइयां भेजते हैं उनका सदुपयोग डाक्टर न होने से नहीं होता है। ऐसे अस्पतालों को रखने में लाभ ही क्या है? या तो वहां डाक्टर भेजे, जहां डाक्टर हैं वहां पूरी दवाइयां दें या उनको बन्द कर देंता कि कर दाता का पैसा ही बच सकें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, इस सदन के अन्दर दो ही ऐसे अवसर आते हैं, एक तो बजट का अवसर और दूसरा रिवाइज्ड बजट का अवसर जब कि जनरल तरीके से कोई सदस्य अपने भाव प्रकट कर सकता है और सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाल सकता है, उनकी टीका-टिप्पणी कर सकता है, आलोचना कर सकता है और अपने सुझाव रख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रिवाइज्ड बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसनत है कि सरकार ने उन तमाम चीजों के ऊपर ध्यान दिया है जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। आज अपने देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अधिक अन्न उपजे। इसके लिए हम इस सदन के अन्दर कई बार अपने इटावे जिले की तरफ से निवेदन कर चुके हैं कि हमारे जिले में एक मुख्य प्रश्न यह है कि हमारे यहां ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पानी भर जाता है और वह जमीन खेती के योग्य नहीं रह जाती। इस बात पर कई बार बल दिया जा चुका है—यदि हमारे जिले का एक बार सर्वे हो जाय और वाटर लागिंग एरिया जो है उसका पानी निकालने का इन्तजाम कर दिया जाय तो हजारों एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक तो यह प्रश्न है। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी आवश्यकता सिंचाई के साधनों की है। हम जितना ही सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दें, उतना ही गल्ले की पैदावार बढ़ सकती है। बांध बनाने, नहर निकालने आदि की बात तो एक तरफ है, लेकिन पानी पर्याप्त न मिलने की वजह से यह कोई योजनायें सफल नहीं होतीं। मैं यह सुझाव दूंगा कि किसानों से कुओं बनवाने के ऊपर अधिक से अधिक बल आप दें। मैं स्वीकार करता हूं कि आज कुएं बनाने के लिए तकावी वगैरह दी जा रही है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से आवश्यक नियंत्रण के अभाव में उतने कुएं नहीं बन सके हैं जितने कि बनने चाहिये थे। लोग कुओं के लिए अनुदान लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, कुएं नहीं बनाते। कहीं-कहीं यह भी देखने में आया है कि ईंट और सीमेंट उपलब्धन होने की वजह से वह नहीं बन सके हैं। तो मैं माननीय निर्माण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह कुए बनवाने के ऊपर अधिक जोर दें और अधिक से अधिक तकावी और कर्ज देकर अधिक कुएं बनवाने का इंतजाम करें।

हमारे जिले में एक हिस्सा है जमुना और चम्बल के बीच का जहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है। वहां कुएं नहीं बन सकते क्योंकि पानी ७० हाथ गहरा है। नहर वहां पहुंच नहीं सकती है। केवल एक ट्यूबवेल की योजना चल सकती है। उसी के पास आगरे वगैरह का हिस्सा भी है, लेकिन वहां तो आपने ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई साधन उपलब्ध कर दिये। इटावे जिले का केवल वह ३०–३५ मील का हिस्सा रह गया है जो इस सुविधा से अभी भी वंचित है। मैं सिंचाई मंत्री से नम्रता से निवेदन करूंगा कि वहां इस योजना का सर्वे करा कर इसको पूरा करने की कोशिश करें।

सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ध्यान देती है और बहुत धन व्यय करती है, बड़े-बड़े अनुदान आज वह दे रही है और इस दिशा में जो सरकार का प्रयास है वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आवश्यक नियंत्रण के अभाव में जो सरकार व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान या ग्रान्ट देती है उसका प्रायः दुरुपयोग होता है। मैं यह बहुत जोर के साथ, दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, निवेदन करने का साहस करता हूं बिना किसी प्रतिवाद के डर के। मेरा यह विश्वास है कि जो अनुदान दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है।

[श्री बद्री प्रसाद पालीवाल]

आज शिक्षा संस्थाओं की यह दशा है कि मास्टरों से २००–२५० की रसीद ली जाती है लेकिन तनख्वाह १०० और १२० रुपये दी जाती है। उनके साथ ४२० किया जाता है और तमाशा यह है कि कहीं-कहीं तो ऐसी संस्थायें है कि जहां २५०–३०० लड़के हैं, उनको २० बीस-बीस हजार रुपये का अनुदान मिल गया है। कोई-कोई संस्था ऐसी है जिसमें दो-ढाई हजार लड़के हैं लेकिन वहां भी २० हजार रुपये की ग्रान्ट दी जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से अनुदान देता है। ऐसी शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धक हिसाब बनाने में बड़े पटु है। और ४२० करके, १०–१५ प्रतिशत कमीशन देकर बड़ी-बड़ी ग्रान्ट्स मंजूर करा कर ले जाते है। ऐसी संस्थाओं की जांच के लिये कोई अलग एजेन्सी बनायी जानी चाहिये।

हमारे जिले में यातायात की दशा भी अत्यन्त सोचनीय है। फरूखाबाद में भर्थना और विधुना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां सड़कें न होने से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। यातायात के अभाव में कृषि का उत्पादन मंडी में नहीं पहुंच पाता है। माननीय निर्माण मंत्री इस दृष्टि से हमारे जिले का सर्वे करायें और सड़कों का निर्माण करायें।

हमारे जिले में यद्यपि बिजली का प्रसार हुआ है लेकिन विधूना, भर्थना तहसीलों में तथा कुछ और तहसीलों में बिजली अभी नहीं गयी है। इसलिये इन स्थानों में बिजली पहुंचाने का बिजली मंत्री प्रयत्न करें।

यह सच है कि इस बीच में सहकारिता के काम में बहुत वृद्धि हुई है। संसदीय प्रणाली में सहकारिता एक ऐसा स्थम्भ है जिसको पनपाना चाहिये लेकिन जिस रूप में वह पनप रहा है, उस रूप में उसके गलत जगह पहुंचने की आशंका है। रुपयों की बड़ी लंबी-लंबी गोलमाल हो रही है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुछ नहीं करता है। सुपरवाइजर कर सकता है लेकिन उसकी वैधानिक स्थिति बड़ी भयंकर है। वह एक कमेटी के मातहत है जो उसको सजा नहीं दे पाती है। अगर सजा दे भी देती है तो आगे से वह बरी हो जाता है। अगर सुपरवाइजर को सरकारी नौकर मान लिया जाय उस पर आवश्यक नियंत्रण किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुपूरक बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। बजट की जिन भागों में सरकार को जनता के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता महसूस हुई, उनके बारे में यह अनुपूरक मांग लायी गयी है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विभाग द्वारा पूर्वी अंचल के हमारे जिले में यातायात के साधनों और पुलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिये फैजाबाद की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, तीन वर्ष पूर्व भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त को सन् ६२ में वहां के निवासियों और विधायकों की ओर से एक स्मृति पत्र दिया गया था जिसमें जलालपुर से टांडा तक सड़क बनवाने के बारे में कहा गया। अगर सड़क बना दी जायं तो उस क्षेत्र में काफी लाभ इन्डस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है। टौंस नदी पर पुल के निर्माण के सिलसिले में सन् १९६२ से बराबर हम माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को स्मृति पत्र देते रहे है, जनता की तरफ से और इस जिले के विधायकों की तरफ से। और गत वर्ष माननीया मुख्य मंत्री को याद होगा, जिस समय वह फैजाबाद जिले में गई थीं वहां की जनता और वहां के सभी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं तथा विधायकों ने आपसे यह प्रार्थना की थी कि आप इस जिले में इस पूर्वी अंचल की तरफ ध्यान दें और जलालपुर से टांडा तक एक सड़क बना दी जाये जिससे कि ४ कस्बें (जलालपुर, किचौचा, बसखारी और टांडा) मिलने जा रहे हैं। इस सड़क पर एक पुल की व्यवस्था करने की तरफ भी ध्यान

दिलाया गया था और माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया था। लेकिन अफसोस के साथ आज इस सदन में कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन देने के बाद भी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने इसकी आवश्यकता को समझते हुये भी आज इस बजट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। फैजाबाद जिले के पूर्वी अंचल की जनता आज इन सुविधाओं से वंचित है, जो इस अनुपूरक बजट या असली बजट में उसके लिये होनी चाहिये थीं। इन ४ कस्बों की तरफ जिनका जिक्र मैंने अभी किया है वहां की जनता से इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्सों के रूप में सरकार को कई लाख रुपये की आमदनी होती है जो रुपया जनता के द्वारा सरकार को प्राप्त होता है वह उसके हित में भी खर्च होना चाहिये लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है इस प्रकार के हम सरकार के इस रवैये का विरोध करते हैं। फैजाबाद जिले में ५० मील के एरिया में केवल एक पुल अकबरपुर में रक्खा गया है।

जलालपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर पुल का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वहां पर पुल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि पुल के बनाने में कोई बड़ी लागत लगने वाली नहीं है और जिला परिषद् ने भी उसका एस्टीमेट करीब ३ लाख रुपये की लागत का भेजा है। इस बजट की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं इसकी आलोचना करता हूं कि जनता की जो आवश्यकतायें हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार उनकी तरफ ध्यान दें। सरकार इस बजट में, इसके आगे और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस तरफ ध्यान दे कि यहां पर एक पुल का होना अति आवश्यक है। जिस प्रान्त में या जिस जिले में यातायात का साधन पुल नहीं होगा वह हिस्सा कभी भी इन्डस्ट्रिलाइजेशन में उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है माननीया मुख्य मंत्री जी से, कि जो इस समय यहां पर बैठी हुई हैं और जिनको ३ वर्षों से स्मृति पत्र दिया जा रहा है और जो स्वयं फैजाबाद जिले की विषम स्थिति से अच्छी भांति परिचित हैं और इसकी जानकारी रखती हैं उन्होंने इस जिले की सेवा भी की थी और ब्रिटिश साम्राज्य काल में उन्होंने यहां यातनायें भी सही थीं। इसके बाद मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में जो सबसे बड़ा खेतिहर प्रदेश है, उसके यातायात की समस्या की तरफ ध्यान रक्खा जाना चाहिये।

दूसरा सवाल है सिंचाई का। कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई के साधनों की अत्यन्त आवश्यकता है। उदाहरण के लिये जिस समय जहां अनावृष्टि है, वर्षा नहीं हो रही है तो वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायें और वहां के लोगों को धान (जड़हन) की फसल के लिए जो बिना पानी और वर्षा के नहीं हो सकती है सिंचाई के साधन मुहैया किये जायं। पूर्वी अंचल की जनता के लिये कम से कम ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी आवश्यक है। जिसके बारे में मैंने और वहां की जनता ने हमेशा निवेदन किया है। उस एरिया में सिंचाई के साधन नहीं है और उनके बारे में हमने माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाया। हमने बराबर इसकी तरफ सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाया और अभी करीब एक महीना पूर्व उनकी सेवा में एक पत्र भी लिख कर दिया, लेकिन उसकी तरफ इस बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। सिंचाई मंत्री महोदय का अपने विभाग पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनके विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। उनके पास इस सदन में उपस्थित होने का भी समय नहीं है, ऐसा मंत्री जिसका अपने विभाग पर कोई कंट्रोल न हो, जो अपने विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने में असमर्थ हो, जो इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही न कर सकता हो, ऐसे मंत्री को अधिकार नहीं है कि वह मंत्रि परिषद् में रहे।

अब मैं सामान्य प्रशासन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जो सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और उसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ सतर्कता आयोग की स्थापना हो जाने से ही वाकई में भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा जब तक कि विधायकों और जनता की उचित शिकायतों के सुनने के लिये आप अपना समय न दें। मैंने ५ मई, १९६४ को फैजाबाद के डी० एस० ओ० के खिलाफ १४ आरोपों के साथ एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया और

[श्री जगदम्बाप्रसाद]

उसका फिर एक रिमाइंडर भी दिया, लेकिन आज तक वे डी० एस० ओ० साहब वहीं मौजूद हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं। मेरा निवेदन है कि आप इनक्वायरी करा कर उसके खिलाफ ऐक्शन लें, क्योंकि उस भ्रष्टाचार से सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है। २५ भट्ठे वहां बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। सरकार का आदेश है कि एक भट्ठे के बीच में ५ मील का अन्तर होना चाहिये, लेकिन इसका वहां कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मेरे ५ मई, १९६४ के पत्र के बाद भी वे अभी फैजाबाद में ही उसी हालात में पड़े हुए हैं। अगर सतर्कता आयोग का ऐसा ही काम है तो मैं समझता हूं कि वाकई में जिस उद्देश्य से इस आयोग को पब्लिक का रुपया दिया जा रहा है, वह उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकेगा।

दूसरी चीज मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी रिश्तेदारी उसी जिले में है और दो साल से हम बराबर इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन उसमें इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि नियमानुसार कोई भी उच्च अधिकारी उस जिले में नहीं रखा जाना चाहिये जहां उसकी रिश्तेदारी हो। फैजाबाद के ऐसे ३ उच्चाधिकारी--सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक और डी० एस० ओ० हैं जिनकी रिश्तेदारी उसी जिले में है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप होने पर भी आज तक शासन की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करते हुए मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि वह जनहित में जनता की शिकायतों की तरफ ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन आज हमें यह समाप्त भी करना है, बिल भी पेश होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कृपा करके जो आइटम्स आयेंगे उन्हीं पर बोल लेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे दें, उसके बाद एक-एक आइटम लिया जायगा, उस पर आप बोल लेंगे

(अनेक सदस्य-जनरल ही बोलने दें।)

श्री उपाध्यक्ष--

तो ठीक है, ४ बजे तक आप लोग बोल लें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पर अपनी बात कहने के पूर्व एक शेर कहना चाहता हूं और शायद मैं खुशकिस्मत हूं कि कुछ खास-खास मंत्रिपरिषद् के सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री यहां मौजूद हैं। वह शेर यह है कि

"कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ
रंज लीडर को है मगर आराम के साथ।"

इसलिये मैं यह बात कहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिये जो पटेल जांच आयोग बना था और जो बजट इस में दिया गया है जिसमें महज ४ जिलों की चर्चा है, सभी पूर्वी जिलों की चर्चा इस सदन में होती थी तो कभी उसमें केवल इन्हीं ४-५ जिलों की बात नहीं कही जाती थी और हमेशा यही कहा गया कि यह सेम्पिल सर्वे है और इन ४ जिलों के अलावा इधर के इस तरह के जितने पिछड़े इलाके होंगे सब के लिये यह सर्वे कराया गया है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है सरकार केवल उन्हीं ४ जिलों का बजट सामने लाती है। ऐसा क्यों है? श्रीमन्, मैं यह मानने में असमर्थ हूं और मेरी बात को यह न समझ लिया जाय कि मैं यह बात कोई रीजनल बेसिस पर कह रहा हूं या पूर्व-पश्चिम की बात पैदा करने और किसी भेद-भाव की बात

मैं कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहता, बल्कि किसी भी एकानामिक प्लानिंग में वह बात करनी पड़ेगी कि जो इलाके ज्यादा पिछड़े हैं उनको पहले उठाना पड़ेगा और समाज के जो सेक्शन्स पिछड़े हैं उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस सिद्धान्त के विरुद्ध कोई भेदभाव होगा, कोई उपेक्षा की नीति अपनाई जायगी तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश का या उस पिछड़े इलाके का कोई कल्याण होने वाला है।

एक उदाहरण मैं दे दूं, गाजीपुर में यह स्कीम्स लागू होंगी, नलकूप को सड़कों को, कुक्कुट तथा मत्स्य पालन को, सूअर पालन को यह सब स्कीमें वहां चलेंगी लेकिन जो इस प्रदेश का सब से कार्नर का, सबसे पूर्व का जो बलिया का इलाका है वहां कोई स्कीम नहीं है, क्या वहां कोई गरीब-नहीं है? मेरे क्षेत्र के बगल में आजमगढ़ का एक भाग पड़ता है वहां की तरक्की होगी, देवरिया में तरक्की होगी और मेरे क्षेत्र और तहसील के लोग मुंह देखेंगे। आजमगढ़ के लोगों की तरक्की हो, देवरिया की तरक्की हो और गोरखपुर भूखा मरे यह कौन सा न्याय है? जिस क्षेत्र से जिन जिलों से दूसरे लोग आते हैं उनको भी इस बात का खयाल करना चाहिये। दस करोड़ रुपये के आइटम की बात इस बजट में कही गई और कहा गया कि खाद्यान्न का वितरण होगा। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि गोरखपुर कमिश्नरी को ६ हजार टन एलाट किया गया है। कितने लोगों के लिये यह गल्ला दिया जा रहा है? आज देहातों की जो हालत है वहां जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि इस दस करोड़ रुपए के व्यवसाय से और गल्ले के वितरण से इस समस्या का कहां तक हल हो सकता है? मेरा सुझाव है कि इस दस करोड़ के अलावा और पैसा रखा जाय और जिन इलाकों में आज पेट पालने के लिये अनाज नहीं है वहां भी वितरण की व्यवस्था की जाय और सबके लिये अनाज का प्रबन्धकिया जाय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उसी पटेल आयोग की जांच के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी नदियों के कटाव और बाढ़ की चर्चा है लेकिन इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, वह गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर आदि सब के बारे में है लेकिन वह छोड़ दिया गया है। मुझे ट्रांसराप्ती और घाघरा नदियों के बाढ़, कटाव रोकने की स्कीम बतायी जाय कि क्या-क्या किया जा रहा है? मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन की चर्चा ही है या केवल कृषि विभाग या दूसरे विभाग ग्रान्ट ही मांग लेते हैं। मेरा कहना है कि इन ग्रान्ट्स के देने से उस इलाके की तरक्की नहीं हो सकती। अगर इसी तरह से तरक्की होनी होती तो देवरिया के हर स्टेशन पर एक-एक शुगर फैक्टरी है लेकिन आज भी वहां लोग भूखों मरने को मजबूर हैं। वजह क्या है? एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहता हूं कि देवरिया, गोरखपुर में सड़कों का जो रेशियो है उसके लिये अगर उचित व्यवस्था न की तो काम कैसे चलेगा। केवल यह कह देना कि पटेल आयोग की सिफारिशें हैं उसमें से लागू की जायंगी, कब की जायंगी? इस से काम हल नहीं होगा। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या होने वाला है। इस से प्रदेश में भेदभाव की भावना फैलेगी और असंतोष बढ़ेगा। आप निश्चित तौर पर विचार कीजिये। रोज जलकुन्डी योजना की बात कही जाती थी। आज कहां गई वह योजना? केवल कुक्कुट और मत्स्य पालन से काम नहीं चलने वाला है। मैं चाहता हूं कि यह बजट पास किया जाय और पूर्वी प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं। यह एक मान्य सिद्धान्त है कि मूल बजट में जो बातें प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं, या ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनका पहले से कोई अंदाजा नहीं होता उन्हीं का इस में समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से जब सोचता हूं तो नयी बात पर जो इस में है प्रसन्नता होती है। इसमें एक प्राविधिक लेखा परीक्षा इकाई के सृजन की बात कही गयी है। निश्चय ही यह बहुत की क्राइंग नीड थी। टैक्नीकल निर्माण कार्य का जो साधारण आडिट होता है वह पर्याप्त नहीं होता। बजट के समय माननीय

[श्री रामलखन शुक्ल]

सदस्यों ने कहा था कि इसकी आडिट जांच के लिये टैक्निकल पर्सोनेल होना चाहिये। इस आवश्यकता की पूर्ति यद्यपि मैं अनुभव करता हूं कि मूल बजट के समय होनी चाहिये थी, परन्तु अब भी की जा रही है, यह प्रसन्नता की बात है।

इसके साथ सर्तकता आयोग का निर्माण बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में एक ठोस कदम है। लेकिन जिस तरह से गठन हुआ है वह अपर्याप्त है उसे अधिक व्यापक बनाना चाहिये और मेरा सुझाव है कि इस आयोग को जनसेवी लोगों से ऐक्टिव सम्पर्क स्थापित करने की योजना भी होनी चाहिये थी। दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्यापन के सम्बन्ध में एक दक्षिण भारत की यात्रा करने का अवसर देने की बात है। मुझे इसकी खुशी है। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में भी एक भाषा संस्थान है जहां दक्षिणी भारत की भाषायें पढ़ाने की योजना है। मैं चाहता हूं कि उस भाषा संस्थान को भी समुचित योगदान दिया जाय।

पटेल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो ४ जिलों की व्यवस्था हुई है, जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है, क्षोभ है। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या उसकी दृष्टि में बस्ती, गोरखपुर आदि जिले पिछड़े नहीं हैं? इसकी एक गंभीर प्रक्रिया हो रही है। यह केवल क्षेत्रीय आधार पर बातें नहीं कही जा रही ह। वास्तविक स्थिति बताई जा रही है और इस से रीजनलिज्म पैदा हो रहा है। इसलिये आवश्यकता और गरीबी की दृष्टि से सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

सप्लीमेंटरी में आकस्मिक मदें ही शामिल की जाती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर में ट्रेफिक को कंट्रोल करने के लिये जो व्यवस्था की गयी है क्या इस ओर मूल बजट के समय ध्यान नहीं जा सकता था? क्या कृषि के सम्बन्ध में जो योजना है वह मूल बजट के समय नहीं लायी जा सकती थी? मैं समझता हूं कि यह विभाग की उदासीनता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और बजट के साधारण नियमों की अवहेलना इस से होती है। आकस्मिक खर्चा इस वर्ष अगर कोई हो सकता था तो खाद्य स्थिति के नियंत्रण के लिये हो सकता था। उसमें सरकार जो कुछ खर्च करने जा रही है वह अपर्याप्त है। बाढ़ और कटाव की ओर सरकार का ध्यान कभी नहीं जाता। अनेक गांव और घर बरबाद हुए लेकिन कोई निश्चित योजना सरकार नहीं बनाती, और सप्लीमेंटरी में आने का प्रश्न नहीं होता। प्लानिंग के युग में अगर कोई अनियोजित काम हो तो उसका खतरनाक असर होता है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। राप्ती नदी गोरखपुर के आगे अपना विकराल स्वरूप धारण करती है और बांस गांव तहसील में राप्ती के बायें किनारे पर देवरिया की सरहद पड़ती है और दायीं तरफ गोरखपुर की सरहद पड़ती है। गोरखपुर में राप्ती के दायें किनारे पर एक कोठा रकहट बांध था जिसकी सरकार मरम्मत कराती थी। लेकिन इंजीनियर साहब ने कहा कि यह बांध नदी के कटाव जोन में पड़ता है इसलिये इसकी मरम्मत कराना बन्द कर दी गयी। ठीक इसी तरह से देवरिया में कोठा रकहट बांध के समानान्तर राप्ती के बायें किनारे पर एक बांध था उसके लिये भी यही कहा गया। लेकिन पारसाल देवरिया के बांध की मरम्मत हुयी और गोरखपुर को छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बाढ़ का वास्तविक समय से पहले ही, सारा पानी एक तरफ उड़ेल दिया गया जिस से गोरखपुर की ३० हजार एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी। यह स्थिति उस समय हुई जब बाढ़ की स्थिति साधारण थी। सिंचाई मंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिये जो इस क्षेत्र की जांच करे कि एक तरफ तो बांध हो और दूसरी तरफ न हो तो उसका क्या फल होगा। दोनों तरफ समुचित रूप से तट बन्द होना चाहिये और इस तरह का कोई डिस्टिंगशन नहीं होना चाहिये और जो जनता की दिक्कतें हैं उनकी तरफ समान रूप से दृष्टि जानी चाहिये।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह सही है कि इस पूरक बजट में, मैं जिस जिले से आता हूं देवरिया से, उसके सम्बन्ध में कई योजनायें हैं जिनका सम्बन्ध सिंचाई से और उद्योग से है। यह भी सही है मेरे पूर्ववक्ता, देवरिया के सम्बन्ध में जो व्यवस्था होने जा रही है, उस व्यवस्था को देख कर अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, उस तरह का विकास कार्य हो, उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। परन्तु मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रान्त में देवरिया जिले की एक विशेष स्थिति है। कुल क्षेत्र १३ लाख ३५ हजार, ६८० एकड़ है जिसमें १० लाख ८१ हजार, ४३४ एकड़ भूमि पर खेती होती है जहां तक गल्ले की उपज का सवाल है यह १.२१ लाख टन है। जनसंख्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह १८७२ में १० लाख थी। इस समय इसकी जन संख्या २३७५०७५ है। कहा यह जाता है कि कुछ शुगर मिलें इस जिले में खुली हुई हैं, सही है, लेकिन इन शुगर मिलों की भी वही हालत है जो माननीय कल्पनाथ सिंह जी के जिले में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की है। इसको खोलने के पहले इसका यह आशय बताया जाता था कि जो जनसंख्या का भार है वह इस कारपोरेशन के खुलने से कम होगा, किन्तु बजाय कम होने के भार बढ़ता जा रहा है। भर्ती में वहां के रहने वालों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। देवरिया में भी जो कुछ नयी योजनायें चल रही हैं उस सम्बन्ध में मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि सचमुच हमारा इरादा यह है कि उस भू-भाग के रहने वालों को प्राथमिकता मिले। तो जिन जगहों पर वहां के स्थानीय पुरुषों को रखा जा सकता है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

सिंचाई की योजनाओं की चर्चा भी इसमें की गयी है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में सिंचाई की योजना के नाम पर जिस तरह से धन का अपव्यय हुआ अगर वैसा ही हुआ तो मैं समझता हूं कि देवरिया जिले का उससे उद्धार नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ट्यूबवेल को ले लीजिये, कहा जाता है कि, इनमें १ करोड़ रुपये का घाटा देना पड़ता है। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि ट्यूबवेल लगाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि वहां की स्ट्रेटा कंडीशन्स क्या हैं। दूसरे जहां कहीं भी नियोजन का काम रखा जाता है चूंकि हमारी जनता प्लानिंग कांशस नहीं इसलिये यह जरूरी है उन्हें हम पहले प्लान कांशस करें। इसलिये जब तक प्लानिंग का काम चलता रहता है उनकी अभिरुचि नहीं होती। तो मैं यह महसूस करता हूं कि इसके पूर्व कि हम नियोजन का कोई कार्य-क्रम किसी भी भू-भाग में करने जायं तो इस बात की आवश्यकता है कि उस भू-भाग के रहने वालों को उस नये काम पर आस्था उत्पन्न करें। यदि प्लान कांशस नहीं होता तो मैं समझता हूं कि लाभ होने के बजाय नुकसान होने की आशंका रहती है। कहा जाता है कि सारे ट्यूबवेल साल में केवल ५० घंटे चलते हैं जब कि यह मानी हुई बात है कि ४ हजार घंटे कोई ट्यूबवेल चले तो इकोनामिक वर्किंग हो सकती है। बहुत से ट्यूबवेल लगाने के बाद ही फट गये। स्थान का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये वहां के स्ट्रेटा कंडीशन की जांच कर ली गयी है या नहीं। जहां आप ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं वहां जनता की एक सुपरवीजन कमेटी बनाइये जो ओवरसियर्स तथा ठेकेदारों के काम की देखभाल करे, वर्ना धन का अपव्यय होता रहेगा।

बार-बार इस सदन में चर्चा होती है कि प्रदेश में चिकित्सकों की बड़ी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार सदन को आश्वासन दिया कि गोरखपुर में अगला मेडिकल कालेज अवश्य खोला जायगा तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है। समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानने की कोशिश की गई कि चौथी योजना में किन-किन स्थानों पर मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज खुलने वाले हैं? मैं गोरखपुर के बारे में निश्चित रूप से इसलिये जानना चाहता हूं कि वहां की अपनी एक विशेष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

समस्या है। वहां अगर मेडिकल कालेज खुलता है तो वहीं के विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे और फिर आस पास के चिकित्सालयों में काम करगे। पटेल आयोग की सिफारिशों से भी कुछ ऐसा लगता है कि उनके साथ पक्षपात किया गया है। देवरिया को छोड़ कार कोई और ऐसा जिला नहीं है जहां वर्ष में एक आदमी की आमदनी ९८ रुपये हो? छपर में जो बिहार का एक जिला है ९६ रुपये आमदनी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहने को तैयार हूं कि छपरा में अनाज सस्ता है, हमारे पड़ोस गोरखपुर में अनाज सस्ता है। वहां १८ छटांक का चावल मिलता है लेकिन, देवरिया में १३ छटांक का चावल मिलता है। गोरखपुर तथा अन्य जिलों में जहां प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक सस्ते गल्ले की दूकान खुली हुई है वहां देवरिया में ऐसी जगहें हैं जहां ५, ५ न्याय पंचायतों के बीच एक सस्ते गल्ले की दूकान है और ८ मील जा कर सस्ता गल्ला वहां के आदमी को लाना पड़ता है। इसलिये विशेष रूप से देवरिया के साथ मेहरबानी की दृष्टि रखने की आवश्यकता है। वहां जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक और आमदनी सबसे कम है और सबसे अधिक उपयोगी काम वहां हो रहा है। ४ करोड़ केन सेस के जरिये से यह जिला रेवेन्यू देता है प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार को। लिहाजा जो परिस्थिति वहां की है उसे देखते हुये ब्रिटिश शासन काल में जो उपेक्षा इस जिले की होती रही है वही उपेक्षा आज इस पापुलर गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिये।

श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया है। जब हमारा देश निर्माण के कार्य में लगा हुआ है तो ऐसे अवसर अक्सर आ जाते हैं जब हमें बजट प्राविजन से ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है और ऐसी मदों के लिये रुपया अनुपूरक अनुदानों में रखना लाजमी हो जाता है और ऐसी नई-नई मदें भी आ जाती हैं जिनके लिये आवश्यक खर्च करना पड़ता है। और उनके लिये प्राविजन करना पड़ता है। इसलिये जो अनुपूरक अनुदान सदन के समक्ष है उसका मैं समर्थन करता हूं।

खाद्य समस्या की शार्ट टर्म पालिसी के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं हमारे यहां परमना मुहनी में एक जमालपुर ब्लाक है। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है और धान की फसल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहां वाटर लागिंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। वहां ३० बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी जमीन बड़ी उपजाऊ है। लेकिन वाटर लागिंग की समस्या बनी रहती है। उसके लिये गढ़ई नदी को गहरा किया जाय और जो ३—४ रेगुलेटर्स वाराणसी और मिर्जापुर में हैं उनको तोड़ दिया जाय और पानी की निकासी कर दी जाय। लेकिन यह छोटा सा काम इस अन्न संकट के समय में भी नहीं हो रहा है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। इसके लिये कभी-कभी रुपया भी रखा गया है लेकिन काम शुरू नहीं किया जाता है। मैं जोरदार शब्दों में सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि उसके मुताल्लिक जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय।

श्रीमन्, ३/४ रेगुलेटर्स वाराणसी और मिर्जापुर के बार्डर पर हैं लेकिन उनके मालिक का पता १७ वर्ष से नहीं लग पाया है। मुझे यह कहने में शर्म आती है कि सरकारी कर्मचारी इस मामूली से काम के प्रति क्यों उदासीन हैं? श्रीमन् ३० गांव तो डूबते हैं और तीन गांव उससे फायदा उठाते हैं और उनकी सिंचाई इनसे होती है। उसका पैसा भी उनको नहीं देना पड़ता है। मुगलसराय रजबहे से एक माइनर निकाली जा सकती है, जिससे बनारस के गांवों की भी आबपाशी की जा सकती है और जुगवा माइनर आसानी से निकाली जा सकती है। मैं नहीं समझ पाता कि बनारस के कर्मचारियों के सामने क्या दिक्कत आ जाती है और वे इस काम को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर सरकार वाटर लागिंग की समस्या को हल कर देगी तो इन ३० गांवों में दुगना तिगुना अन्न हो जायगा।

इसी तरह से सीखड़ ब्लाक है। यह गंगा जी के किनारे है। वहां नहर नहीं ले जाई जा सकती। यहां बड़े-बड़े काश्तकार हैं और आधुनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं और

जमीन भी बहुत उपजाऊ है। अभी मिर्जापुर में इंजीनियर्स की एक कांफ्रेन्स हुई थी उसमें पता चला कि ५ ट्यूबवेल्स इस क्षेत्र के लिये मंजूर किये गये हैं। लेकिन एक महीने के करीब हुये जब इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का खत मिला है जिसमें है कि ट्यूबवेल्स अनसेक्सेसफुल हैं और वहां उनसे सिंचाई नहीं हो सकती। मैं दावे से कहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है। जो ३-४ ट्यूबवेल्स हैं वे इस वजह से असफल नहीं हैं कि वहां ट्यूबवेल सफल नहीं होंगे, बल्कि इसलिये कि जितनी ठीक से नाली बननी चाहिये वह नहीं बनायी गयी है और जिस जगह पर वे होने चाहिये उस जगह नहीं लगाये गये हैं। मेरे पूर्व वक्ता रामायणराय जी ने भी यही बताया है। अगर यह भी मान लिया जाय कि इंजीनियर साहब का कहना ठीक है तो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिये सब्सीडी दी जाय। वहां मेरे जिले में चकबन्दी का काम इसी जेठ में खत्म हो जायगा। अगर गवर्नमेंट वहां सब्सीडी दे और बिजली का प्रबन्ध करे और ईजी टर्म्स पर लोन्स दे तो वहां के काश्तकार सामाजिक तौर पर इतने आगे बढ़े हुये हैं कि वे अपने ट्यूबवेल्स लगाकर जितना अनाज पैदा होता है उस से दुगना और तिगुना पैदा कर सकते हैं और मिर्जापुर के अन्न संकट को वहां के लोग अपने आप हल कर सकते हैं बाहर से, या बाहर के देशों से वहां के लिये अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिये अनुपूरक अनुदान में लघु सिंचाई अनुदान योजना के मातहत सीखड़ ब्लाक के लिये बिजली शीघ्र से शीघ्र दी जाय, ट्यूबवेल्स लगाने के लिये सब्सीडी और ईजी टर्म्स पर लोन्स दिये जायं।

इसी तरह से परगना हवेली चुनार में एक नारायणपुर ब्लाक है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। दूसरी पक्की सड़क और रेलवे लाइन है जिनकी वजह से नहरें नहीं जा सकतीं, लेकिन वहां जमीन उपजाऊ है और यहां भी बिलकुल वही हाल है जो सीखड़ ब्लाक का है। अगर वहां भी ट्यूबवेल्स दिये जायं, बिजली और सब्सीडी और ईजी टर्म्स पर लोन्स दिये जायं तो तिगुना, चौगुना अनाज पैदा हो सकता है। लेकिन पानी की सुविधा न होने की वजह से वहां की खेती की पैदावार मारी जा रही है।

इसी तरह से श्रीमन्, सड़कों के बारे में है। किरियाद और हवेली परगने की जमीन जरखेज है। वहां प्राइवेट स्कूल्स और कालेजेज हैं, लेकिन सड़कें न होने की वजह से वहां लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है। वहां इंडस्ट्रीज भी नहीं बढ़ सकती है। उसके लिये भी सुविधा प्रदान की जावे जिससे इंडस्ट्रीज वहां बढ़े। अहरौरा में चमड़े की इंडस्ट्री है वह बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है लेकिन जो आफिसर्स मुकर्रर हैं वहां पर उन्होंने दस वर्षों से आज तक कोई कदम नहीं उठाया है जिस से वहां के लोगों को राहत मिल सके। रेशम का काम भी वहां पर प्राइवेट तरीके से चल रहा है। मैंने लिखा था कि वहां जंगलात बहुत हैं और वहां पर रेशम के कीड़े लगाये जावें और उनको लाकर कोआपरेटिव तरीके से चलाया जाय, तो वहां पर रेशम के उद्योग को बहुत आसानी से तरक्की पर पहुंचाया जा सकता है। वहां पर एक परिवार मलामू से रेशमी कीड़े लाते हैं और उससे रेशम बनाते हैं, लेकिन जब हमारे यहां ये कीड़े उत्पन्न किये जा सकते हैं और जब हमारे यहां ऐसे प्राकृतिक जंगल हैं और जब उन जंगलों में ऐसे दरख्त पाये जाते हैं कि जहां पर कीड़े आसानी से पाले जा सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि जो कर्मचारी वहां पर ८-१० साल से काम कर रहे हैं वे क्या कर रहे हैं और क्यों इस ओर तरक्की नहीं की जा रही है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, ताकि रेशम और चमड़े का उद्योग अहरौरा बाजार में कोआपरेटिव बेसिस पर अधिक उन्नति कर सके और वहां लोग इसमें मिल सकें।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो यह अनुपूरक अनुदान का विषय प्रस्तुत है इसके विषय में मैं कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सिंचाई के बारे में १, २ बातें कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों कम से कम पश्चिमी जिलों में इस बात पर काफी विवाद रहा कि वहां पर जो लोग प्राइवेट अपना ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं उनकी डूटी स्टेट ट्यूबवेल से कितनी हो। हम लोगों ने बड़े जोरदार शब्दों में यह मांग की कि ट्यूबवेल जो प्राइवेट लोग

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

लगाना चाहते हैं अधिक से अधिक उनकी दूरी स्टेट ट्यूबवैल से २ फर्लांग पर हो तो उनको लगाने की इजाजत दी जाय। लेकिन गवर्नमेंट ने इस २ फर्लांग की बात को न मानकर यह नियम बना दिया कि स्टेट ट्यूबवैल से ४ फर्लांग की दूरी पर कोई प्राइवेट आदमी अपना ट्यूबवैल लगा सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी एक ट्यूबवैल ४ फर्लांग इस तरफ और ४ फर्लांग उस तरफ यानी एक मील के दायरे में कितना भी अच्छा बड़ा ट्यूबवैल बनाया जाय उतने इलाके को पानी नहीं दे सकता है। जब कि लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, सिर्फ सीमेंन्ट चाहते हैं, किसी प्रकार का आप से अनुदान नहीं चाहते हैं, न और कोई मदद चाहते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक इतना सख्त नियम बना दिया कि स्टेट ट्यूबवैल से ४ फर्लांग की दूरी से कम पर प्राइवेट ट्यूबवैल नहीं बनाया जायेगा। इसका परिणाम यह है कि लोग नाराज होते हैं और पैदावार कम होती है। गवर्नमेंट को भी मुसीबत उठानी पड़ती है। और जितनी पैदावार करना चाहते हैं उतनी नहीं होती है।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मैं सिंचाई समिति में दो वर्ष रहा। उस कमेटी में मंत्री महोदय और चीफ इंजीनियर भी थे। उनसे मैंने यह प्रार्थना की थी कि आप पहले गांव में यह खबर भेज दिया करें कि कौन रजबहा, कौन सी गूल, कौन सी नाली किस हफ्ते चलायेंगे और किस हफ्ते बन्द रखेंगे ताकि किसानों को मालूम हो सके कि किस हफ्ते उनका रजबहा चलेगा और कब उनको आबपाशी करनी है। उसी के अनुसार वह अपना प्रोग्राम बना सकेंगे लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीफ इंजीनियर तीनों वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है। हम यह नहीं बतला सकते किस हफ्ते कौन सा रजबहा चलेगा और किस हफ्ता बन्द रहेगा। साधारण नियम यह है कि एक रजबहा दो हफ्ते चलता है और एक हफ्ते बन्द रहता है लेकिन मैंने यह देखा कि इसके विपरीत २, ३ हफ्ते बन्द रहा और केवल एक महीने में एक हफ्ता रजबहा चला। श्रीमन्, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना कम पानी खेतों को मिलेगा तो पैदावार कैसे हो सकती है। इसलिये मंत्री जी इस पर गौर करें कि सिंचाई का प्रोग्राम किसानों को पहले से दिया जा सकता है या नहीं। यह भी देखने में आया है कि जब पानी की आवश्यकता होती है तो कोई पुल या रजबहा बनने लगता है और नहर चलती नहीं। अनूपशहर ब्रांच नहर में यदि वर्षा में भी पानी दिया जाया करे तो वहां के बहुत से लोग चावल बोना शुरू कर देंगे। मेरे कहने पर चीफ इंजीनियर महोदय ने यह पता लगाने की कोशिश की कि पिछले तीन सालों में वहां कितनी पैडी या धान बोया गया है। मैंने कहा कि जब आपने पानी ही नहीं दिया तो किसान पैडी बोता कैसे। वह सारी चीज बट्टे खाते हो गयी। अगर अनूपशहर ब्रांच में वर्षा में पानी दिया जाय तो वहां काफी चावल पैदा हो सकता है।

शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिये उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो सब विभागों में ईमानदारी बरती जानी चाहिये, लेकिन शिक्षा विभाग में विशेष तौर पर इसकी महत्ता है। इस विभाग में एक अजीब चीज है। अगर सरकार किसी संस्था को ५,००० रुपया लाइब्रेरी या इमारत के लिये देती है तो उससे वह उपेक्षा करती है कि वह संस्था भी उसमें उतना ही रुपया लगायेगी। मैं सरकार को यकीन दिलाता हूं कि अब दान की स्थिति प्रदेश में बदल गयी है और किसी संस्था के लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह सरकार के अनुदान के बराबर ही रुपया लगा सके। इसका नतीजा यह होता है कि झूठे सच्चे बिल बनाये जाते हैं और दूसरों से गलत सिफारिश करानी पड़ती है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसे जितना अनुदान देना हो वह दे दे, लेकिन यह अपेक्षा न करे कि संस्था वाले भी उतना ही रुपया उसमें लगायेंगे। इससे शिक्षा विभाग में ईमानदारी, नेकनीयती और सच्चाई बढ़ेगी और झूठे बिल बनने बंद हो जायंगे। आपने एक नगर में १५,००० रुपया

लाइब्रेरी के लिये दिया। मैं जानता हूं कि उस शहर में १५,००० रुपया चन्दे में जमा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में अच्छा यही होगा कि सरकार स्वयं जितना देना चाहती है, दे दे और उन संस्थाओं से यह आशा न करे कि वह बराबर का चन्दा जमा करेंगी। यदि खेल आदि का चन्दा दूसरे कामों में वे संस्थायें खर्च करना चाहती हैं तो आडिटर और इंस्पेक्टर आदि एतराज करते हैं।

इसके अतिरिक्त पशुपालन में भी एक बात मैं निवेदन करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गी पालन और मत्स्य पालन की ओर कृषि विभाग का अधिक ध्यान है, पशुपालन की ओर कमागत वर्ष में केवल ७२ भैंसें और १२९ या १३० गायें बांटी गयी थीं। मैंने कहा-ठीक है, पशुपालन बहुत अच्छा हो रहा है। जब साढ़े सात करोड़ की आबादी में करीब २०० पशु बांटे जायंगे तो और क्या पशुपालन हो सकता है? लेकिन जहां तक मत्स्य पालन और मुर्गी पालन का सवाल है, मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्वी जिलों में जहां बच्चों में दूध बांटा जाना चाहिये था वहां अंडे देना शुरू कर दिया। यानी वेजिटेरियंस को नान-वेजिटेरियंस जबरदस्ती बनाना चाहती है सरकार। यह अच्छा सुधार हो रहा है! अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को अच्छी तरह से निरीक्षण करके सभी प्रकार के सुधारों पर ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

अब आप कितना टाइम देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

५–५ मिनट।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ५ मिनट बोलने का अवसर दिया। मैं केवल दो बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सर्व प्रथम तो मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि उन्होंने इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा स्टेट ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया और इसके लिए हमसे १० करोड़ रुपया इस मद में मांगा है। मैं समझती हूं कि जो विजिलेंस कमीशन के लिये रुपया रखा गया है, वह अगर अच्छी तरह से कार्य करेगा तो इस १० करोड़ रुपये का सदुपयोग हो सकेगा। आज प्रदेश में जो विकट खाद्य समस्या है उसके लिये सप्लाई विभाग काफी हद तक जिम्मेदार है कि डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं हो पाया और उसमें काफी गलतियां रहीं। इसलिए हम अभी से बहुत सख्त कदम उठायें जिससे स्टेट ट्रेडिंग के लिए हम नकशा तैयार कर सकें। इस वजह से मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

एक शब्द मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहती हूं। करीब ७–८ महीने से केन्द्रीय सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आया हुआ है जिसके द्वारा चाइल्ड मैटरनिटी विभाग और प्लानिंग विभाग को मिला करके एक डिप्टी डाइरेक्टर रखने की बात कही गयी है जिसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देने वाली है, लेकिन अभी तक हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले बजट में भी मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। हमारा प्रदेश गरीब है, हम जानते हैं कि देहातों में मिडवाइफों की संख्या बहुत कम है। डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स में भी ठीक से काम करने के लिये स्त्रियों की संख्या नहीं है और तुरन्त मिडवाइफ नहीं मिल सकती है। ऐसी अवस्था में दोनों विभागों को मिलाकर ज्यादा इकोनामी से काम हो सकता है और जो समय नष्ट होता है उसका सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने पर ही फेमिली में आगे के लिए प्लानिंग की बात आती है। तो वही मिडवाइफ घरों में जाकर फेमिली प्लानिंग के फायदे बता सकती हैं और यह भी कि किस तरह से होनी चाहिये। तो इस इकोनामी की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। साथ ही जो शहर के हरिजन हैं

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

उनके लिए अनुदान की व्यवस्था अलग से नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त देहात के हरिजनों के लिए तो अनुदान रखा जाता है, लेकिन शहर के हरिजनों के लिए नहीं। जो हरिजन अनुदान दिया जाता है उसका २५ प्रतिशत अगर शहर के हरिजनों के लिये और गरीबों के लिये न रखा गया तो वहां लोगों को बड़ी परेशानी होगी। पहले वहां के गरीबों को ३–४ सौ रुपये का अनुदान दिया जाता था। मैं हरिजन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अगर इस बजट में नहीं कर सके तो कम से कम अगले बजट में इन लोगों के लिये अवश्य प्राविधान करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करती हूं।

*श्री देवेन्द्रसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं सरकार की वन नीति के बारे में कहना चाहूंगा। इस संबंध में एक डेपुटेशन भी माननीया मुख्य मंत्री से तथा माननीय वन मंत्री जी से मिला था। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसकी बातों पर माननीय वन मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं इरीगेशन विभाग से कहना चाहूंगा। हमारे इलाके में पानी का बिलकुल प्रबन्ध नहीं है। अगर वहां पर गोला डाम बना दिया जाय तो वहां पानी की दिक्कत दूर हो सकती है।

जो वहां सड़कें हैं वे १०–१० साल से अधूरी पड़ी हुई हैं। कहीं पर पुल न होने के कारण तथा कहीं एक आध मील की सड़क न होने के कारण उस सड़क का उपयोग नहीं हो पा रहा है। भीमताल से रानी गंज तक एक सड़क है जहां पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है। कालाढुंगी से नैनीताल तक एक सड़क है जो बीच में आधा मील तक बनने को है। इसके कारण वह मार्ग बन्द पड़ा हुआ है। सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये ताकि जनता को सुविधा पहुंच सके।

जिला परिषद्, नैनीताल को जितनी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल रही है। वह बजाय बढ़ने के कम हो गयी है। कम इस तरह हो गयी है कि पहले खाम एस्टेट से ५० हजार रुपया उसको मिलता था। खाम एस्टेट अब खत्म कर दी गयी है और उसके कारण वह सहायता वहां से नहीं मिल पाती। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सहायता भी वहां की जिला परिषद् को दी जाय।

नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न बहुत दिनों से विचाराधीन है। मैंने नैनीताल में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और जो वहां वाइस चांसलर्स की कांफ्रेंस हुई थी उसमें इस ओर उसका ध्यान दिलाया था। वहां यह सुनने में भी आया था कि सरकार शीघ्र ही वहां एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। मैं चाहूंगा इस संबंध में जल्दी की जाय।

एक और बात कहना चाहूंगा अपने यहां के अस्पतालों के बारे में। हल्द्वानी में जो अस्पताल है वहां पर करीब डेढ़ लाख आदमी इलाज के लिये आते हैं लेकिन वहां पर एक भी पूरे समय के लिये डाक्टर नहीं है। जो हैं वे पूरी साज-शय्या के साथ नहीं हैं जिससे कि वे वहां का पूरा इन्तजाम कर सकें। इस संबंध में एक डेपुटेशन भी निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से मिला था। मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट आये तो उसमें उस अस्पताल के लिये कुछ विशेष अनुदान रखा जाय।

एक बात फ्लड के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक गोला नदी है। वह बड़ी तेजी से किनारे के सैकड़ों गावों को काट रही है। अगर सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह गांव बच नहीं पायेंगे। अतः सरकार फ्लड स्कीम के अन्तर्गत शीघ्र ही उसकी रोकथाम करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर) ——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज क्षेत्र से आया हूं। राबर्ट्सगंज तहसील मिर्जापुर से ५० मील की दूरी पर है। यहां लोग कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जिले पिछड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं राबर्ट्सगंज और दुद्धी तहसील की जांच करा ली जाय, हमसे ज्यादा पिछड़ा इलाका और कोई नहीं है। हमारे यहां-पांच पांच मील की दूरी तक गर्मियों में पीने को पानी नहीं मिलता। जो मिलता भी है वह गन्दे और संकरे नालों का मिलता है जिसमें लोटा भी नहीं डूबता, घड़ा डूबने को कौन कहे। २९-३० मार्च को सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से वहां का सर्वे हुआ कि पानी पीने की व्यवस्था की जाय, लेकिन आज डेढ़ वर्ष हो गये, आज तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। १७ साल के बाद भी जिस इलाके में पानी पीने का प्रबन्ध न हो सके, ५०-५० मील तक चलने के लिए सड़कें न हों, पचास-पचास मील तक लोग नदी नाले लांघते हुए पैदल तहसील हेडक्वार्टर पर आते हों, एक तरफ बिहार की सरहद और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरहद से पचास-पचास मील की दूरी से लोग पैदल तहसील हेडक्वार्डर तक आते हैं, वहां के पिछड़ेपन के बारे में और क्या कहा जा सकता है। हमारे यहां सीमेंट बनती है, लेकिन कुएं बनाने के लिए हमको सीमेंट नहीं मिलती। हमारे यहां सीमेंट की एक दुकान है जहां से १०० मील के अन्दर सीमेंट दी जाती है। कुओं के लिए सीमेंट हमें नहीं मिल पाती। शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल पहाड़ों में खोल दिये गये हैं। पढ़ाने के लिये हाई स्कूल और इंटर पास लोग रखे जाते हैं। पहले उसमें वहां मिडिल पास लड़के पढ़ाते थे, जिससे प्राइमरी की शिक्षा वहां के लोगों को मिल जाती थी। दो वर्षों से सरकार ने वह भी बन्द कर दिया, जिसके कारण उस इलाके के लोग प्राइमरी शिक्षा भी नहीं पाते हैं। मिडिल पास और हाई स्कूल थर्ड डिवीजन भी रखे जायं तो शायद मुश्किल से वहां की समस्या हल हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं है जो उस इलाके के बराबर पिछड़ा हुआ हो। सन् १९५२ में जब पन्त जी की सरकार थी उस इलाके को पहाड़ी मानकर के पहाड़ी जिलों की सुविधायें उस इलाके को दी गई थी। १४-१०-५४ के गजट में यह घोषित किया गया था, लेकिन मिर्जापुर जिले के दो विभाग हैं---एक पहाड़ी और एक मैदानी। हमारे जिले का हेडक्वार्टर मैदानी क्षेत्र में बना हुआ है। हमारे यहां बिजली बनी, जो टाटा और बिरला को मिली, यहां कानपुर तक आयी, लेकिन हम देहात में खेती करने वाले बिजली मांगते हैं तो हमें बिजली नहीं मिलती। बड़े-बड़े लोग राजा-महाराजा जो होते हैं उनकी दरख्वास्त आती है तो अधिकारी सिफारिश मानकर बिजली लगवा देते हैं, लेकिन गरीब किसान मांगता है तो उसको बिजली नहीं दी जाती है। ५० हजार परिवार हमारे वहां से निर्वासित किये गये, हमारी जमीन डुबायी गयी इस बिजली को बनाने के लिये, अभी ओबरा बांध बन रहा है, किसानों को उजाड़ने का आदेश हो गया, लेकिन उनको बसाने के लिये कोई जमीन नहीं बतायी गई, वह कहते हैं कि हम कहां जायं? बाद को वही आपके अधिकारी आपको लिख कर भेजेंगे कि यह लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन वह कहां जायें? उनको बसाने के लिये कोई जगह तो हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस इलाके की तरक्की के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय। सड़कें वहां बनायी जायं। सवा सौ मील के अन्दर वहां एक भी जनाना अस्पताल नहीं है। सरकार की तरफ से कई बार आदेश हुआ कि वहां जनाना अस्पताल खोल दिया जाय, लेकिन वह आदेश केवल सरकारी फाइलों में ही रह गया। अभी इस वर्ष सरकार से पूछा गया तो जवाब मिला कि आपका अस्पताल बलिया में चला गया, आपके यहां नहीं बन सका। तो श्रीमन्, हमारे यहां का अस्पताल बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में भेजा जाय और हमारे यहां सवा सौ मील के अन्दर एक भी जनाना अस्पताल न हो? एक मर्दाना अस्पताल जो है वहां भी डाक्टर नहीं रहता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर वह सबसे पिछड़ा इलाका है, सभी दृष्टियों से पिछड़ा है, सौ सवा सौ मील के अन्दर हम इसी तरह पड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो जांच करे कि हमारी क्या दशा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे स्थान पर खड़ा होकर बोल रहा हूं जहां से सरकार की भलाइयों को तो नजरअन्दाज किया जाता है और उसमें जो बुराइयां हों या न हों, उन्हें विशेष रूप से इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा जाता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज अन्न की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार ने खेतिहर मजदूरों को जमीन अभी तक नहीं दी है। इस बात को १५ वर्ष हो गये। इसके अलावा खेतिहर मजदूरों को किन्हीं उद्योग धंधों में भी नहीं लगाया जा रहा है। उनके नाम पर रुपया लुटाया जा रहा है, लेकिन उससे उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर मिनिस्टरों में योग्यता नहीं है तो जगह खाली करें। परिवहन विभाग में मिनिस्टर को अपने विभाग की फाइलों का भी पता नहीं है। बहुत से लोग १९५२ से अब तक सर्विस में थे, उनको निकाल दिया गया है। परिवहन विभाग के मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। जिनको निकाल दिया गया है उनके बारे में फिर से विचार किया जाय। नियोजन विभाग का भी यही हाल है। पी डब्ल्यू० डी० विभाग के मंत्री को भी अपने विभाग की फाइलों का पता नहीं है। जिस सरकार में ऐसे मंत्री होंगे तो भला उसका काम किस प्रकार से सुचारु रूप से चल सकता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने विभाग की फाइलों को देखें। क्योंकि जनता बबस है, व्याकुल है, लेकिन इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो आदमी निकाल दिये गये हैं, उनके बारे में मंत्री जी को परिवहन विभाग वालों को कहा गया लेकिन अभी तक मंत्री जी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। जो मंत्री अपने विभाग को नहीं देख सकता और सरकारी कर्मचारियों पर दारोमदार रखता है तो उस विभाग और सरकार की क्या हालत होगी ?

सहकारिता विभाग में पार्टीबाजी का बड़ा भारी सवाल है। हरिजनों की इतनी बड़ी भारी संख्या के होते हुये आज तक यह पता नहीं चला कि उनको इस विभाग ने क्या सहायता दी। सहकारिता से गरीब हरिजनों और मजदूरों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया गया है। सहकारिता मंत्री उनकी सोसाइटी बना कर उनको लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करें। लेकिन खेतिहर मजदूरों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आर्डर्स पर ऐक्शन न लेने की वजह से जो घाटा हुआ है, उसकी ओर विशेष रूप से मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानपुर के इलाके से आता हूं। कानपुर शहर की वजह से लोग यह समझ लेते हैं कि कानपुर की तरह कानपुर जिले के देहात भी ऐसे ही समृद्धशाली होंगे, लेकिन वहां अन्न की बड़ी भारी समस्या है। दो-दो हजार आदमियों की लाइन अन्न के लिये वहां लगती है। देहात को तरजीह देने की जो सरकार ने योजना बनायी है मैं उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। इसके लिये जो १० करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है, वह प्रान्त की जन संख्या को देखते हुये बहुत ही कम है, उसको मंत्री जी बढ़ाने की कृपा करें ताकि देहात में गल्ला समुचित रूप से वितरण हो सके। हमारे क्षेत्र में डेरापुर में सेंगर स्थान पर एक पुल ५ साल से बन रहा है। मैंने उसके बारे में प्रश्न किया था तो बताया गया कि डिजाइन बन रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है। झगड़ा ठेकेदार और इंजीनियर के लेन देन का है। कहा गया कि शीघ्र ही डिजाइन बन कर तैयार हो जायेगी और पुल बनना आरम्भ हो जायगा, लेकिन अभी तक पुल के बारे में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। क्या वजह है समझ में नहीं आती। इससे वहां के आवागमन में बड़ी रुकावट हो गई है।। यह हमारी तहसील का सदर मुकाम है जो सड़क रसूलाबाद से झींझक को जाती है, उसमें सिकन्दरा के पास १२–१३ मील का टुकड़ा रह जाता है, उसमें १–१ मील की सड़क भी अभी तक नहीं बन सकी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चीजों का मंत्री जी जल्दी से इन्तजाम करें, इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना अल्प है कि इस अल्प समय में बजट के सेलियन्ट फीचर पर तो विचार हो नहीं सकता, इसलिये यह जो सप्लीमेंटरी बजट उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे 'सर्तकता आयोग' की स्थापना आदि, उन पर जो व्यय हो गया उसके लिये समर्थन करना अत्यन्त उचित ही है। अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले में एक सड़क है हरैया-लालगंज, वह बहुत दिनों से मंजूर हो चुकी है उसकी किताबें भी छप गई हैं, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, जब एक योजना मंजूर हो गई और जनता को बता दी गई तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा कारण है कि अधिकारीगण समय से और द्रुतगति से उसको शुरू नहीं कर पाते हैं ?

हरैया में जब पहले कच्चा अस्पताल था तब वहां डाक्टर मौजूद था, लेकिन जब अस्पताल पक्का हो गया तब अब वहां डाक्टर नहीं है, प्रश्न यह है कि ऐसी-ऐसी बातों के ऊपर सेक्रेटरियों और कमिश्नरों आदि को जिनसे इन चीजों का सम्बन्ध है उनको देखने की जरूरत है कि अब जब सरकार ने एक पालिसी तय कर दी है तो काम वक्त पर क्यों नहीं हो पाता है। जब उनके कर्त्तव्य के पालन का वक्त आता है तब वह क्यों पिछड़ जाते हैं। हम स्पष्ट रूप से उनसे पूछें कि वह काम पूरे क्यों नहीं कर पाते।

मिर्जापुर किसी भी दूसरे जिले से गरीबी में कम नहीं है, वहां बिजली का बहुत अभाव है। बहुत-सी जगह १०–१० मील तक वहां कुएं ही नहीं हैं। गरीबी का हाल यह है कि भुखमरी के कारण वहां के लोग काहु का फल काटकर खाते हैं। क्या जो न्यूसेन्स वैल्यू अधिक क्रियेट कर लेता है, जो अधिक शोर मचा लेता है, जो सदैव नकारात्मक बात ही करता है, उसी की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है और जो सच्चे रूप से अपने काज को सरकार के सामने रखता है, उसका कोई काम नहीं होता ? अगर हम सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं करते तो हमारा काम क्यों नहीं किया जाता, जैसा कि दूसरी जगह होता है ? हमारा इलाका बहुत गरीब है। लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत है, सिंचाई की भी सुविधा नहीं है। मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती इन सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिये।

हरैया लालगंज और राबर्ट्सगंज का ऐसा इलाका है जहां अगर बिजली दे दी जाये तो हजारों लोगों की जिन्दगी बदल सकती है, लेकिन वहां से बिजली दूर दूर तो जाती है, हमारे यहां एक जमींदार है, उसके यहां बहुत दूर से बिजली आयी है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिल पाती है। हमारे यहां एक जलाशय है, जिसका पानी इलाहाबाद तो जायेगा, लेकिन उसके इर्द-गिर्द का इलाका बिना पानी के पड़ा रह जाता है। अगर उसके अगल-बगल के गांवों में नहर निकाल दी जाये तो उन गांवों की सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। इसी प्रकार से और भी छोटे-मोटे काम हैं, जिनको अगर अधिकारीगण करना चाहेंगे तो बहुत-सी समस्याएं हल हो सकती हैं।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने सुझाव हमें दिये हैं और उनका मैं और भी आभारी हूं कि उनमें से सभी ने हमारे अनुपूरक अनुदान की मांगों का पूरा-पूरा समर्थन किया है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और जिन कमियों और आवश्यकताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, उनसे आगे हम पूरा लाभ उठावेंगे और आगे की कार्यवाही पर उनका प्रभाव पड़ेगा। मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि इस थोड़े से समय में, मैं उन बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में अपनी बात कह सकूं, लेकिन कुछ खास-खास बातें जो यहां पर उठायी गयीं, उनके बारे में कुछ कहना जरूर उचित और आवश्यक होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

एक बात तो यह कही गयी कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो ज्वायंट स्टडी टीम ४ पूर्वी जिलों के लिये बनायी गयी थी उस के सम्बन्ध में हमारी यह राय थी कि उनकी जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट से हम यह अनुमान लगा कर कि बाकी ८ जो और पूर्वी जिले हैं, उनकी हालत कमोबेश उसी तरह की है और उसी बात को ध्यान में रख कर उन बाकी पूर्वी जिलों की स्थिति के सुधार के लिये कार्यवाही की जायगी। उस स्टडी स्टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी उस के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने हमें सिर्फ उन्हीं ४ पूर्वी जिलों के बारे में पाइलट स्कीम चलाने के लिये सहायता देना स्वीकार किया। उन चार जिलों के लिये उन्होंने ४ करोड़ रुपया पाइलट प्रोग्राम चलाने के लिये मंजूर किया है और वह प्रोग्राम उन्हीं ४ जिलों में चलाया जायगा। लेकिन उसके यह माने नहीं हैं कि बाकी जो ८ पूर्वी जिले हैं वे बिलकुल उपेक्षित होंगे और उनमें कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। इनके साथ ही साथ जो बाकी ८ पूर्वी जिले हैं,—जैसे फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, इलाहाबाद, इनमें पाइलट योजना तो नहीं चलायी जायगी लेकिन छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें चलायी जायंगी। ३ करोड़ ९० लाख रुपया सिंचाई के सम्बन्ध में रखा गया है, उससे इन आठों जिलों को लाभ होगा। और आगे जो हमारी योजनायें हैं जो इन ४ जिलों में चलेंगी, उन को अलग-अलग ला कर के इन बाकी ८ जिलों में भी चलाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से वे जिले भी कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से उन योजनाओं से लाभान्वित हो जायेंगे जिनसे ये ४ जिले अभी लाभान्वित होने जा रहे हैं।

कुछ और बातों की तरफ इशारा किया गया। माननीय फूलसिंह जी ने पहले ही इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि हमने जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किया है, उसमें नान-प्लान के लिये ज्यादा रुपया रखा है और प्लान के लिये कम रुपया रखा गया है। मैंने पहले ही उसका स्पष्टीकरण कर दिया था कि नान-प्लान के लिये जहां १३ करोड़ ८० लाख रुपया रखा गया है उसमें से १२ करोड़ रुपया तो ऐसा है जिसके बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता है। १० करोड़ रुपया तो खाद्यान्न ही खरीदने के लिये है जिसको खरीद कर हम लोगों तक फेयर प्राइस शाप्स के जरिये पहुंचा सकें और जनता की मुसीबतों के निराकरण का कोई इन्तजाम कर सकें। बाकी २ करोड़ रुपया बीज के प्रबन्ध के लिये रखा गया है जिस की बहुत जरूरत थी। इस तरह से १२ करोड़ रुपये के अलावा नानप्लान में १ करोड़ ८० लाख ही बचता है और ८ करोड़ ५६ लाख के करीब प्लान में रखा गया है। इस वास्ते उन का वह एतराज कोई सही एतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे के लिये कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारे बहुत से काम जो नान-प्लान में होते हैं वह प्लान में रखे जायं तो अच्छा होगा और उस से प्रदेश का भार कम होगा। यह बात उन की जरूर सोचने की है और अगर कोई ऐसे काम हैं कि जो नान-प्लान में रखे जाते हैं और वे प्लान में आ सकते हैं तो उस पर जरूर ध्यान रखा जायगा।

श्री रामकिशोर वर्मा जी ने कहा कि देहात में केवल ५ प्रतिशत जनता को ही फेयर-प्राइस शाप्स से गल्ला दिया जा रहा है। जहां तक प्रबन्ध की बात है देहातों में करीब एक करोड़ आबादी के प्रबन्ध की बात सोची गयी है जिसके अर्थ यह हैं कि १५ से २० प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी। यह भी कहा गया कि इन दुकानों पर दूकानदार के मुनाफे की जो व्यवस्था की गयी है वह इतना कम है कि वह लोग आसानी से उनको नहीं चला सकेंगे, उनके सामने दिक्कत होगी और वह बेईमानी करने पर मजबूर होंगे। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनायी है यह प्रश्न उसके सामने है, जो निर्णय उसका होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। रावत जी ने कहा कि पहाड़ों में ट्रांजिट चार्जेज फेयरप्राइस शाप तक गल्ला पहुंचाने के लिये नहीं दिये जाते। बात उन की सही है, पहले तो और भी कम ट्रांजिट चार्जेज मिलते थे लेकिन अब इशू गोदाम तक दिये जाते हैं। यह भी ठीक है कि वहां कुछ दिक्कत जरूर होती है और वहां गल्ला ले जाने में खर्च जरूर बढ़ जाता होगा और

परेशानी होती होगी, यह बात विचार करने की है लेकिन यह सवाल खर्च का है और काफी खर्च की इसके लिये जरूरत होगी।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय ने यह देखकर कि यह अनुपूरक बजट २२ करोड़ ३६ लाख और ८५ हजार रुपये का है। यह कह दिया कि यह पुरे बजट का एक चौथाई है। हमारा पुरा मूल बजट २३५ करोड़ ४३ लाख का था। उस का यह एक चौथाई नहीं है, यह उस के दसवें भाग से भी कम है। यह तो मैंने आरम्भ में ही कहा था कि मैं मानता हूं कि यह अनुपूरक बजट बहुत बड़ा है और पिछले सालों में इतना बड़ा अनुपूरक बजट कभी नहीं आया। सूबे के सामने इस वक्त एक विशेष परिस्थिति थी जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें इतना बड़ा अनुपूरक अनुदान लाना पड़ा। यह प्लान्ड बजट का भी एक चौथाई नहीं है। आडिट के बारे में यह शिकायत की गयी कि आडिट नोट्स का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है और जो इन्सपक्शन नोट्स आते हैं उनके अनुसार कार्यवाही बहुत देर में होती है। इसमें बहुत कुछ सही है और इस बात का ही दुःख है कि जितनी तेजी से कार्यवाही होनी चाहिए नहीं होती है। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसमें सुधार हो रहा है। अगर ६४ का आडिट नोट १९६२–६३ के आडिट नोट के मुकाबले में देखें तो पायेंगे कि सुधार जरूर हुआ है। इससे हमें सन्तोष तो नहीं है लेकिन इतना थोड़ा सन्तोष तो लोगों को जरूर होना चाहिए कि उसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आडिट नोट्स जो होते हैं उनमें उल्लिखित कमियां जल्दी से जल्दी दूर की जायेंगी।

एक कुछ इशारा कुरील जी ने सतर्कता आयोग के खर्चे के सम्बन्ध में किया। आपने पूछा कि जो सतर्कता आयोग पर खर्च होगा वह किस विभाग से खर्च होगा। यह बात तो बजट में ही लिख दी गई है और उसके लिये अलग से ३ लाख एक हजार रुपया मांगा गया है। इसमें उसका पुरा खर्च आ जाता है। जितना खर्चा होगा, जो कर्मचारी रखे हैं, जो डायरेक्टोरेट होगा उस का सारा खर्च इससे मीट होगा। इसीलिए हमने अलग से रुपया मांगा है।

जहां तक पंचायत शासन विभाग के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई की वृद्धि का सवाल है, जैसा कि माननीय रामकिशोर वर्मा जी ने फरमाया—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि हमारी स्थानीय संस्थाओं की दशा ऐसी अच्छी नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों की महंगाई में भी वृद्धि कर सकें। पर सरकार जितना कर सकती है उतना हमेशा करने के लिये तैयार रहती है। १ अप्रैल, १९६४ को जो हमने ५ रुपये की वृद्धि की है वह इन संस्थाओं के अध्यापकों के लिये भी वृद्धि की गयी है। हमारा स्वायत्त शासन विभाग उनकी आवश्यकताओं पर विचार करता रहता है और जब इस तरह की सहायता देनी सम्भव होती है तो जरूर उसमें सहायता की जाती है।

श्री रामकिशोर वर्मा जी का यह भी कहना है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, उससे उनके कार्य में काफी सुधार हो जायगा। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सारे कर्मचारियों का प्रान्तीयकरण तो सम्भव नहीं है लेकिन जो वहां के अधिकारीगण हैं उन के प्रान्तीयकरण की बात जरूर सोच रहे हैं और जो नगरपालिका का संशोधन विधेयक आ चुका है उसमें इस बात की कोशिश है कि कुछ अधिकारियों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय ताकि वे एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित किये जा सकें। इसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमन्, ये ही दो-चार खास बातें थीं जिनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था और मैंने उनके बारे में कुछ थोड़ा-सा प्रकाश डाल दिया है। मैंने आरम्भ में ही प्रार्थना की थी कि सारी बातों के बारे में इस समय उत्तर देना संभव नहीं है परन्तु जिन कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और जो सुझाव दिये गये हैं हम उनसे फायदा उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

१९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत २५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत २५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत ५,१८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत ५,१८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अंतर्गत २,५७,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत २,५७,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अंतर्गत २५,९०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २५,९०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अंतर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ७३,८९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ७३,८९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बंधी विकास के अन्तर्गत २२,५२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत २२,५२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ३,४२,४०० रुपये की अनुपूक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ३,४२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—सहकारिता

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ५,५२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ५,५२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २४,००,१०० रुपय की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २४,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

रसद मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१——सिंचाई अधिष्ठान

श्री बंशीधर पाण्डेय——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१——सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१——सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२——अभियन्त्रण संस्थाएं

श्री बंशीधर पाण्डेय——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२——अभियन्त्रण संस्थायें के अन्तर्गत ७५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२——अभियंत्रण संस्थायें के अन्तर्गत ७५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५——सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)——

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५——सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १,२१,६३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५——सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १,२१,६३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १४,५७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १४,५७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—वन

श्री जय राम वर्मा—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत १५,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत १५,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५३,७५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५३,७५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४८,११,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४८,११,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९,२४,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९,२४,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३९,१७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३९,१७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,५१,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,५१,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ५,६३,०७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ५,६३,०७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन अनुज्ञा दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा––

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गईं ।)

श्री जयराम वर्मा––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

इस विधेयक के द्वारा उन धनराशियों को विनियोग संचित निधि से निकालने का अधिकार माननीय सदन से मांगा गया है जिन धनराशियों की अलग-अलग सेवाओं के लिये विचार करके अलग-अलग रूप में माननीय सदन ने अभी स्वीकार किया है । इसके सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि विभिन्न सेवाओं के लिये हमने जिन धनराशियों को मांगा है, हमारा इस बात पर पूरा प्रयास होगा कि वह धनराशियां हम पूरी-पूरी उन सेवाओं के लिये उपयोग करें और उसमें कोई अपव्यय रुपये का न होने पाये । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी दृष्टि से यह सदन इस पर विचार करे और जिस अधिकार की मांग हमने की है उनको स्वीकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६४–६५ के लिये २२,३६,८५,००० रु० का दिया जाना विनियोग ।

२––ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २२,३६,८५,००० रु० (बाईस करोड़ छत्तीस लाख पचासी हजार रुपया) होता है, अधिक न हो ।

३––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व ..	..	१२,३००	१२,३००
८	राज्य विधान मंडल ..	२५,०००	..	२५,०००
९	सामान्य प्रशासन ..	५,१८,४००	..	५,१८,४००
१४	पुलिस ..	२,५७,७००	..	२,५७,७००
१७	शिक्षा ..	२५,९०,३००	३,०००	२५,९३,३००
१८	चिकित्सा ..	२००	..	२००
१९	सार्वजनिक-स्वास्थ्य ..	७३,८९,२००	..	७३,८९,२००
२०	कृषि-सम्बन्धी विकास ..	२२,५२,९००	..	२२,५२,९००
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन	३,४२,४००	..	३,४२,४००
२३	सहकारिता ..	१००	..	१००
२४	उद्योग ..	५,५२,७००	..	५,५२,७००
२५	नियोजन और समन्वय ..	२४,००,१००	..	२४,००,१००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१००	..	१००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	१,००,२००	..	१,००,२००
३२	अभियंत्रण संस्थायें ..	७५,१००	..	७५,१००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१,२१,६३,५००	..	१,२१,६३,५००
३६	संचार साधनों का सुधार	१००	..	१००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	१४,५७,४००	..	१४,५७,४००
४४	वन ..	१५,२५,०००	..	१५,२५,०००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	५३,७५,०००	२,७००	५३,७७,७००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	..	१००	१००
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय	२,००,००,०००	५,६००	२,००,०५,६००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	४८,११,१००	..	४८,११,१००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	९,२४,६००	..	९,२४,६००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	..	३,२४,९००	३,२४,९००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३९,१७,२००	..	३९,१७,२००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	३,५१,०००	..	३,५१,०००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें	१०,००,००,०००	..	१०,००,००,०००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	५,६३,०७,१००	..	५,६३,०७,१००
	योग ..	२२,३३,३६,४००	३,४८,६००	२२,३६,८५,०००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४

३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट एवं माल स्थायी समिति के लिये एक-एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे एक सूचना देनी है । वह यह है कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट तथा माल स्थायी समिति के लिये १-१ सदस्य के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी का समय १९ अगस्त, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत था । उक्त समय तक अतिरिक्त नाम वापस न लिये जाने के कारण अब निर्वाचन सम्बन्धी मतदान दिनांक २४ अगस्त, १९६४ को विधान वाचनालय, विधान भवन में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा । उक्त सीनेट तथा स्थायी समिति के उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं--

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट

(१) श्री केशवसिंह (शाहजहांपुर)

(२) श्री श्यामलाल (बस्ती)

माल स्थायी समिति

(१) श्री श्यामलाल (बस्ती)

(२) श्री लालबहादुर सिंह (जौनपुर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४० मिनट पर सोमवार, २४ अगस्त, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ अगस्त, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

क्रम संख्या	सहायता की मद	धनराशि अथवा वस्तुओं की मात्रा जो वितरित की गई	सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
		रु०	
१	गृह निर्माण सहायता ..	१,०१० ..	३२
२	तकावी ..	१४० ..	८
३	अहेतुक सहायता ..	मटर ७ मन १३ सेर, नमक १ मन २८ सेर, मिट्टी का तेल ४६ बोतल, दियासलाई ६५ डिबियां।	६१
४	मालगुजारी में कटाव के कारण कमी ..	६६१.६० ..	८०
५	मालगुजारी में कटाव के कारण पूरी छूट ..	३०५.३०	प्रत्येक प्रभावित काश्तकार।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २०–२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर ।)

संस्था का नाम	तिथि जब आदेश भेजे गये
१—आर० पी० इंटर कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद ..	१ जुलाई, १९६४
२—एम० पी० इंटर कालेज, गोरखपुर ..	९ जुलाई, १९६४
३—जनता इंटर कालेज, रानीपुर, आजमगढ़ ..	२१ जुलाई, १९६४
४—एस० पी० इंटर कालेज, कलौंदा, बुलन्दशहर ..	२१ जुलाई, १९६४
५—नवजीवन इंटर कालेज, फारूखनगर, मेरठ ..	२१ जुलाई, १९६४
६—आर० एस० एस० इंटर कालेज, धौलाना, मेरठ ..	३ अगस्त, १९६४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११० एल० ए०—१९६४—८६० ।